

प्रभात

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी - लेनिनवादी) (पीपुल्सवार) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मुख-पत्र

वर्ष - ११

अंक - २

जुलाई १९९८

सहयोग राशि - ५ रुपये

केन्द्रीय बजट १९९८-९९

भूमण्डलीकरण की खोजवाओं में सिमटा 'स्वदेशी' बारा भाजपा सरकार का बजट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों को ही पावेगा

पिछली बार १३ दिनों में ही बोरिया-बिस्तर समेट चुकी वाजपेयी सरकार इस बार बचकर बजट तक खिंच गई। २५ मार्च, १९९८ को अस्थायी बजट पेश करने वाली भाजपा गठबंधन सरकार ने फिर से १ जून, १९९८ को वर्ष १९९८-९९ के लिए पूर्ण बजट पेश किया। १९९९ में हमारे देश में अंमुको-विश्व बैंक द्वारा निर्देशित उदारीकृत आर्थिक नीति के अमल में आने के बाद से लगातार सभी बजटों को उन संस्थाओं के आदेशों पर ही बनाया जा रहा है। फिर भी, आश्चर्य की बात है, भाजपा ने इस बार अपने बजट को 'स्वदेशी' भावना से बनाया गया बताया। लेकिन भाजपा ने जब 'स्वदेशी भावना' का अर्थ यह बताया कि "दुनिया से दूर, अलग रखना नहीं, बल्कि भारत को दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना" है, यह बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा की 'स्वदेशी भावना' और 'भूमण्डलीकरण' योजनाओं में कोई अंतर नहीं है बल्कि ये दोनों एक-दूसरे में समा जाने वाली ही हैं। भाजपा गठबंधन के सत्ता में आते ही अपने घोषित 'राष्ट्रीय एजेंडा' में यह विषय और स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया : "भूमण्डलीकरण के परिणामों को हम सावधानी से विश्लेषित करेंगे। हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप एक योजना बनाकर, उसके बाद हम भूमण्डलीकरण नीति पर अमल करेंगे। तब जाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। स्वदेश के उद्योग, वित्त व सेवा क्षेत्र और भी मजबूत बनेंगे।" इस बात को अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं भली-भांति जानती है,

इसलिए उन्होंने इंडोनेशिया के सुहार्तो पर भी शक की उंगली उठाई, पर भाजपा का 'स्वदेशी' नारा पर संदेह नहीं किया। 'एनरॉन' मामले में ही असलियत को दुनिया जान गई थी। किसी को कोई संदेह रह गया होगा तो इस बजट से वह पूरी तरह दूर होकर रहेगा।

वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुत करते हुए भाजपा सरकार की यह कहकर प्रशंसा की, "यह इतिहास में उल्लेखनीय पल है", "एक नवभारत का उदय हो रहा है" तथा "११ मई (पोकरण में पहला परमाणु परीक्षण उसी दिन किया गया) इस सिलसिले में निश्चित रूप से पहला कदम है।" उसी प्रसंग में उन्होंने आगे कहते हुए यह हामी भरी, "११ मई की घटना पर शुरू में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बाद में सब ठीक-ठाक हो जाएगा।" इसका निहित अर्थ यही है कि साम्राज्यवादी यह समझ लें कि परमाणु परीक्षण की अनुमति देना साम्राज्यवादियों के विरोध में नहीं तथा सभी विषयों में उनके आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। परमाणु परीक्षण के दौरान प्रदर्शित तमाम दिखावटी गंभीरता, भारत की जनता को 'स्वदेशी' नशे में रखकर अपनी साम्राज्यवादी अनुकूल नीतियों को छिपाने की कोशिश भर बताई जा सकती है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो १९९८-९९ के केन्द्रीय बजट ने सम्पन्न लोगों पर लगने वाले कुल करों में कटौती की तथा उनको मिलने वाली रियायतों और उनकी सेवा में प्रयुक्त राशि को बढ़ाया। उसी समय

गरीबों पर करों में वृद्धि की गई जिससे उन पर बोझ बढ़ गया। जन कल्याण कार्यक्रमों, रियायतों और अन्य सुविधाओं के लिए आवंटित राशि में कटौती की गई। १९९१ से यह क्रम आर्थिक सुधारों के नाम पर और भी ठोस, स्पष्ट और योजनाबद्ध तरीके से अमल हो रहा है। प्रत्येक नए बजट में यह और भी नमन रूप से प्रकट हो रहा है। यह कहने की कोई विशेष जरूरत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के नीतिगत ढांचे के तहत प्रारूपित कोई भी बजट में कोई मूलभूत बदलाव नहीं होगा। प्रारूपित बजट से इस बात का कोई वास्ता नहीं है कि किस पार्टी सत्ता में आई है। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि इस मामले में सरकार की भूमिका ही गौण हो गई। तीसरी दुनिया के सभी देशों में यही हकीकत लागू है। दक्षिण एशिया के देशों में हाल में उत्पन्न आर्थिक संकटों ने यह बात साबित की। अब बजट की गहराइयों से परख लेंगे।

भूमण्डलीकरण के लिए 'राष्ट्रीय एजेंडा'

भाजपा गठबंधन के सत्ता में आते ही उसमें 'राष्ट्रीय एजेंडा' के नाम पर अपने कार्यक्रम की घोषणा की। उसमें प्रस्तावित विषयों पर गौर करने पर एक बात आसानी से समझी जा सकती है कि 'राष्ट्रीय एजेंडा' अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं की नीतियों को भारत में अमल पर लाने की नीति के सिवाए कुछ भी नहीं है। उसी सिलसिले में बजट को प्रारूपित किया गया। 'राष्ट्रीय एजेंडा' के कुछ अंशों पर नजर डालें।

○ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी (एफडीआई) का स्वागत करेंगे।

○ ईंधन, बिजली क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से दीर्घकालिक ऋण लाएंगे।

○ बीमार उद्योगों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान करेंगे।

○ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के मामले में पुनर्निर्माण, पुनरावास, पूंजी को वापस लेने सहित सभी सुधारों पर अमल करेंगे।

○ दीर्घकालिक ऋणों को प्राप्त करना है तो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश अनिवार्य है।

○ भूमण्डलीकरण नीतियों पर देश की परिस्थितियों के अनुरूप अन्वयपूर्वक अमल करेंगे।

इस 'राष्ट्रीय एजेंडा' का मतलब साम्राज्यवादी अनुकूल तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हितपोषक नीतियों का पालन करना ही है। 'राष्ट्रीय एजेंडा' के अनुरूप वाजपेयी सरकार ने अप्रैल में कुछ नीतियों की घोषणा की। मुख्य रूप से बिजली मंत्रालय में लंबित अनेक विद्युत परियोजनाओं को तत्काल अनुमति दी। ये लगभग १५,००० मेगावाट बिजली उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा उसने राज्य सरकारों से कहा कि रियायतें देना या न देना वे स्वयं तय कर लें क्योंकि बिजली-कर नीति में सुधार लाने की जरूरत है। भारी परियोजनाओं पर विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए काउंटर गारंटी देने को वह सहमत हो गई। इन सभी पर अमल

होकर जैसा कि भय है, किसानों और मध्यम वर्ग को मिल रही रियायतें समाप्त होकर बिजली कर भारी बोझ बनने जा रहा है। तेल, प्राकृतिक गैस के भण्डार और उत्खनन संबंधी ठेके भी वाजपेयी सरकार ने अनेक निजी कंपनियों को प्रदान किए। 'राष्ट्रीय एजेंडा' से लेकर बजट तक वाजपेयी सरकार की सभी नीतियां उदारकृत आर्थिक नीतियों का अमल के मद्देनजर ही बनाई गई।

केन्द्रीय बजट में 'ढांचागत परिवर्तनों' पर जोर

वित्ती मंत्री यशवंत सिन्हा ने १९९८-९९ बजट को निहायत गरीब व कमजोर आदमी का बताया। बजट पर सरसरी नजर डालने से भी यह स्पष्ट होता है कि निहायत गरीब व्यक्ति को यह बजट नित्य दरिद्रता, भुखमरी, करों का बोझ के अलावा कुछ भी देने वाला नहीं है। इसकी एक और विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य देश में कृषि में गतिरोध समाप्त कर विकास लाना बताया गया। कृषि और ग्रामीण विकास पर बजट में जोर दिया गया। लेकिन आवंटित राशि तो बहुत ही कम है। और तो और यूरिया की कीमत प्रत्येक किलो पर एक रुपए बढ़ाकर सरकार ने जनता में फैली व्यापक विरोधिता के मद्देनजर बाद में पचास पैसे कम कर दिए। कुल मिलाकर ५० किलो वाली यूरिया की बोरी पर ३० रु. तक बढ़ेगा। इससे यह समझा जा सकता है कि कृषि के विकास हेतु केन्द्र सरकार कितनी कटिबद्ध है। सिंचाई कार्यक्रमों के लिए ५७ प्रतिशत कोष बढ़ाने की बात कही गई। जल्दी ही राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करने तथा किसान उर्वरक, कीटनाशक और बीज खरीदें, इसके लिए 'नाबार्ड' (राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा 'किसान क्रेडिट कार्ड' बनाने की बात कही गई। 'नाबार्ड' का मूल कोष में ५०० करोड़ रुपए वृद्धि की बात भी कही गई जिसमें सरकार १०० करोड़ का ही आवंटन करेगी। जबकि शेष रकम का प्रबंध रिजर्व बैंक को करना होगा। इसके साथ-साथ 'नाबार्ड' के अंतर्गत गठित 'ग्रामीण आधारित संरचना विकास कोष' (आरआईडीएफ) को रु. ३००० करोड़ तक बढ़ाया जा रहा है। मध्यम, छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने तथा परिवाहक जल प्रबंध जैसी ग्रामीण सुविधाओं संबंधी योजनाओं के लिए राज्य सरकारों और निगमों को आरआईडीएफ ऋण उपलब्ध कराता है। इन ऋणों और ब्याज के लिए राज्य सरकारें हामी भरेंगी। नरसिंहम कमेटी ने सिफारिश की कि विश्व बैंक के सुझावों के मुताबिक कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देना निर्णित चरणों में बंद किया जाए। सरकार द्वारा इसके अनुमोदन से पूर्व ही वाणिज्य बैंक ने उस पर अमल शुरू किया। कृषि क्षेत्र को ऋण देना उन्होंने स्वयं ही काफी कम कर दिया। लेकिन कृषि क्षेत्र को देय ऋण 'नाबार्ड' को दे रहे हैं। चूंकि इन ऋणों को सरकारी गारंटी होने के साथ-साथ सीधे ऋण देने से होने वाले खर्च से भी बच रहे हैं इसलिए वाणिज्य बैंक 'नाबार्ड' को ऋण देने के लिए उत्सुक हैं। किन्तु 'नाबार्ड' द्वारा कृषि आधारित संरचना के लिए दिए जाने वाले ऋण किसानों को देय ऋणों का विकल्प नहीं है। लेकिन वाणिज्य बैंक

अपने मुनाफों को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष रूप से किसानों को देय ऋण बंद करके 'नाबार्ड' को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इसी को केन्द्र सरकार द्वारा 'नाबार्ड' की पूंजी बढ़ाए जाने तथा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने की संज्ञा दी जा रही है। आम किसान हमेशा की तरह दुर्भर दरिद्रता में डूबे हुए हैं, और आत्महत्या की शरण ले रहे हैं।

शिक्षा पर इस बजट में ४० प्रतिशत आवंटन बढ़ा दिया गया। पिछले बजट में आवंटित ४७१६ करोड़ रुपए के मुकाबले १९९८-९९ बजट में इस मद में ७०४७ करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चूंकि पिछले कई सालों से शिक्षा का खर्च नहीं बढ़ाया गया इसलिए यह एकाएक बढ़ाए जाने जैसे दिखने के बावजूद गौरतलब बात यह है कि यह अपर्याप्त है। मध्याह्न भोजन के लिए ९५ में ही पूरे देश में ३००० करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। यूं तो सरकार ने यह योजना पेश की, परन्तु उसके लिए आवश्यक राशि का कभी भी आवंटन नहीं किया। पांचवीं कक्षा तक सभी को तथा बारहवीं कक्षा तक लड़कियों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पर अमल करने में यह सरकार भी विफल होने वाली है। (यह

बात दीगर है कि इसके लिए उसके मालिक अंमुको-विश्व बैंक भी सहमत नहीं होंगे)। शिक्षा पर आवंटन बढ़ाने के पीछे विचारणीय विषय एक और है। इस आवंटन के तहत ही 'नेशनल री-कन्स्ट्रक्शन कार्पस' के नाम पर एक योजना पेश की गई। इस पर संसद में हुई बहस के दौरान एक बात यह सुनने में आई है कि सरकारी खर्च पर रास्वसं जैसी एक संस्था बनाई जा रही है। अगर यह सच हो तो इस कोष का एक बड़ा हिस्सा इसी योजना में जाएगा। इसे देश में फासीवादी ताकतों को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा की जा रही कोशिश ही कही जा सकती है।

इस बजट में 'इंदिरा आवास योजना' पर १६०० करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। आज की कीमतों के मुताबिक प्रत्येक आवास पर ४ हजार रुपए की लागत बैठती है तो ४० लाख आवासों का निर्माण किया जा सकता है। पिछले ५ वर्षों में सरकार २० लाख मकानों का भी

निर्माण नहीं कर सकी। १९९१ की गणना के अनुसार ग्रामीण प्रांत में २१२ लाख आवासों का अभाव है। १६०० करोड़ रुपए से यह कमी तो पूरी नहीं की जा सकेगी, ऊपर से इस बात पर भी संदेह है कि इस रकम का खर्च किया जाएगा अथवा नहीं।

इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आधारिक संरचना क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आवंटन बढ़ाए जाने की बात को एक अलग नजरिए से

भी देखना चाहिए। १९९७-९८ के बजट आवंटनों में बजट अनुमान की तुलना संशोधित अनुमान से की जाए तो काफी अंतर था। जनता को गुमराह करने के लिए सरकारों द्वारा अपनाए गए छलपूर्ण तरीकों में यह भी एक है। इसके अलावा बढ़ती मुद्रास्फीति को भी नजर में रखकर बजट आवंटनों की वास्तविक गणना करनी होगी।

इधर स्वास्थ्य आवंटन में बढ़ोतरी के बावजूद यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि उसका खर्च किस तरह किया जा रहा है। आज भी हमारे देश में अत्यधिक लोगों की जानें लेने वाली बीमारियां मलेरिया और तपेदिक ही हैं। इन बीमारियों के कारण हर वर्ष मरने वालों की संख्या लाखों में होती है। फिर भी लोक-स्वास्थ्य योजनाओं में

भाजपा गठबंधन का ९८-९९ बजट से स्टागफ्लेशन का खतरा बने रहने के बावजूद उसने विदेशी पूंजी और बड़े उद्योगों के हितों में...

० विदेशी संस्थाओं की अल्प भागीदारी का जिक्र किए बिना बीमा क्षेत्र को देशीय कंपनियों के लिए खोल दिया,

० निजीकरण की एक अन्य प्रमुख नीति के तहत, मुनाफों में चल रही एकमात्र व्यापारिक विमान संस्था इंडियन एयर लाइंस सरकार की ५१ प्रतिशत अंशपूंजी वापस ली। साथ-साथ इंडियन आईल कार्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विदेशी संचार निगम जैसी कमाऊ सार्वजनिक कंपनियों से ७४ प्रतिशत अंशपूंजी बेच देने की योजना बनाई। ९८-९९ वित्त वर्ष के दौरान निजीकरण के जरिए ५,००० करोड़ रु. एकत्र करने के लक्ष्य के तहत इन अंशपूंजियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं को औने-पौने दामों में बेच देना तय है।

० सरकारी परिसम्पत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचकर निजी क्षेत्र को रियायतें दीं,

उदाहरणार्थ - आंध्रप्रदेश की सार्वजनिक कंपनी आल्विन को सरकार ने 'छंटनी एवं बिक्री' के तहत 'वोल्टास' को सस्ते में बेचा। इसमें मजदूरों की छंटनी की जिम्मेदारी सरकार लेता है।

किसानों और आम जनता की सब्सिडियों में कटौतियों के अलावा, उद्योगों का निजीकरण, अंशपूंजी का पिंड छुड़ाना आदि से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी व महंगाई की मार बढ़ेगी।

इन बीमारियों का उन्मूलन के लिए आवंटित राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। (मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर देखना चाहिए)। लेकिन एड्स के उन्मूलन के लिए ९५-९६ की तुलना में ९६-९७ के बजट में दुगुनी राशि आवंटित की गई। ७० करोड़ रुपए से १४१ करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई। उसी समय मलेरिया के लिए १३१ करोड़ रुपए से १३८ करोड़ तक बढ़ाई गई। तपेदिक के लिए ४६ करोड़ से ५२ करोड़ तक बढ़ाई गई। सभी बीमारियों में से सरकार 'एड्स' पर ही अत्यधिक प्रचार करती है, यह बात सभी को मालूम है। एड्स के लिए आवंटित धन सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कंडोम व्यापार के लिए भी खर्च किया जा रहा है।

विगत २५ वर्षों से निरोध के नाम से लोक-स्वास्थ्य विभाग और मार्केट को कंडोम की आपूर्ति करने वाली सार्वजनिक संस्था 'हिन्दुस्तान

लेटेक्स लिमिटेड' के उत्पादनों पर पिछले वर्ष संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह कहकर प्रतिबंध लगाया कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अब सरकार भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादनों को ही खरीदेगी। इसलिए, गौरतलब बात यह है कि जन-स्वास्थ्य के लिए आवंटित धन अंततः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जेब में जाएगा।

जनता पर डाले बोझ का जहां तक प्रश्न है, पहले तो पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की ही बात की जाए। पेट्रोल की कीमत एक रुपए बढ़ाने के साथ-साथ उस पर कर भी लगाया गया। कर मिलाने से प्रत्येक लीटर पर तीन रुपए बढ़ेंगे। लोगों पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ ज्यादा बढ़ेगा। पोस्टल लिफाफे की कीमत इस बजट में २ रुपए से एक साथ ३ रुपए तक बढ़ाई गई। अंतर्देशीय पत्र की कीमत एक से डेढ़ रुपए कर दी गई, यानी ५० प्रतिशत बढ़ाई गई। स्पष्ट है इनका उपयोग आम लोग ही करते हैं। सम्पन्न लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोनों और पेजरो को सस्ता बनाया गया। कुल मिलाकर इस बजट में सीमा शुल्क के रूप में ३,३०४ करोड़ रुपए, एक्साइज कर के रूप में ५००९ करोड़ रुपए, रेल किराया बढ़ाकर ४५० करोड़ रु. और पोस्टल कीमतें बढ़ाकर २७० करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। रेल विभाग के बारे में यहां कुछ कहना मुनासिब ही होगा। केन्द्र सरकार ने कुछ वर्षों से ही रेल विभाग को धन देना बंद कर दिया। ऊपर से लाभांश के रूप में रेल विभाग से धन निचोड़ रही है, जिसका कुल १९९६-९७ में ३१८ करोड़ रुपए रहा। इस वजह से रेल विभाग में रेल मार्गों का पुनरुद्धार, सिग्नलिंग प्रणाली की उन्नति करना या आधुनिकीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। ध्यान रहे कि इसी वजह से रेल दुर्घटनाएं अक्सर हो रही हैं।

आयकर सीमा को ४० हजार से ६० हजार रुपए तक बढ़ाई गई। दरअसल, ५वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के बाद अटेंडर जैसे सामान्य कर्मचारी का मूल वेतन तीन हजार रुपए बढ़ाया गया। शहरी मध्यमवर्ग की मजबूरी यह है कि आज कम से कम पांच हजार रुपए प्रति माह कमाए बिना उसका जीना मुश्किल है। एक ओर रोज-रोज बढ़ती महंगाई, दूसरी ओर दोहरे अंकों में पहुंचती मुद्रास्फीति को देखते हुए यह रियायत कोई मायने नहीं रखती।

इस बजट में सम्पन्न वर्गों, उद्योगपतियों और विदेशी पूंजी को दी गई रियायतों की कोई सीमा नहीं रही। रोजगार देने वाली नई कंपनियों के देय वेतनों में ३० प्रतिशत आय के दायरे में नहीं आएगा। ४० लाख रु. तक उत्पादन शुल्क नहीं लगता है। यात्रियों के सामान में सीमा शुल्क सीमा ६००० रु. से १२००० रुपए कर दी गई। उपहार शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया। नाइलॉन यॉर्न पर ५ प्रतिशत कर कम कर दिया गया।

अप्रवासी भारतीयों के हितों में सरकार ने अनेक योजनाएं घोषित कीं। इनको यह नाम दिया, “देश के विकास में अप्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना।” अप्रवासी भारतीयों की व्यक्तिगत पूंजी सीमा को १ प्रतिशत से ५ प्रतिशत कर दी गई। उनके द्वारा स्थापित कंपनियों की

पूंजी सीमा ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक बढ़ाई गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनके लिए डॉलरों के रूप में ‘इंडिया मिलिनियम स्कीम’ और अन्य विदेशी मुद्रा के रूप में ‘रिसर्जेंट इंडिया बांड’ नाम की दो योजनाएं पेश कीं। इनके अलावा भाजपा ने अपने ‘स्वदेशी’ नारा को अप्रवासी भारतीयों में फैलाते हुए ‘पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन’ (पीआईओ) के नाम से कॉर्ड देने का निश्चय किया। वीसा को भी सरल बनाया।

१९८३ का ‘फेरा’ (विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून) को आज की परिस्थिति में निरर्थक कहकर, बजट पेश करते हुए वाजपेयी सरकार ने उसकी जगह ‘फेमा’ (विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून) नाम का एक नया कानून बनाने की घोषणा की। इससे हवाला घोटाले लुप्त होकर हवाला व्यापार को वैधता मिलने की संभावना पर किसी को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अभी तक पिछले वर्ष संसदीय सरकार द्वारा पेश की गई ‘वीडीआईएस’ (स्वैच्छिक रूप से काले धन की घोषणा करने वाली योजना) के जरिए उद्योगपतियों ने अपनी काली कमाई को तथा राजनेताओं ने अलग-अलग घोटालों में कमाए सैकड़ों करोड़ रुपयों को मात्र १० प्रतिशत कर अदा कर वैध सम्पत्ति में तब्दील किया। अकेले पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव के परिवार ने ही यूरिया घोटाला आदि घोटालों में कमाए सैकड़ों करोड़ का धन को वैध रूप से अपनी सम्पत्ति बनाई। अब अगर वे उन अपराधों में दोषी भी पाए जाएं, चूंकि वह धन वैध रूप से उनके हवाले हो गया, इसलिए क्या किया जाएगा, यह बताना टेढ़ी खीर ही है।

निजीकरण को इस बजट में और भी महत्व दिया गया। गत वर्ष सार्वजनिक इकाइयों के शेयरों को बेचकर ९०६ करोड़ रु. ही कमाए गए, जबकि इस बजट में लक्ष्य ५००० करोड़ रु. रखा गया। कुल मिलाकर सरकार ने तय किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को २६ प्रतिशत तक घटाया जाए। सरकार ने यह भी तय किया कि इंडियन एयरलाइंस, जो मुनाफा कमा रहा है, के शेयरों को भी ४९ प्रतिशत तक घटा दे। बीमा क्षेत्र में निजी पूंजीपतियों को अनुमति दी गई। चूंकि विदेशी कंपनियों ने कार्यालय खोलने की छूट दी गई है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीमा क्षेत्र में भी विदेशी कंपनियों को भी छूट दी जाएगी।

रुपए का गिरता साख (१९९८ में) प्रति डॉलर

१ जनवरी	२७ फरवरी	२९ मई	९ जून
३०.२२	३९.२५	४१.७३	४२.२२

(मार्च ९७ से लेकर रुपए के मूल्य में २० प्रतिशत गिरावट आई)

सरकार का यह कहना है कि रुपए का मूल्य ४५ रु. तक गिर भी जाए तो निर्यातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दुनिया के अन्य देशों के इतिहास से यही जान पड़ता है कि ४५ के पास न ही स्थिर रह सकेगा।

रक्षा खर्च जो गत वर्ष ३६०९९ करोड़ रुपए रहा, इस वर्ष ४१२०० करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। परमाणु शक्ति क्षेत्र को ६७ प्रतिशत और अंतरिक्ष क्षेत्र को ६२ प्रतिशत अतिरिक्त धन आवंटित किया गया। भले ही इसे शांतिपूर्ण जरूरतों के लिए कहें, वास्तव में परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष क्षेत्रों का मुख्य रूप से फौजी जरूरतों में ही उपयोग किया जा रहा है। दरअसल इस खर्च को सैन्य मद के अंतर्गत ही देखा जाना चाहिए। हर वर्ष जन कल्याण कार्यक्रमों में कटौती करने वाली सरकार रक्षा क्षेत्र का खर्च बेहिसाब बढ़ा रही है। एक ओर जनता भूख के मारे चीख-पुकार कर रही है तो परमाणु परीक्षणों और प्रक्षेपास्त्र प्रयोगों से उसे अनसुना रखकर इसी को विकास का नाम दे रही है। युद्धोन्माद भड़काकर जनता की वास्तविक समस्याओं को गुमराह कर रही है। (प्रक्षेपास्त्रों का खर्च तालिका देखें)

आगामी १० वर्षों में अण्वस्त्र कार्यक्रम पर आने वाली लागत

रक्षा विशेषज्ञों के अनुमान	करोड़ों रुपयों में
१. अग्नि प्रक्षेपास्त्र (२० प्रक्षेपास्त्र- प्रत्येक पर खर्च- २० करोड़ रु.)	४००
२. पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र (२० प्रक्षेपास्त्र - प्रत्येक पर खर्च ८ करोड़ रु.)	१६०
३. अण्वस्त्र (६० अस्त्र - प्रत्येक पर एक करोड़ रु.)	६०
४. परमाणु पनडुब्बी (५ पनडुब्बी- प्रत्येक पर ४,००० करोड़ रु.)	२०,०००
५. नियंत्रण प्रणाली	२,०००
६. उपग्रह की निगाह और लक्ष्य नियंत्रण प्रणाली	२,५००
७. रेलों पर घूमने वाली प्रणाली	५००
कुल खर्च	२५,६२० करोड़ रुपए

जन संघर्ष की भूमण्डलीकरण की नीतियों को रोक देंगे

कुल मिलाकर देखा जाए तो १९९८-९९ बजट को गरीबों पर भारी बोझ लादकर, सम्पन्न लोगों को मुनाफे व रियायतें प्रदान कर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लूटने के कई और अवसर प्रदान कर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को औने-पौने दामों में बेचकर, बीमार उद्योगों को बंद करके मजदूरों को बर्बाद कर, भूमण्डलीकरण की नीतियों को भारत में कड़ाई से लागू करने के लिए बनाया गया बजट कहा जा सकता है। भाजपा का 'स्वदेशी' नारा भारत की जनता को धोखा देने वाला नारा है तथा उदारकृत आर्थिक नीतियों को जारी रखने वाला नारा है।

गत वर्ष आयकर दरों को १० प्रतिशत कम किया गया तो सरकार की आय ३००० करोड़ रुपए तक घट गई। आबकारी कर वसूली अनुमान से ४,५०० करोड़ कम हुई। सीमा शुल्क १२,००० करोड़ रु. कम वसूले गए। २००० करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि वह २०,००० करोड़ बढ़ गया। इस घाटे का बोझ निश्चित रूप से गरीबों पर ही लद जाएगा। क्योंकि इस बजट ने सम्पन्न वर्गों को कई और रियायतें प्रदान कीं। इस बार बजट में वित्तीय घाटा ९१,०२५ करोड़ आंका गया। सम्पन्न लोगों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी गई रियायतों, बढ़ती मुद्रा स्फीति, रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट... इन सभी को देखते हुए सच्चाई तो यह है कि इस वित्तीय घाटे में भारी बढ़ोतरी होगी।

जहां सुधारों के चलते घरेलू उत्पादों की जगह आयातें ले रही हैं तो...

कृषि उत्पादन

१९९७-९८ में ३.७ प्रतिशत घट गया

औद्योगिक उत्पादन

१९९५-९६ में १२.१ प्रतिशत रहा

१९९६-९७ में ७.१ प्रतिशत घट गया

१९९७-९८ में ४.५ प्रतिशत घट गया

व्यापार घाटा

१९९४-९५ में २.३ अरब डॉलर

१९९६-९७ में ५.७ अरब डॉलर

१९९७-९८ में ६.८ अरब डॉलर

भाजपा के बजट में इस तस्वीर को बदलने का कोई नुस्खा नहीं अपनाया गया

१९९६ में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ हुए समझौते के बाद, उसकी समय सीमा से पहले ही भारत सरकार ने कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क विव्यास की सीमा से ज्यादा घटा दिया। चीनी के आयात पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया। इससे जहां साम्राज्यवादी देशों का अत्यधिक उत्पादन भारत पहुंच रहा है, वहीं एक ओर चीनी मिलों में ताले लग रहे हैं तो दूसरी ओर गन्ना किसानों की बर्हाली हो रही है।

देश में मुद्रा स्फीति रोज-रोज तेजी से बढ़ रही है। कीमतें आसमान छू रही हैं। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले ४५ रु. तक गिर गई। देश में आर्थिक संकट तीव्रतर हो रहा है। विव्यास के आदेशों के सामने घुटने टेक देने के विरोध में किसानों ने संघर्ष का रास्ता अपना लिया। हाल ही में देशभर में सात दिन तक चली डाक कर्मचारियों की हड़ताल, उसके पहले दिल्ली में १० दिनों तक चली नर्सों की हड़ताल, उत्तरप्रदेश के बिजली अभियंताओं की हड़ताल, दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मचारियों की

हड़ताल आदि सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता में आ रही हलचल का परिचय दे रही है। ये बढ़ते संघर्ष ही शासकवर्गों की साम्राज्यवादी अनुकूल नीतियों की रोकथाम कर सकेंगे।

१९९७-९८ बजट घाटा इसलिये बढ़ा था...

	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली (करोड़ रु.में)
आयकर	२१.७००	१८,७००
आयात शुल्क	५२,५५०	४१,०००

दलाल सरकारों का सहज लक्षण है, कर वसूली में विफलता

जनता का विश्वास पूरी तरह खोकर, किसी एक पार्टी को भी साधारण बहुमत भी नहीं मिलने की स्थिति में किसी भी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने मात्र के लिए बन रही अनेक पार्टियों की गठबंधन सरकारें नित्य झगड़ों से अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं। पिछली संमो सरकार से भी भाजपा की बदहालत यह है कि सत्ता में बैठे सात दिन भी नहीं बीते कि गंभीर संकट को झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में क्रांति आंदोलन और जनता के सशस्त्र बल आगे बढ़ रहे हैं। इस पर ही देश में साम्राज्यवादियों द्वारा जारी शोषण को दफनाया जा सकता है।

☆☆☆☆☆

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) तथा भारत के शासकों की जहाविरोधी-साम्राज्यवादी शत्रुकूल नीतियों के विरोध में हैदराबाद रैली सफलतापूर्वक सम्पन्न

विश्व सर्वहारा दिवस १ मई को साम्राज्यवादी शोषण का विरोध करते हुए हैदराबाद में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों ने डब्ल्यूटीओ विरोधी रैली को सफल बनाई। समूचे शहर में यह नारा गूंज उठा, “डब्ल्यूटीओ सुधारा नहीं जा सकता- उसकी रूपरेखा को पूरी तरह बदल दो।”

किसानों की आत्महत्याओं से शोकाकुल हैदराबाद ने साम्राज्यवादी शोषण का मुकाबला करने आए जनता का स्वागत किया। सिकुड़ता जा रहा अपना बाजार को विस्तारित करने के लिए साम्राज्यवादियों ने जिस डब्ल्यूटीओ का सहारा लिया, उसके और उसमें सदस्यता प्राप्त भारत सरकार के विरुद्ध उत्पीड़ित किसानों ने विशाल रैली आयोजित की, जिसमें विभिन्न जनसंगठनों का योगदान रहा। अपनी जनविरोधी नीतियों के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में शामिल होकर भूमण्डलीकरण के नाम से घुसपैठ कर रहे साम्राज्यवाद के प्रवेश के लिए द्वार खोले बैठे भारत के शासकों और शासक पार्टियों के विरुद्ध फूटा जन समुद्र था वह।

देश के चारों ओर से आए ५० जनसंगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले १००० प्रतिनिधियों ने २९ अप्रैल से १ मई तक ‘जेएफआईपी’ (डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध गठित भारत की जनता का संयुक्त कार्याचरण मंच) के नेतृत्व में सम्पन्न सम्मेलन में भाग लिया। आखरी दिन ‘मई दिवस’ को बागलिंगम्पल्लि पार्क से लेकर निजाम कॉलेज ग्राउंड तक निकाली गई विशाल रैली एक आमसभा में परिणित हुई। पॉल निकल्सन (कंपसिना, यूरोप) के शब्दों में, “डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध विश्वभर में

आयोजित रैलियों में हैदराबाद रैली सबसे बड़ी है।” सम्मेलन के आखरी दिन अंतिम सत्र में उन्होंने ‘डब्ल्यूटीओ’ के विरुद्ध विश्वभर के संघर्षों पर एक विवरणात्मक पत्र समर्पित किया।

इस सम्मेलन ने डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध भारत की जनता की ओर से पारित घोषणा-पत्र सहित ६ प्रस्तावों को पत्रकार सभा में घोषित किया। जहां पहला प्रस्ताव देशव्यापी जनहितकारी कृषि नीति की मांग करता था, तो तीसरा, कृषि में हुई किसानों की आत्महत्याओं से संबद्ध था, तथा छठा प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध किया गया। दूसरा प्रस्ताव विश्वव्यापी जन आंदोलनों के प्रति भाईचारा वाला था और चौथा प्रस्ताव देश में जारी जन आंदोलनों पर दमन का खण्डन कर, साम्राज्यवादी-सामंतवादी विरोधी संघर्षों का समर्थन करता था।

जहां तक घोषणा-पत्र की बात है, दरअसल, यह ‘अखिल भारतीय जन प्रतिरोध मंच’ (एआईपीआरएफ) द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्मेलन ने अनुमोदन किया। इसमें मुख्य रूप से डब्ल्यूटीओ के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। विश्व की दो-तिहाई आबादी, विशेष रूप से भारत की आबादी को कष्ट पहुंचाने के लिए लोगों के राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन पर साम्राज्यवादियों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए, पिछले देशों की राष्ट्रीय नीतियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए डब्ल्यूटीओ, पार-राष्ट्रीय निगमों के हाथों में एक औजार का काम करता है। अपने जन्म से ही डब्ल्यूटीओ कुचक्रों और लुटेरे योजनाओं के लिए जाना जाता रहा। इसलिए घोषणा-पत्र में कहा गया कि डब्ल्यूटीओ हमारा अत्यन्त क्रूर दुश्मन है।

वह न सिर्फ विश्व की दो-तिहाई जनता का खून-पसीना चूसता है, बल्कि सदियों से विकसित प्राकृतिक आवासों और परंपरागत कृषि आदि त्रान को ध्वस्त करने में भी सक्षम है। हमारी अर्थव्यवस्था को पार-राष्ट्रीय निगमों का उपभोक्ता के रूप में बदलकर हमारी सांस्कृतिक विविधता को ध्वस्त कर रहा है। यह जनता के सभी तबकों-किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं, पीड़ित जातियों, धर्मों, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताओं, छात्रों और नौजवानों सभी का उत्पीड़न कर रहा है।

इस तरह के षडयंत्रों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष की आवश्यकता है, वरना हमारा पर्यावरण का विनाश होगा, कई प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। सामाजिक-आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न होगा। घोषणा-

पत्र ने स्पष्ट किया कि डब्ल्यूटीओ का हम अंत नहीं करेंगे तो वह हम सबकी हत्या कर देगा।

डब्ल्यूटीओ ऐसी ताकत है जिसके पास सभी तबकों की जनता को कुचल देने के लिए आवश्यक संजाल है। डब्ल्यूटीओ - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अंमुको)- विश्व बैंक के

विरुद्ध होने वाला संघर्ष साथोंसाथ शासक वर्गों के विरुद्ध भी होना है।

राष्ट्रीयवाद, हिन्दुत्व और स्वदेशी पर निर्भरता का रट लगाने वाला 'स्वदेशी परिवार' (भाजपा सरकार) ने पूर्व की सरकारों से भी आगे चलकर साम्राज्यवादी मालिकों के आगे रातोंरात घुटने टेक दिए। घोषणा-पत्र ने भारत से डब्ल्यूटीओ से बाहर आने तथा विकासशील देशों को भी बाहर आने के लिए मनवाने की मांग की। साम्राज्यवादी आक्रमण के विरुद्ध तीव्रतम संघर्षों में लिप्त विश्वव्यापी जनता के सभी तबकों को समर्थन प्रकट किया।

एआईपीआरएफ, केआरआरएस (कर्नाटक राज्य किसान संगठन) और शेतकारी संगठन की पहल पर १९ मार्च को कुल ३० किसान-मजदूर-जनतांत्रिक संगठनों ने बेंगलूर में बैठक की थी, फिर ३० मार्च को दिल्ली में हुई बैठक तक २० अन्य संगठनों के जुड़ जाने से कुल ५० जनसंगठनों से जेएफआईपी का गठन हुआ था। १८-२० मई को जेनीवा

में प्रस्तावित डब्ल्यूटीओ का दूसरा मंत्रित्व सम्मेलन से पूर्व हैदराबाद में एक विरोध रैली आयोजित करने का निर्णय किया गया।

उस तरह जेएफआईपी के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में भाग लिए ५० संगठनों में से उप्र, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान से भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू), केआरआरएस, शेतकारी संगठन (महाराष्ट्र), आंध्रप्रदेश किसान मजदूर संघ, एआईपीआरएफ आदि प्रमुख हैं। केआरआरएस का 'पीपुल्स ग्लोबल एक्शन' (पीजीए), जिसका केन्द्र जेनीवा में है, से सीधा सम्पर्क है। मुक्त व्यापार और डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध केआरआरएस ने यह सम्पर्क बनाया।

भारत की भाजपा गठबंधन सरकार का यह कहना है कि भारत

के डब्ल्यूटीओ से बाहर आने का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उसमें रहकर ही सुधार लाने की कोशिश की जाए। और इधर इस सम्मेलन में प्रमुख नारा यह रहा, "डब्ल्यूटीओ सुधारा नहीं जा सकता- उसकी रूपरेखा को पूरी तरह बदल डालो।"

५० वर्ष

पुराने 'गैट' और 'डंकल मसौदा' की सूचनाओं का परिणाम ही १९९४ में हुआ डब्ल्यूटीओ का गठन। १९९३ में ही भारत की जनता ने डंकल मसौदे के विरुद्ध अपने तीखे विरोध प्रकट किया था। (प्रोफेसर नंजुंडास्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक में कार्गिल कंपनी पर किया गया हमला एक उदाहरण है।) प्रो. नंजुंडास्वामी ने कहा कि डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध हमारा संघर्ष 'एक राजनैतिक आंदोलन' है। उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के लिए फसलों का चौपट होना, नकली बीज अथवा मिलावटी कीटनाशक नहीं, बल्कि नई आर्थिक नीति और डब्ल्यूटीओ के द्वारा किसानों को दिवालिया कर देना व कर्जों का बोझ लादना ही मूल कारण बताया। विश्व बैंक-अंमुको-डब्ल्यूटीओ की तिकड़ी भारत पर सब्सीडियों को वापस लेने का दबाव डाल रही है। भारतीय कृषि को महंगी बनाकर भारत के किसानों पर कर्जों का भार लादकर अपने अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के लिए इस देश को बाजार बनाना उनके लक्ष्य

विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध हैदराबाद रैली के लिए उमड़ पड़ी विशाल जनता

हैं उन्होंने आगे कहा कि आंध्र में ४०० से ज्यादा, कर्नाटक में ३०, महाराष्ट्र में ३० और पंजाब जैसे अनेक राज्यों में हुई कई किसानों की आत्महत्याएं भारत की कृषि पर डब्ल्यूटीओ की मार का नतीजा है। उन्होंने आलोचना की कि आंध्र, तमिलनाडु, हरियाणा आदि जगहों में मांस के लिए मवेशियों के वध से भी छोटे व मध्यम किसानों की कृषि पर विपरीत असर पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से सहज संपदा का भी विनाश हो रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप नदियों और जंगलों का लुप्त होने का खतरा भी है। उदाहरण के तौर पर स्वामी ने तुंगभद्र नदी का जिक्र किया। आंध्र व कर्नाटक को पानी देने वाली तुंगभद्र नदी के उद्गम स्थान पर लौह अयस्क के उत्खनन के लिए एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को सरकार ने अनुमति दी, जिससे वह नदी विनाश के कगार पर खड़ी है।

पीएजी (जेनीवा) की एक यूरोपीय भागीदार संस्था 'प्ले फेड्र' के निदेशक सर्गिया फर्नांडीज ने अपने भाषण में 'गैट' और डब्ल्यूटीओ के मध्य महत्वपूर्ण अंतर पर रोशनी डाली। "पश्चिमी पूंजीवाद के हितों को आगे ले जाने में वह तीसरी प्रमुख संस्था है- पहली दो अंमुको और विश्व बैंक हैं। और वह एक सर्वोन्नत विश्व संस्था है। १९४७ में गैट और १९९४ में डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया। डब्ल्यूटीओ के एजेडे पर गौर किया जाए तो उसे वाणिज्य संस्था कहना गुमराह करना ही होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि, सेवाएं, पीआरएस, ट्रिप्स, ट्रिप्स जैसे क्षेत्रों को अपने आधिपत्य में लेकर डब्ल्यूटीओ ने विकासशील देशों को नियंत्रित करते हुए संसदों को अपने निर्णयों पर अमल करने वाले साधनों के तौर पर बना रखा।" 'डब्ल्यूटीओ की क्षमताएं- गैर सरकारी संगठन, मजदूर संघ और नागरिक समाज का सहयोजन' - इस मुद्दे पर प्रस्तुत अपने पक्ष में हेर्मेडिज ने कहा कि अपने स्वार्थ हितों के लिए गैर-सरकारी संगठनों और यूनियनों को सहयोजित कर इस्तेमाल करने की अंमुको तथा विश्व बैंक की चमत्कारिक तकनीक को डब्ल्यूटीओ ने जल्दी ही अपना लिया। अपने पत्र के प्रथम भाग में डब्ल्यूटीओ और पर्यावरणवादी गैर-सरकारी संगठनों की मिलीभगत पर तथा दूसरे भाग में डब्ल्यूटीओ में सामाजिक धारा की चर्चा का विस्तृत ब्यौरा दिया गया।

डब्ल्यूटीओ का इस तर्क की कि वह एक जनतांत्रिक संस्था है, खिल्ली उड़ाते हुए वक्ताओं ने ऐसे अनेक उदाहरण पेश किए, जिनसे कि वह अलोकतांत्रिक संस्था साबित हो जाए। उदाहरण के लिए सिंगापुर में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में एक घोषणा-पत्र पर, जिसका प्रारूप चार साम्राज्यवादी देशों- अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने मिलकर तैयार किया, सभी मंत्रियों ने उसे देखे बिना ही हस्ताक्षर किए। 'डब्ल्यूटीओ : साम्राज्यवादी पूंजी का पिड्डू' शीर्षक अपने पत्र में एआईपीआरएफ ने ठीक ही कहा, "सभा गृह में लोकतंत्र और सजागृह में तानाशाही।" एआईपीआरएफ की ओर से यह पत्र पेश करते हुए कॉमरेड शिवसुंदरम ने डब्ल्यूटीओ में झगड़ों का निपटारा करने वाला विभाग "इटीग्रेटेड डिस्प्यूट सेटिलमेंट मेकानिज्म" का जनतांत्रिक

स्वभाव का पोल खोल दिया। "उसके सात न्याय निर्णयों में दो अमरीकी हैं, दो अन्य यूरोपीय संघ के हैं तथा अंतिम फैसला देने का अधिकार केनाडावासी का है। इस क्रम को प्रभावित करने का किसी तीसरी दुनिया के देश को मौका ही नहीं होगा।" जब कोई देश का किसी कदम अमरीकी हितों के विरुद्ध होता है तो अमरीका एकतरफा प्रतीकारात्मक कार्रवाई करता है तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों पर सुपर ३०१, स्पेशल ३०१ जैसे कानून लागू कर बहुपक्षीय समझौतों का घोर उल्लंघन करता है। शिवसुंदरम ने अपने पत्र में इस भ्रांति को भी हास्यास्पद करार दिया कि डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य समान हैं।

वहां के प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने भूमण्डलीकरण की असलियत को स्पष्ट कर दिया। पंजाब के जमहूरी मोर्चा के नरेन्द्र सिंह ने उत्तर भारत में डब्ल्यूटीओ के प्रभाव पर बोलते हुए कहा कि हरित क्रांति से भारत के किसानों को अपेक्षापूर्ण विकास होने की जगह अमरीका और ब्रिटेन स्थित उद्योगों के लिए आवश्यक फसल जबरन उगाने पर ही मजबूर किया गया। "हमारे किसानों को तो भुखमरी व गरीबी ही नसीब हो पाई। इस पत्र में आगे कहा गया : भूमण्डलीकरण का अर्थ यह है कि दुनिया भर के राष्ट्रीय स्रोतों व श्रमिक जनता को अनवरत लूटने में साम्राज्यवादियों के लिए बाधा बनी हुई राष्ट्रीय सरहदों को तोड़ दें तथा सभी भूखण्डों में स्थित प्राकृतिक संसाधनों पर मनमानी नियंत्रण हथियाया जाए। पेटेंट संबंधी एकाधिकारों का उद्देश्य ज्ञान का निजीकरण है। इस तरह उसे अन्य लोगों की पहुंच से वंचित कर व्यापार वस्तु बनाकर बेहिसाब मुनाफे कमाने का रास्ता सुगम बना लेना है।

जहां तक कृषि का सवाल है, तमाम कृषि उत्पादन में ७० से ८० प्रतिशत पर नियंत्रण हासिल अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों और बहुराष्ट्रीय व्यापार कंपनियों से स्पर्धा करना एक टेढ़ी खीर है। खाद्य अनाज के उत्पादन में भू-स्वामियों को छोड़कर बहुसंख्यक छोटे व मध्यम किसान तथा धनी किसानों का एक बड़ा तबके को निश्चित रूप से इस जुए में मुंह की खानी पड़ेगी।

एम.टी. खान की अध्यक्षता में चले सत्र में "बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार- तीसरी दुनिया" पर बोलते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी. नरसिंहा ने कहा कि डब्ल्यूटीओ द्वारा पेश की गई उत्पाद पेटेंट नीति के चलते विगत दो वर्षों में सभी उत्पादों, मुख्य रूप से दवाइयों और कीटनाशकों की कीमतें दस गुना बढ़ गईं।

आंध्रप्रदेश मानवाधिकार संगठन (एपीसीएलसी) की तरफ से प्रोफेसर शैषैया ने कहा, "तीसरी दुनिया के देशों में डब्ल्यूटीओ द्वारा अमल में लाया गया फासीवादी शासन का प्रत्यक्ष नतीजा है कि एक ओर किसान आत्महत्या की शरण ले रहे हैं तथा दूसरी ओर जन आंदोलनों पर सरकार द्वारा जारी बेरहमी दमन, मुख्य रूप से मुठभेड़ हत्याएं। सरकार जो 'मुख्य धारा' की शेखी बघारती है उसका अर्थ यह है कि सरकार की साम्राज्यवादी अनुकूल नीतियों से होने वाली बदहाली

को जनता सब्जी से झेले।”

दूसरे दिन आंध्रप्रदेश शिक्षक महासंघ के मुख्य सचिव भूमैया की अध्यक्षता में सम्पन्न दूसरे सत्र में ‘आंध्रप्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं’ पर राघवाचारी (अकाल विरोधी संघर्ष कमेटी, महबूबनगर), ‘जनजातियों पर डब्ल्यूटीओ का प्रभाव’ पर गौतम महतो (विप्लव कृषक मजदूर संघ, पश्चिम बंगाल), औद्योगिक मजदूरों पर डब्ल्यूटीओ का प्रभाव पर प्रदीप (एआईएफटीयू) तथा आंध्रप्रदेश में पानी, बिजली व कृषि पर वी. कोटेश्वरराव ने भाषण दिया।

स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर जी. हरगोपाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि मानव समाज के विकास में पूंजीवाद को ही अंतिम चरण कहना एक सफेद झूठ है। दूसरी ओर पूंजीवाद दृढ़तर, अड़ियल, बेशर्म और खुल्लमखुल्ला बन गया। वह उदारीकरण, भूमण्डलीकरण जैसे शोभनीय नामों से सामने आ रहा है। वह ‘राज्य’ को सीमित करने व निर्दयी बनाने में संलग्न है। उन्होंने कहा कि भूमण्डलीकरण विकास का एक क्रूर मार्ग अपना रहा है। उन्होंने विश्व बैंक, अमुको और डब्ल्यूटीओ को साम्राज्यवादियों के एजेंट करार दिया। “साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्वभर की जनता की प्रतिक्रिया और उसके संघर्षों में ही मानव समाज का भविष्य सुरक्षित रह सकता है।”

सम्मेलन के दौरान जेएफआईपी की बैठक ने तय किया कि १८-२० मई को जब जेनीवा में डब्ल्यूटीओ मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक होगी, डब्ल्यूटीओ से भारत के बाहर आने की मांग से केन्द्र सरकार पर दबाव डालते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शनों को आयोजित किया जाए।

इस सम्मेलन में ऐसे अनेक अफवाहों और मनगढ़ंत विसंगतियों, जो साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों और कई देशों के उनके समर्थक सत्तापक्षों द्वारा उड़ाए गए हैं, पर प्रतिनिधियों के सवालों के उत्तर दिए गए, जो कि उनके लिए दुर्लभ अवसर था।

विशाल रैली के अंत में आयोजित एक बड़ी आमसभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया।

बीकेयू, हरियाणा के घांसीराम नयन ने आंध्र में ३५० किसानों की आत्महत्याओं के बावजूद उनके समर्थन में अन्य क्षेत्र के किसानों का आंदोलन न छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस स्थिति को अवांछनीय बताया। भारत में समस्याओं से पीड़ित किसानों के समर्थन में देशभर में ऐसी स्थिति के विरुद्ध सशक्त विरोधी आंदोलन को आवश्यक माना।

महेन्द्रसिंह टिकैत ने भारत के किसानों की वर्तमान बदहाली के लिए केन्द्र सरकार को दोषी करार दिया तथा भारत को डब्ल्यूटीओ से वापस आने को कहा। “केन्द्र सरकार यदि यह कदम नहीं उठाएगी”, उन्होंने आगे कहा, “तो भारत के किसानों को ‘असहयोग आंदोलन’ छोड़ना पड़ेगा।” छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष जनकलाल ठाकुर ने आह्वान किया कि डब्ल्यूटीओ और साम्राज्यवादियों की अन्य संस्थाओं के विरुद्ध दीर्घकालिक संघर्ष करना चाहिए। प्रोफेसर हरगोपाल ने दावा किया कि डब्ल्यूटीओ और भारत सरकार की साम्राज्यवादी अनुकूल जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध व्याप्त सशक्त असहमति को इस रैली और आमसभा ने प्रतिबिंबित किया। सभी वक्ताओं ने ‘मुख्य धारा’ की राजनैतिक पार्टियों की यह कहकर निंदा की कि वे विश्वासहीन और जनविरोधी हैं। जे.बी. चलपति राव ने कहा कि किसानों का यह आक्रोश एक व्यापक संघर्ष का रूप लेकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि डब्ल्यूटीओ अपने सदस्य देशों में उदारीकरण को गति देना चाहता है, जिससे जन प्रतिरोध के संघटित होने में काफी समय नहीं लगेगा।

उनका दृढ़ विश्वास था कि अक्टूबर ९९ में प्रस्तावित डब्ल्यूटीओ की नए दौर की चर्चा के समय तक जन आंदोलन का विकास होगा।

सभा के दौरान ‘प्रजा कला मंडली’, ‘अरुणोदय’, ‘निशांतिका’ आदि सांस्कृतिक संस्थाओं ने नाटकों को प्रदर्शित किया। साम्राज्यवादी विरोधी गीतों से सभा झूम उठी।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

दक्षिण-पूर्वी एशिया

मुद्रा और शेयर मूल्यों का पतन की बाढ़ में बह रहा ‘एशियाई चमत्कार’

‘ताश के किले’ कैसे गिरते हैं इसे साफ देखना है तो ‘एशियाई बाघ’ देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर डालना चाहिए। १९९७ के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों के घातक हमलों के परिणामस्वरूप दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिप्पाइन), पूर्वी एशियाई देशों (दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताईवान, हांगकांग) और मुख्य रूप से एशियाई चांपियन व अमरीकी डॉलर का प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाला

जापान की वित्तीय संस्थाएं और मुद्राएं इतनी बुरी तरह पिट गईं कि पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी देशों के बारे में गत १० वर्षों से साम्राज्यवाद द्वारा किया जा रहा आर्थिक चमत्कार वाला प्रचार का खोखलापन, १९९७ के मध्य में न केवल साफ जाहिर हो गया, बल्कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लग गया। अरबों डॉलरों की पोर्टफोलियो पूंजी (ऐसी पूंजी जो बाढ़ की तरह

आए और आसानी से वापस जाए) लगाए सट्टेबाजों ने मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ कर उलटफेर कर दिया तो इन देशों की मुद्राओं के भाव गिर जाने के अलावा उनके शेयर बाजार भी धराशायी हो गए। जुलाई-अगस्त, १९९७ में शुरू हुआ इन देशों की मुद्राओं का पतन वर्ष के अंत तक ३५ से ४५ प्रतिशत तक हो गया।

लगातार हुए इस मुद्रा संकट के परिणामस्वरूप अक्टूबर-नवंबर महीनों में पूर्वी एशिया, अमरीका और यूरोप के देशों में स्थित शेयर बाजारों में खलबली मच गई। यहां भारत में भी, चूंकि भूमण्डलीकरण के तहत विदेशी सट्टेबाजों के लिए दरवाजे खोलकर रखा गया है, पिछले ५० वर्षों में पहली बार शेयर बाजार दुनिया के अन्य शेयर बाजारों में उत्पन्न संकट का शिकार बनकर डोलता रहा। भारत में भाजपा की 'स्वदेशी' आर्थिक नीति और मध्यावधि-वार्षिक बजटों के बाद २० जून तक रुपए की कीमत में हुई भारी व अभूतपूर्व गिरावट तथा दूसरी ओर जापानी 'येन' का पतन से जापानी अर्थव्यवस्था में तहलका मचने के साथ ही साथ 'जी-७' के देशों पर भी इसका बोझ पड़ने से 'एशियाई चमत्कार' का पोल खुल गया। कोई कम्प्यूटर सूचना क्रांति द्वारा भी न रोका जा चुके इन मुद्रा संकटों ने न केवल पूंजीवाद का संकट के स्थायित्व को सुनिश्चित रूप से साबित कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि 'एशियाई बाघों' के रूप में चर्चित सभी देश मुखौटे पहने हुए हैं न कि असली बाघ हैं। संक्षेप में कहा जाए तो इन मुद्रा व शेयर बाजारों के संकटों के प्रकंपनों से विश्व की समूची पूंजीवादी व्यवस्था हक्का-बक्का रह गई। साल के अंत में भी यह नहीं संभल पाई तो यह भय फैलने लगा कि निकट भविष्य में विश्व आर्थिक व्यवस्था के सुधर जाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस विनाश-पतन के सिलसिले में जार्जि सोरेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय पिंडारियों और अन्य विदेशी मुद्रा व्यापार गिरोहों ने ही बेहिसाब मुनाफे कमाए।

'एशियाई चमत्कार' का पानी के बुलबुले की तरह टांय-टांय फिस्स हो जाना एक क्रम में ही हुआ। इसके लक्षण १९९६ अक्टूबर में ही दिखाई देने के बावजूद, १९९७ के मध्य में ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाया। चार हफ्तों की अवधि में देशों की अर्थव्यवस्थाओं को ही अस्त-व्यस्त करने वाला इस विस्फोट की शुरूआत थाईलैंड रुपए (भाट) की कीमत के एकाएक ढह जाने के साथ हुई। अब तक थाईलैंड को तीसरी दुनिया के देशों के आर्थिक विकास का एक आदर्श नमूने की तरह बार-बार प्रस्तुत किया जाता रहा। लेकिन यह देश पिछले कुछ वर्षों से गंभीर बैंकिंग समस्याओं से गुजरता आ रहा था। विशेष रूप से मुद्रा बाजार में अंधाधुंध ऋण तरीकों से अप्राप्य ऋणों का बोझ पर्वतों की तरह बढ़ गया, जिससे अनेक समस्याओं को जगह मिल गई। थाईलैंड द्वारा अपनी मुद्रा की १९८० वाली २४ भाट प्रति डॉलर की कीमत को जारी रखना विदेशी सट्टेबाजों को हरगिज नहीं भाया। इसके विरुद्ध उन्होंने आक्रमण शुरू

किया। इसके पहले इनके हमलों का थाईलैंड का केन्द्रीय बैंक ने कई बार सामना कर भाट की कीमत को टिकाए रखा। देश के अर्जित ३५ अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार ने इसकी सहायता की। इस बार भी केन्द्रीय बैंक ने ५ अरब डॉलर बाजार में छोड़ दिया ताकि मुद्रा का भाव न गिर सके। लेकिन इस बार सट्टेबाजों के आक्रमणों को रोकने में इस तरह की कोई कार्रवाई काम नहीं आई, तो बैंक ने २ जुलाई को भाट का २० प्रतिशत एकमुश्त अवमूल्यन कर दिया। ८ महीनों में भाट के मूल्य में दूसरी बार इस तरह की गिरावट आई तो पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफरा-तफरी पैदा हो गई। सट्टेबाजों ने यह सोचकर कि मुद्रा विनिमय मूल्य का पतन होना अवश्यंभावी है, मुद्राओं से खेलना शुरू किया।

बाद में उनके आक्रमण का लक्ष्य फिलीपीन बन गया। अल्प विदेशी मुद्रा भण्डार, औसत सकल घरेलू उत्पादन की तुलना में चालू खाते में भारी कमी आ जाना, घरेलू ऋण विस्तरण के लिए विदेशी मुद्रा भण्डारों पर अधिक निर्भरता आदि लक्षणों के चलते फिलिपींस सट्टेबाजों का अत्यन्त आसान लक्ष्य बन गया। ११ जुलाई तक देश के केन्द्रीय बैंक ने असहायता जाहिर की। देशीय मुद्रा 'पेसो' का मूल्य १० प्रतिशत गिर गया। इस क्षेत्र की सशक्त आर्थिक व्यवस्थाएं भी सट्टेबाजों के आक्रमणों से नहीं बच सकीं। मलेशिया के अपनी देशीय ब्याज दरों को बार-बार बढ़ाकर केन्द्रीय बैंक के जरिए एक अरब डॉलरों को बाजार में बिखेर देने के बावजूद, वह अपनी मुद्रा 'रिंगिट' का मूल्य ३५ प्रतिशत गिर जाने से नहीं रोक सका। और इस पूरे क्षेत्र में इंडोनेशिया के केन्द्रीय बैंक के विनिमय मामलो में सरल होने के बावजूद इन आक्रमणों के दौरान उसकी मुद्रा 'रुपिया' का मूल्य में अमरीकी डॉलर के मुकाबले काफी गिरावट आई।

इस पूरे प्रांत में कथित रूप से अत्यन्त सुरक्षित जगह पर स्थित सिंगापुर भी अपनी मुद्रा (सिंगपुर डॉलर) का १० प्रतिशत अवमूल्यन से वंचित नहीं रह सका। बंगलादेश, भारत जैसे दक्षिण एशियाई देश भी इसके प्रभाव का शिकार हुए। मुद्राओं का पतन से इस प्रांत के शेयर बाजारों और सम्पत्ति बाजारों में न केवल कंपकंपी पैदा हुई, बल्कि जनता की उपभोग-आदतें भी बिखर गईं। जुलाई-अगस्त महीनों के दौरान दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रांत की अर्थव्यवस्थाओं में कई बार उथल-पुथल हुई। २९ अगस्त को दूसरी बार सिर उठाए मुद्रा संकट ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों सहित इस बार हांगकांग, जापान, ताईवान और सिंगापुर की मुद्राओं को भी अपनी चपेट में ली। थाईलैंड की संसद में की गई यह घोषणा की विदेशी ऋण ९० अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, इसका तात्कालिक कारण था। अक्टूबर-नवंबर महीनों में हांगकांग, न्यूयार्क, टोक्यो, यूरोप जैसे शेयर बाजारों में शेयरों के दामों का कई बार पतन हो गया। इस तरह थाईलैंड में जन्मी चिंगारी ने दावानल बनकर शीतयुद्ध के बाद पहली बार पूंजीवाद को पूरी तरह महासंकटों में धकेल दिया।

थाईलैंड का चमत्कार

कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय प्रचार साधनों और वाणिज्य वर्गों ने तीसरी दुनिया के देशों की सभी समस्याओं का समाधान के रूप में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के 'अत्युन्नत आर्थिक विकास' को ऊंचे उठाए रखा। शुरू में दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर और हांगकांग की 'टाइगर अर्थव्यवस्थाओं' को अनुकरणीय उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया गया। बाद में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई और समसंग जैसी बड़ी कंपनियां घोर संकट में फंस गईं।

सिंगापुर, हांगकांग जैसे अत्यन्त छोटे नगर राज्यों के उत्पादनों और निर्यातों का पतन हो गया। बाद में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपींस आदि पूर्वी एशियाई देशों के मुकाबले में बने रहने के बाद अब फिसड्डी हो गए। इन्हें विशेष रूप से थाईलैंड को इस बात का उदाहरण के रूप में बतलाया गया कि उदारीकरण द्वारा सम्पत्ति बढ़ जाती है। आज वही थाईलैंड की अर्थव्यवस्था की अभूतपूर्व ढंग से तबाही हो गई। मलेशिया ने इसी का अनुसरण किया।

अब थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की वर्तमान आर्थिक समस्याओं के मूल कारणों पर नजर डालें। पहले दो देशों ने औद्योगिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी के प्रवाह पर ही अधिक निर्भर किया। जापान की पूंजी और सस्ते निर्यातों की अमरीका की मांग द्वारा उत्पन्न छोटे विकास केन्द्रों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पूंजी के लिए अत्यन्त अनुकूल देशों के रूप में इन देशों का विकास हो गया। अपने विकास क्रम के लिए ये देश प्रमुख रूप से निर्यातों पर निर्भर रहे। मिसाल के तौर पर थाईलैंड के सकल घरेलू उत्पादन में ४० प्रतिशत से ज्यादा निर्यातों से प्राप्त किया गया।

लेकिन इन दोनों देशों में अत्यन्त उदारीकृत आयात नीतियों के परिणामस्वरूप निर्यातों से कई गुणा आयात बढ़ गए। इन आयातों के अत्यधिक व्यय के अलावा विदेशी पूंजी ने अत्यधिक मुनाफे बटोर लिए। इसलिए निर्यात अनवरत बढ़ते रहने के बावजूद मुनाफों के तौर पर अधिक से अधिक धन के चले जाने से इन देशों को गंभीर चालू खाता का घाटा का सामना करना पड़ रहा है। (इसका अर्थ यह है कि निर्यातों के फलस्वरूप देश में आने वाले डॉलरों के मुकाबले देश से बाहर जाने वाले डॉलर अधिक हो गए।) दोनों देशों के पूंजी को आकर्षित करने के लिए खुले बाजार की नीति की ओर रुख करने से विदेशों से बाढ़ की तरह आ पहुंच रहे पोर्टफोलियो निवेशों (सट्टा पूंजी) से विदेशी भुगतानों की अदायगी करने की कोशिश की गई। इस पूंजी की वजह सरकार और भी ज्यादा विदेशी कर्जों में फंस गईं।

१९९६ में निर्यातों की वृद्धि के क्षीण होने से निर्यात अर्थव्यवस्था पर निर्मित समूचा वृत्त तितर-बितर हो गया। १९९६ के पहले के छह महीनों में निर्यातों की वृद्धि पर मात्र ५ प्रतिशत आंकी गई, जबकि १९९४ में यह २१.३ प्रतिशत थी तथा १९९५ में २२.५ प्रतिशत थी। थाईलैंड

के सकल घरेलू उत्पादन में तब तक ८ प्रतिशत रहा चालू खाते का भार घाटा इससे और भी बढ़ गया। यह घाटा १९८० के दशक में ३ प्रतिशत रहा। शुरू में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी (इसका उपयोग उत्पादन में होता है) से इस घाटे की पूर्ति की जाती थी। इस तरह की पूंजी हालांकि पूरी तरह आयात को बढ़ावा देती थी, फिर भी घरेलू निर्यातों को सहयोग देती थी, लेकिन १९९० से प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी का आना कम हो गया तो सट्टा पूंजी देश में तेजी से पहुंची। इसके अलावा बढ़े आयात भुगतानों के लिए पर्याप्त तेजी के साथ निर्यात नहीं बढ़े।

इससे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कर्जों के लिए झोली फैलानी पड़ी। फलस्वरूप अल्पकालिक विदेशी कर्ज बेहद बढ़ गए। शेयर बाजार के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों पर निर्भरता बढ़ गई। एक बार निर्यातों का घट जाना शुरू हो गया कि चालू खाते के घाटे के साथ-साथ 'भाट' के लिए मानो भगदड़ मच गई। इस स्थिति पर, जैसा कि कई बार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने खतरे की घंटियां बजाई तो निजी पूंजी का रिकॉर्ड स्तर पर बाहर चले जाना शुरू हो गया, जिससे विदेशी भुगतान संकट उत्पन्न हो गया।

इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय कर्जों को उतारने के लिए देश में धन की किल्लत हो गई। इससे अनिवार्य रूप से मुद्रा का मूल्य में आई गिरावट तथा देशीय पूंजी बाजार में उत्पन्न हुई उथल-पुथल के चलते थाईलैंड पहले से ताक में बैठे 'अक्टोपस' (अंमुको) के शिकंजे में चला गया। विदेशी सट्टा पूंजी का भारी प्रवाह को अपनी मुद्राओं की सुस्थिरता का सहारा के तौर पर लिए दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं उस विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर बाहर निकल जाने से भुगतान संकट के चंगुल में जाकर अपनी मुद्रा के मूल्य खो बैठी। पूंजीवादी व्यवस्था का यह साधारण संकट के थाईलैंड में ही टूट पड़ने का कारण है तमाम दक्षिण-पूर्वी देशों में से थाईलैंड का ही कमजोर कड़ी में रहना है।

थाईलैंड का संकट को दूर करने के लिए १६ अरब डॉलर की सहायता योजना घोषित किए अंमुको ने और भी मुद्रा संशोधनों सहित कई कठोर शर्त थोप दीं। मुद्रा संशोधनों का अमल के जरिए अंमुको विभिन्न देशों से अपने भारी बजट घाटे को ३ प्रतिशत तक कम करने की मांग कर रहा है। यद्यपि थाईलैंड में बजट घाटा अरसे से ३ प्रतिशत ही रहा, फिर भी शर्तों से छुटकारा नहीं मिला। इस ढांचागत समाधान योजना के चलते थाईलैंड और भी खुला बाजार नीतियों की ओर चला गया। एक दशक से अपने सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर ९ प्रतिशत बनाए रखने के बाद थाईलैंड १९९६ में ७ प्रतिशत पर पहुंच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी वर्ष यह शून्य रहेगी। इस तरह थाईलैंड का चमत्कार एक साम्राज्यवादी चाल साबित हो गया। १९९७ के अंत तक देश की मुद्रा ४० भाट प्रति डॉलर तक गिर गई। अक्टूबर, १९९६ में गिरे मूल्य को भी मिलाने से सिर्फ एक साल में भाट ने ६० प्रतिशत से ज्यादा कीमत खोई।

मलेशिया-महातीर मुहम्मद...

मलेशिया में थाईलैंड से बढ़कर विदेशी पूंजी का अंतर्वाह हुआ। लेकिन आज भी मलेशिया में आयातित पुर्जों को जोड़कर करने वाले निर्यात ही अधिकांश होता है। विदेशी पूंजी के उभार से इस देश में चालू खाते का भारी घाटा उत्पन्न हो गया। इस संकट के बारे में मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महतीर मुहम्मद से ज्यादा विस्तार से किसी ने नहीं बताया। 'एसियान' देशों के विदेश मंत्रियों का ३०वां वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए २४ जुलाई, १९९७ को उन्होंने कहा, "हम अब मुद्राओं की अस्त-व्यवस्तता के जरिए 'एसियान देशों' की सभी अर्थव्यवस्थाओं को ढहाने वाली जबर्दस्त योजना का नजारा देख रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की नीतियां ठीक हैं। लेकिन मात्र कुछ अरब डॉलरों को मुट्टी में रखे कोई भी आदमी हमारी अब तक का पूरे विकास का नाश कर सकता है। अब तक हमें यह धोलाकर पिलाया गया है कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्रों में दरवाजे पूरी तरह खुले रखे जाएं, लेकिन किनके लिए खुला रखा जाना चाहिए- कमीने सट्टेबाजों के लिए? लेकिन अपने स्वार्थ को ही परमोन्नत मानने वाले नीचों और अंतर्राष्ट्रीय डकैतों से हमें अपनी रक्षा करने की जरूरत है।"

बहुत ही खूब कहा, लेकिन जब महतीर की कथनी और करनी में मेल बैठेगा, तब ही यह सार्थक माना जाएगा। लेकिन दक्षिण एशिया में इन अंतर्राष्ट्रीय डकैतों से साठगांठ करने वाले प्रमुख साझेदारों में से डॉक्टर महातीर भी एक हैं। हालांकि महातीर ने मलेशिया की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाले जॉर्ज सोरोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों पर गंभीर हमला किया, लेकिन देश में उनके प्रवेश की अनुमति भी उसने ही दी थी। उसने देश को विदेशी पूंजी का उपहारगृह बनाया, उसी का नतीजा है, जिसे मलेशिया का विकास कहा जा रहा है। इतना होने के बाद भी वह सबक सीखने को तैयार नहीं है। आज भी महतीर का लक्ष्य यही है कि संकट निवारक कदमों को उठाकर देश को और भी उदारीकरण की ओर धकेल दे। लेकिन दुनिया इस बार यह बात स्पष्ट रूप से समझ गई कि जॉर्ज सोरोस जैसों से साठगांठ करने वालों को अंततः जॉर्ज सोरोस जैसों के हाथों ही मरना पड़ेगा।

इंडोनेशिया

वित्त पूंजी के दुष्परिणामों ने अन्य देशों की तरह इंडोनेशिया को भी जकड़ लिया। देश में बेकारी, अकाल, विदेशी ऋणों के लिए झोली फैलाई सरकार, आसमान को छूती महंगाई के अलावा इंडोनेशियावासी को कुछ नहीं मिला। इसकी आर्थिक जड़ों पर नजर दौड़ाएं।

वित्त पूंजी की विनम्र सेवा में ३० वर्षों से लगे हुए सुहार्तो के शासनकाल में 'रुपिया' का मूल्य डॉलर के मुकाबले जुलाई ९७ में २,४०० से जनवरी ९८ में १६,००० तक गिर गया। अप्रैल तक ८,००० पर संभल गया। याने 'रुपिया' की कीमत ७ महीनों में ७०० प्रतिशत गिरकर ३०० प्रतिशत पर टिक गई। 'रुपिया' के इस पतन से चावल आदि

आवश्यक पदार्थों की कीमतें पेट्रोल की कीमत को पार कर गईं। दूसरी ओर, देश के मुद्रा भण्डारों में १० अरब डॉलर ही रह गए। देश में पिछले ५० वर्षों में सबसे गंभीर अकाल व्याप्त है। विगत कुछ महीनों में आयातित वस्तुओं की कीमतों में ५० से ४०० प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इंडोनेशिया से त्वरित लाभ लूटने के लिए १३ अरब डॉलर पूंजी लगाए बैठे विदेशी बैंक अपनी पूंजी वापस लेने के लिए इस बात से व्याकुल हैं कि विदेशी मुद्रा सिर्फ १६ अरब डॉलर है तथा मुद्रा की स्थिरता के लिए सुहार्तो सरकार 'मुद्रा नियंत्रण बोर्ड' की बात कह रही है। कार्पोरेट ऋण ७४ अरब डॉलर हो गया तथा चावल आदि प्रमुख खाद्य पदार्थों, जिनकी फिलहाल किल्लत है, के आयात के लिए कहीं से भी विदेशी ऋण नहीं मिल रहे हैं।

इस नेपथ्य में मार्च में प्रस्तावित आम चुनाव के मद्देनजर सुहार्तो राष्ट्रीय नारों का रट लगाने लगा तो अंमुको ने अपने प्रस्तावित ४३ अरब डॉलर ऋण की दूसरी किश्त में देय ३ अरब डॉलरों को स्थगित कर दिया। समझौते के तहत २२ अप्रैल तक सुधारों की वचनबद्धता पूरी करना तय था। मजबूरी में सुहार्तो के पूरे मंत्रिमंडल ने सुधारों पर अमल करके अंमुको के सामने गिड़गिड़ाया कि दूसरी किश्त दे। उन सुधारों में से कुछ इस प्रकार है- पॉम आइल के निर्यात पर प्रतिबंध में ढील, उस पर निर्यात शुल्क ४० प्रतिशत रखकर उसे चरणों में कम कर देना, ढांचागत सुधारों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था का गठन, इमारती लकड़ी, लट्टों और खनिजों पर अधिक से अधिक ३० प्रतिशत तक निर्यात शुल्क कम करना, 'नया दिवालिया कानून' बनाकर उससे संबंधित मामलों के निपटारे के लिए एक वाणिज्य बैंक का गठन आदि।

उक्त सुधारों के अलावा सुहार्तो मंत्रिमंडल ने 'रुपिया' की कीमत को स्थिर रखने के लिए अपनी मुद्रा को डॉलर से गांठ मारने में ही खैरियत मानी। और उसने अंमुको से इस बात पर वार्ताएं कीं कि खाद्य पदार्थों और तेल पर सब्सीडियों में कटौती को टाल दिया जाए। अभी मुद्रा स्फीति में बेहद वृद्धि हो चुकी है। अंमुको का अनुमान था कि इस वित्त वर्ष में वह १७ से २० प्रतिशत होगी, लेकिन संशोधित अनुमान के मुताबिक वह ४०-५० प्रतिशत होगी। अंमुको के ऋणों से देश में मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकटों में बढ़ोतरी ही होगी, लेकिन कभी कम नहीं होगा। सट्टा पूंजी और शेयर पूंजी से उपजे मुद्रा संकटों से देश अंमुको के चंगुल में और भी फंस जाएगा।

सट्टेबाजों की चमकदार बिक्रियों का शिकार बनकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के शेयर बाजार मूल्यों में ३५ से ५५ प्रतिशत की घोर गिरावट आई। अक्टूबर में इंडोनेशिया के १६ प्रमुख बैंक बंद हो गए। आखिरकार तीन दशकों तक तानाशाह के रूप में विराजित राष्ट्रपति सुहार्तो की अमरीकी शोषकों के निर्देशों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पूंजी के आगे झुककर पद से हटना पड़ा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा 'वॉन' की कीमत ३० प्रतिशत गिर गई, साथ ही साथ छह बड़ी कंपनियां पूरी तरह बैठ गईं। उधर

फिलिपींस तो शुरूआती झटके भर से चौपट हो गया। भूमण्डलीकरण महम्मारी की बाहों में भर चुके इस क्षेत्र के शासक वर्गों ने मात्र दशक भर समय में अपने देशों के आर्थिक, राजनैतिक रोजगार के क्षेत्रों के अलावा सांस्कृतिक व पर्यावरणिक क्षेत्रों को भी बुरी तरह दूषित कर दिया।

मुद्राओं के बैठने के साथ ही इंडोनेशिया में शुरू होकर समूचे दक्षिण-पूर्वी एशिया के हजारों मीलों तक फैले दावानल और धुएं के बादलों ने विश्व को भूमण्डलीकरण द्वारा बिखेर दिया गया, जहरीले प्रभाव से अवगत कराया। और इस आर्थिक संकट ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की जनता के जीवन को इतना उलट दिया कि निजी हेलीकॉप्टरों सहित अपने तमाम निजी वस्तुओं की संपन्न वर्गों ने गलियों में नीलामी की तथा अधिकांश लोग विवाहों, तीज-त्यौहारों, होटल में खाने, घरेलू खर्च, जेवरात, सोना, टेलीफोन, कपड़ों की खरीदी और अपने रोजमर्रा की आदतों को त्यागने पर मजबूर किए गए। कल तक थाईलैंड के शेयर बाजारों में करोड़ों का शेयर धंधा कर चुके दलालों की आज बदहालत यह है कि सब कुछ गंवाकर राजधानी बैंकाक की गलियों में छूटकर सामान बेचकर पेट पाल रहे हैं, जिससे वहां की बिगड़ी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मौद्रिक उदारीकरण ही मुद्रा-संकटों का कारण

मौजूदा संकट की जड़ों को उदारीकरण में ढूंढना होगा। मौद्रिक उदारीकरण का मतलब पूंजी के प्रवाह पर तथा विनिमय दर पर कुछ हद तक सरकार का नियंत्रण खोना ही है। ऐसी परिस्थिति में अचानक विकासशील बाजार के रूप में मान्यता प्राप्त किसी देश में विदेशी पोर्टफोलियो पूंजी (आसानी से बाहर चले जाने वाली पूंजी) का व्यापक प्रवेश को सरकारें नहीं रोक सकतीं। इस क्रम में मुद्रा का मूल्य में अनिश्चितता को गति देता है। आयातों को सस्ते और निर्यातों को महंगे बनाने पर मुद्रा विनियम दर, चालू खाता का बहाव को तीव्रता से प्रभावित करती है। क्रमगत रूप से घरेलू पूंजी निर्यात-आया संतुलन के जरिए विदेशी मुद्रा को बढ़ाने के बजाए वित्तीय, रियल एस्टेट जैसे गैर-वाणिज्य क्षेत्रों में चले जाती है। इनके अलावा मौद्रिक उदारीकरण विदेशी पूंजी पर मुनाफों और ब्याज दरों के रूप में देश से बड़ी मात्रा में आयों को आसानी से बाहर पहुंचाता है। यह चालू खाते को और भी प्रभावित करता है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के स्वभाव को देखते हुए, ऐसे किसी भी देश में, जिसने अपने विकास के लिए निर्यातों पर निर्भरता और मौद्रिक उदारीकरण को प्रमुख चालक शक्ति के तौर पर अपनाया हो, कल्लेआमों और विध्वंस का जन्म लेना स्वाभाविक है। इस बात को दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का मौजूदा मुद्रा संकट ने पहले के मुकाबले ज्यादा स्पष्टता से साबित कर दिया। मैक्सिको से लेकर दक्षिण-पूर्वी एशिया तक के अनुभवों में अच्छी तरह साबित किया कि मौद्रिक उदारीकरणों और अंमुको की योजनाओं का अनुसरण करने वाला प्रत्येक देश को अंततया

अस्त-व्यस्त होना ही पड़ेगा।

इस बात का पता चल जाने से कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के घोर पतन के पीछे अमरीकी सट्टेबाज पूंजीपतियों का द्रोहपूर्ण हाथ ही कारण है, कटघरे में खड़े अमरीका, अंमुको और विश्व बैंक ने थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया को २०-२० अरब डॉलरों की तात्कालिक सहायता घोषित कर अपने पर लगे दाग को मिटाने का प्रयास किया। इसके बावजूद यह तूफान थम नहीं गया तो आगामी दिसम्बर में विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में “विश्वभर में मुद्रा और सेवा क्षेत्रों का बाजारीकरण” पर होने वाली अंतिम दौर की बहस के दौरान एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को कई रियायतें घोषित करने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का मुद्राओं का पतन ने साम्राज्यवादी मुद्रा संस्थाओं की विश्वसनीयता को पहले के मुकाबले बुरी तरह खत्म कर दिया। मुद्राओं की उथल-पुथल के साथसाथ हुआ विश्व के शेयर बाजारों के पतन ने इस प्रचार को साफ तौर पर खोखला साबित कर दिया कि शीतयुद्ध के बाद पूंजीवादी व्यवस्था की स्थिरता लाजवाब है।

केन्द्रीय बैंकों के मुद्रा भण्डारों को चौपट करती संकट निवारण योजनाएं

न्यूयॉर्क शेयर बाजार के पहले चरण के गतिरोध के बाद २१ अगस्त को साम्राज्यवादी बैंकों और सरकारों से युक्त एक कन्सॉर्टियम ने अंमुको की देखरेख में थाईलैंड को १७.२ अरब डॉलरों की सहायता राशि की घोषणा की ताकि उसके ‘भाट’ को टिकाए रख सके। १९९४-९५ के मैक्सिको संकट के बाद यह सबसे बड़ी सहायता राशि है। २७ अक्टूबर ‘काला सोमवार’, जिस दिन न्यूयॉर्क शेयर बाजार का दूसरी बार पतन हो गया, के चार दिन बाद वही कन्सॉर्टियम ने इंडोनेशिया को २३ अरब डॉलर की सहायता राशि घोषित की। (हालांकि अप्रैल तक अंमुको ने ४३ अरब अमरीकी डॉलर की सहायता राशि घोषित की थी, लेकिन दूसरी किश्त में देय ३ अरब अमरीकी डॉलर को उसने यह कहकर स्थगित किया कि तयशुदा आर्थिक सुधारों पर अमल नहीं किया गया।) इस योजना के तहत नवंबर के मध्य में पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया को १८ अरब डॉलर की सहायता घोषित की गई।

अंमुको के मुताबिक, कहा जा रहा है कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की स्थिरता के लिए घोषित यह सहायता योजना मैक्सिको की तरह का मुद्रा संकट को टालने के लिए ही, लेकिन यह सहायता कोष इन शर्तों पर ही घोषित किया गया कि बैंकाक और जकार्ता की सरकारें हजारों सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को एक साथ नौकरियों से हटा दें तथा मौद्रिक नीतियों का कड़ाई से पालन करें। इस ऋण से हालांकि केन्द्रीय बैंकों के मुद्रा निधि अस्थायी तौर पर बढ़ सकती है, लेकिन भविष्य में सट्टेबाजों के हमलों से अपनी मुद्रा को बचाने की नीतियों को अपनाए बिना अंमुको द्वारा घोषित यह ‘आर्थिक औषधि’ न केवल संबंधित देशों

के मौद्रिक अधिकारों को निष्क्रिय बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह ढहाने के लिए, जरूरत समझने पर, कठपुतली राष्ट्रध्यक्षों और सुहार्तो जैसे तानाशाहों को हटाने में सहायता करेगी। इसके साथ ही मौद्रिक व्यवस्थाओं के और निष्क्रिय बन जाने के खतरे के कगार से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का बच निकलना असंभव ही है।

अंमुको की सहायता कोषों की एजेंडा पर गौर करें तो ये सहायता राशियां दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के केन्द्रीय बैंकों को आंतरिक आर्थिक विकास की कोशिशें करने से रोककर उन्हें छिन्न-भिन्न करने का काम कर रही हैं। अभी तक अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और बाल्कन देशों के केन्द्रीय बैंकों को रद्द कर औपनिवेशिक शासनकाल की तरह 'मुद्रा मंडलो' का गठन किया गया। अंमुको द्वारा नियुक्त इन मंडलों के गवर्नर संबंधित देशों का नीति-निर्देशन करते हैं। वित्तीय व मौद्रिक मायाजाल का शिकार बनकर दक्षिण-पूर्वी टाइगर देश अब तक अमरीकी साम्राज्यवादियों को बेहिसाब फायदे पहुंचाते रहे। अब उन देशों में वाणिज्य की रक्षा के लिए बने आखरी अवरोधों को भी भेदने के लक्ष्य से ही ये संकट निरोधक ऋण योजनाएं बन रही हैं। अब तक कई 'एसियान' देशों के 'निर्यात के आधार पर विकसित होकर पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाने' के पीछे कारण यही है कि उन देशों ने मुक्त व्यापार की अपेक्षा घरेलू वाणिज्य रक्षाकदमों पर कुछ हद तक अमल किया। इस रक्षा घेरा को क्रमगत रूप से अंमुको जैसी मुद्रा संस्थाओं ने राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंकों पर अपनी लूटमार नीतियों को थोपकर जो मुद्रा संकट उत्पन्न किया, उसी का स्पष्ट नतीजा है कि तथाकथित 'एशियाई चमत्कार' मिट्टी में मिल गया। साम्राज्यवादी 'ब्रेडनवूड्स' मुद्रा संस्थाएं कल-परसों तक इसी आर्थिक चमत्कार को आर्थिक विजय का नमूना के रूप में विशेष रूप से चित्रित करती आईं। 'प्राकृतिक पूंजीवाद' के रूप में चित्रित मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों की आर्थिक नीति अस्त-व्यस्त हुआ और अब आलम तो यह हो गया कि मुद्रा नीतियों का निर्वहण को विदेशी ऋण संस्थाओं और वाणिज्य बैंकों ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया।

बड़े वाणिज्य बैंक भी उद्योगपतियों को दिए अरबों डॉलरों के वाणिज्य ऋणों और बॉन्ड इश्युओं को वसूलने में अक्षम हो गए। यह बोझ केन्द्रीय बैंकों पर लादकर इन वाणिज्य बैंकों ने न सिर्फ उनका रिजर्व कोष को लूटा, बल्कि मुद्रा सट्टेबाजी में भी मुख्य भूमिका अदा की। इस तरह 'एसियान' देशों के केन्द्रीय बैंकों के रिजर्व कोष को चरणबद्ध तरीके से लूट लिए ये सट्टेबाज और वाणिज्य ऋण संस्थाएं दूसरी तरफ जी-७ के देशों और अंमुको पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं कि 'विकासशील देशों की मुद्रा नीतियों का सहयोग कर उनके केन्द्रीय बैंकों की तिजोरियों को भारी तादाद में ताजा धन के ढेरों से भर दें। 'एक हाथ से दे एक हाथ से ले' जैसा कंगाल देशों के केन्द्रीय बैंक ताजा कोष से

भरे जाएंगे और फिर वह सब विदेशी सट्टेबाजों के खजाने में वापस भी जाएंगे। इसके फलस्वरूप इन चमत्कारिक एशियाई देशों में और कोई चमत्कार अगर होगा तो वह यह है कि मजदूरों और जनता के हाथों में एक बहुत बड़ा कटोरा आएगा भीख मांगने के लिए।

मुख्य रूप से इधर सरकार नियंत्रित ऋणों और उधर विदेशी ऋणों पर आधारित सभी देशों को पूंजीवादी मुक्त बाजार द्वारा दी गई कठोर सजा भुगतनी पड़ी। अंमुको द्वारा स्वीकृत अरबों डॉलर की ऋण सहायता योजनाओं ने भी इस संकट को नहीं टाल पाया। धराशायी हुई मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को १९९५ में अमरीका और अंमुको ने 'विश्वसनीयता' के डर से जिस गजब की तेजी के साथ सुधारा, आज वह परिस्थिति नहीं है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को उभार सकने वाले 'गॉड फादर' का नामोनिशान तक नजर आ रहा है। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में नाम कमा चुके इन देशों को मुद्रा मूल्यों का पतन से भविष्य में निर्यातों के मामले में गलाकाट व विध्वंसकारी आपसी स्पर्धा अवश्यभावी है। उसी तरह इन देशों के निर्यातों को पहले जैसा बड़े पैमाने पर पचा लेने की स्थिति में जापान और पश्चिमी देश नहीं हैं। गिरता 'येन' का मूल्य को बचाने की 'जी-७' देशों की कोशिशें तथा एशिया महाद्वीप में जापान का आधिपत्य को बनाए रखने के लिए 'एशिया विकास बैंक' के असीमित कोष उक्त संकट को टाल नहीं सकते। यह पहले ही साबित हो चुका है। अब तक विस्मृत देशीय मांग को पुनः पैदा करना ही इन देशों की समस्याओं का मूलभूत समाधान है। लेकिन, निर्यातों की बाढ़ के मायाजाल में फंसकर, औद्योगिक संस्थाओं के हितों को ही परम कर्तव्य मानकर वर्तमान संकटों को अंमुको की पैकेज से पार करने की सोच रहे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश इन संकटों से ईमानदारी से सबक सीखने को तैयार नहीं है।

म्यानमार में आंग सांग सूचि के नेतृत्व में जारी विपक्षी पार्टियों के आंदोलन हो या इंडोनेशिया में उठा छात्र आंदोलनों का तूफान हो या 'अंतर्राष्ट्रीय डकैतों' के बारे में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मुहम्मद का भाषण हो, 'स्वदेशी' जपमाला पहनी भाजपा की 'आर्थिक स्वाधीनता', क्लिंटन का नजरअंदाज कर परमाणु बम विस्फोट किए नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तानी शासक कोई भी हों, एशियाई देशों में तेजी से पनप रहे मुद्रा और शेयर मूल्यों का पतन को रोकना संभव नहीं है। यह पूंजीवाद का कैसर है। शासकों की अनायास कथनी और करनी से यह हल होने वाला नहीं है। नेतृत्व बुरुज्वाओं के हाथों से मजदूर वर्ग के हाथों में आए बिना जन आंदोलनों की सफलता असंभव है। तब तक साम्राज्यवादियों के सेवक बुरुज्वाई शासक वर्ग दमन को जारी रखते हैं। इन देशों की जनता के संघर्षों के जरिए ही जनविरोधी नीतियों को रोका जा सकता है। यह मजदूर वर्ग के नेतृत्व में ही संभव है।

* * * * *

कांड्रेगुला सत्यनारायण (शंकर भैया) को लाल-लाल जोहार !

कॉमरेड कांड्रेगुला सत्यनारायण (शंकर भैया) को गंभीर अस्वस्थता के मद्देनजर पार्टी के काम पर फरवरी १९९६ में पूर्व रीजियन से महाराष्ट्र भेजा गया था। वहां के आंदोलन की आवश्यकताओं के तहत वे 'भिवांडि' के मजदूरों में काम कर रहे थे। करीमनगर (आंध्र) जिले के एक साथी भिवांडि में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। कॉमरेड शंकर उस साथी से मिलते हुए राजनीति समझाया करते थे। उक्त कार्यकर्ता १९९८ में संक्रांति त्यौहार पर जब अपने वतन गए थे तो आंध्रप्रदेश विशेष कार्यदल के पुलिस वालों ने उनकी गिरफ्तारी की। तीव्रतम यातनाओं को वह झेल नहीं सके और उसने पुलिस के सामने समर्पण कर शंकर भैया का पता बताया। हंतक पुलिस ने भिवांडि से चोरी से कॉ. शंकर का अपहरण कर फरवरी १९९८ में करीमनगर जिले के ग्रामीण अंचल में झूठी मुठभेड़ में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

कॉमरेड कांड्रेगुला सत्यनारायण (शंकर) का जन्म आंध्र के पूर्व-गोदावरी जिला स्थित ग्राम पोद्दापालेम के एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। ७वीं कक्षा तक पढ़कर आर्थिक तंगी के चलते वे पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सके। सिर्फ जीविका के लिए नहीं बल्कि परिवार का भार ढोने हेतु वे बतौर दैनिक मजदूर बिजली मरम्मत काम में शामिल हो गए थे। एक दिन दुर्घटनावश वे बिजली के गंभीर झटके के शिकार हो गए थे जिससे उनका बाया हाथ निष्क्रिय हो गया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने क्रांति की नाव को एक ही हाथ के बल पर चलाया। १९८१ से ८३ तक विभिन्न जन संगठनों में काम करके ८३ में कोनालोवा क्षेत्र में दल सदस्य के तौर पर उन्होंने पूर्णकालिक क्रांतिकारी जीवन का आरंभ किया। क्रांति से उनका पहला सम्पर्क से लेकर शहादत तक उन्होंने कई ज्वार-भाटाओं को झेला। बंगाल की खाड़ी से सटे पूर्वी पर्वत श्रृंखला में अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करके अरब सागर के तट तक विस्तारित कर अपने चरणबद्ध प्रयासों के जरिए जनता की सेवा करते हुए धरती मां के वीर सपूत शंकर भैया ने इस धरती मां की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। उस कॉमरेड को लाल-लाल जोहार !

१९८४ तक संगठनकर्ता के रूप में अपनी क्षमताओं को विकसित कर शंकर भैया ने 'पिडतामामिडी' क्षेत्र के संगठनकर्ता की जिम्मेदारी उठाई। कुछ ही समय में जनता को संघर्ष में उतारा। तेंदूपत्ता, पेपर मिल

मजदूर संघर्षों तथा वन व बंजर जमीन का आक्रमण संघर्ष में जनता को उन्होंने बड़े पैमाने पर गोलबंद किया। स्वयं वे स्थानीय आदमी होने के कारण उस क्षेत्र के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों को जल्दी से समझकर वर्ग संघर्षों में जनता को उतार सके। भू-स्वामियों की पट्टा जमीन पर कब्जा करने को जनता को गोलबंद कर सके। जून, १९८५ तक 'पिडतामामिडी' क्षेत्र में स्थित तक छोटे से गांव पर पुलिस के कई हमलों के बावजूद जनता ने शंकर भैया को अपनी आंखों रखकर बचा लिया।

इस तरह उन्होंने भू-स्वामियों और पुलिस की नींद हराम कर दी। मैदानी व आदिवासी किसानों से घुल-मिलकर उनकी समस्याओं को समझकर उनका हल करने में उनकी खासी कुशलता रही। १९८५ से गंभीर दमन के मध्य जनता का साथ न छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी द्वारा सौंपी गई कई जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पूरा किया। १९८६ में आत्मरक्षात्मक कदमों के तहत पिडतामामिडी एरिया को वापस लिया गया तो वे येल्लवरम दल में रहते हुए कॉमरेड बालोजि सत्तिबाबू के शहीद होने के बाद कुछ समय तक कमांडर रहे। १९८६ में उन्होंने (जेडुगि-एस. पैडिपाला) नागुलाकोंडा क्षेत्र में संगठनकर्ता की जिम्मेदारी उठाई। १९८७ में पूर्व डिवीजन के प्रथम अधिवेशन के पहले प्लेनम तथा उसी वर्ष फरवरी में सम्पन्न दण्डकारण्य के पहले अधिवेशन में प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया।

१९८८ में नागुलाकोंडा और काकरपाडु क्षेत्रों को मिलाकर छोटा दल का गठन किया गया था, जिसका नाम 'नागुलाकोंडा' ही रखा गया और कॉमरेड शंकर इस दल के कमांडर रहे। १९८९ में जब वह बड़ा दल के रूप में विकसित हो गया तो कॉ. शंकर ने ही उसे सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया।

क्रूर राज्य दमन के दौरान के दौरान एक तरफ कई कॉमरेड शहीद होने लगे थे, साथ-साथ उनको जल्दी-जल्दी क्षेत्र बदलना पड़ा और इसके बावजूद कुछ दिक्कतें झेलकर भी उन्होंने क्षेत्र पर पूर्णज्ञान हासिल करते हुए जनता को गुप्त जनसंगठनों में गोलबंद किया तथा संगठन के नेतृत्व को पार्टी सदस्यों के रूप में विकसित कर 'पार्टी सेल' (पार्टी टोलियों) और 'कैंडिडेट सेल' (प्रत्याशी टोलियों) में संघटित किया। नौजवानों

को इकट्ठा कर उन्हें प्रशिक्षण देकर ग्रामरक्षक दलों में संघटित किया।

नल्लाबेल्लि चिट्टेबाई जैसे जनद्रोहियों का सफाया करने में कॉ. शंकर भैया अगुवा रहे। योजनाबद्ध तरीके से लुटेरे सरकार द्वारा जारी तीव्र दमन के तहत हतक पुलिस बलों द्वारा जनता की खेतों-झोपड़ियों को जलाकर तथा झोपड़ियों पर अंधाधुंध गालीबारी करके लोगों को घायल करने तथा महिलाओं की आबरू लूटकर श्वेत आतंक फैलाने के बावजूद शंकर भैया ने जनता का साथ नहीं छोड़ा, भूख से तड़पते लोगों का धीरज बांधकर धैर्य के साथ फिर से जमीन-संघर्ष के शोले भड़काए। उनका बलिदान जनता के दिलों में सदैव 'चोट्टेन्ना' (उनका एक हाथ अचेत होने के कारण जनता ने प्रेम से उन्हें यह नाम दिया) के रूप में अमर रहेगा। एक हाथ से अपंग होने के बावजूद, एक ही हाथ से बंदूक पकड़कर दुश्मन के आमने-सामने होते ही त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए फायर करने में उन्होंने छापामारों के लिए अपने आपको मिसाल के तौर पर पेश किया। कई मुठभेड़ों के दौरान पहलकदमी के साथ बंदूक चलाते दुश्मन के आक्रमणों को नाकाम करके कमांडर के रूप में सामयिक आदेश जारी करके उन्होंने दल को सुरक्षित बचाया।

अपनी स्वाभाविक शारीरिक कमजोरी के बावजूद उन्होंने पहाड़ों की सीधी चढ़ाई, अपर्याप्त भोजन व नींद, दिन-रात चलने आदि मुसीबतों को झेलने में आदर्श स्थापित किया। पार्टी अनुशासन का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी न कतराते हुए हमेशा हंसते-हंसते वे साथी दल सदस्यों व पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया करते थे। मई, १९८९ में उन्होंने डिवीजनल कमेटी सदस्य की जिम्मेदारी उठाई। काम-विभाजन के अंतर्गत शबरि-कलिमेला प्रांत को ठोस मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उन्होंने डिवीजन व्याप्त विषयों को समझने का विशेष प्रयास किया। कम पढ़ाई के कारण सामान्य ज्ञान में तथा राजनैतिक ग्रंथों का अध्ययन कर अवगत होने में कुछ उनकी सीमाओं के बावजूद वे उन विषयों को जिनकी जानकारी उन्हें नहीं होती, साथी कॉमरेडों से- भले ही उनका स्तर स्वयं से कम क्यों न हो- सीखने में विनम्रता बरतते थे।

'पैला गिरोह' (अब की 'न्यू डेमोक्रेसी') की गुण्डागर्दी, धमकियों तथा आक्रमणों को झेलकर, डटे रहकर जनता में उनका भंडाफोड़ कर निष्क्रिय बनाने में भी शंकर भैया अग्रिम पंक्ति में रहे। विनोद मिश्रा के नेतृत्व वाली संशोधनवादी भाकपा (मा-ले) की राजनीति का जनता में पोल खोलकर उन्होंने जनता को क्रांति की राजनीति में गोलबंद किया।

डोंकराह प्रांत के 'कोंडारेड्डि' समुदाय के आदिवासियों और कलिमेला क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समझकर अनेक संघर्षों का नेतृत्व किया। जन संगठनों और पार्टी संगठनों में जनता को संघटित करते हुए जनता को व्यापक तौर पर गोलबंद किया।

शंकर भैया राजनैतिक अध्ययन के प्रति हमेशा तत्पर रहते थे। समय को व्यर्थ न गंवाते हुए दल सदस्यों और पार्टी सदस्यों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करते थे या फिर बंदूकों की मरम्मत करते थे। और वे आंदोलन की जरूरतों की मद्देनजर अनेक चीजों को खोजने की सोचा करते थे। आंदोलन के दौरान अपनी ओर से हुई गलतियों को समझकर अपनी इकाई में भी तथा समुचित मंचों पर आत्मालोचना पेश करते थे। सभी के साथ उनका मिलनसार व्यवहार रहा। आंदोलन के स्तर के अनुरूप स्वयं का स्तर न बढ़ने तथा अपने स्तर का काम करने की बात स्पष्ट रूप से कहकर उस पर अमल करने वाले सच्चे लेनिनवादी थे हमारे कॉमरेड शंकर। इस क्रम में उन्होंने शबरी दल कमांडर की जिम्मेदारी स्वीकार की तथा उसके बाद १९९५ तक कोरूकोंडा दल के कमांडर रहे।

अपने साथी डिवीजनल कमेटी सदस्यगण के गैर-सर्वहारा विचलन के शिकार होकर आंदोलन को छोड़कर भागजाने के बावजूद, तीव्र दमन में कुछ कॉमरेडों के शहीद होने के बावजूद वे कभी हौसलेपरस्त नहीं बने। क्रांति के प्रति अटल विश्वास के साथ वे अपनी अंतिम सांस तक जनता में जिए। १९८५ व १९९१ में पार्टी में उत्पन्न आंतरिक संकटों में शंकर भैया ने सही राजनीति को चुन लिया। १९९२ अक्टूबर में डोंकराह के पास दुश्मन पर घात लगाकर किए गए हमले में उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। १९९३ जनवरी में सम्पन्न दण्डकारण्य के पहले अधिवेशन के पहले प्लेनम में प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेकर राजनैतिक, सांगठनिक व फौजी कर्तव्यों को प्रारूपित करने में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ-साथ २८ दिसम्बर, १९९४ से १ जनवरी १९९५ तक आयोजित पूर्व डिवीजन के दूसरे अधिवेशन में भी भाग लेकर उन्होंने राजनैतिक, सांगठनिक व फौजी कर्तव्यों को तय करने में अपनी भूमिका निभाई।

उनकी अस्वस्थता के चलते उच्च कमेटी ने तय किया कि नित्य दमन में उनका दण्डकारण्य में रहना उचित नहीं होगा। उनको बंबई नगर कमेटी के नेतृत्व में तेलुगु जनता को संघटित करने की जिम्मेदारी दी गई। १९९६ से ९८ तक दो वर्ष 'भिवांडि' के मजदूरों को संघटित करने के काम में रहते हुए गदारी के चलते शंकर भैया दुश्मन के गिरफ्त में आ गए। पार्टी की त्यागपूर्ण परंपराओं को ऊंचे उठाते हुए उन्होंने देश की मुक्ति के खातिर अपनी जान दी। आसमान को छूते जा रहे 'मन्मय' (पूर्वी डिवीजन क्षेत्र को 'मन्मय' कहा जाता है जो भारत की आजादी की लड़ाई के अंतर्गत अछूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुए विद्रोह के लिए भी याद किया जाता है) संघर्ष को प्राथमिक स्तर के छापामार इलाके के रूप में विकसित करने सक्रिय भूमिका निभाए। उस कॉमरेड के बलिदान को अनेक छापामार इलाकों में उद्घोषित करेंगे- हमारे आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे।

★ ★ ★ ★ ★

कॉ. बाजीराव आतला को लाल-लाल जोहार !

जनता को मारकर जनधन का वितरण

दण्डकारण्य के गढ़चिरौली डिवीजन के महाराष्ट्र पुलिस बर्बरता का पर्याय बन चुकी है। आदिवासी किसानों को तरह-तरह से प्रताड़ित करते हुए हत्याएं भी कर रही है वह। क्रांतिकारियों को सहयोग देने की आड़ में मनमानी जुल्म चलाते हुए जनता की पीड़ा बनी हुई है। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं का भेदभाव किए बिना बंदूक की नोक पर सभी पर हिंसाचार कर रही है।

क्रांतिकारियों को आश्रय व अन्न-पान देने की भनक लगने भर से पुलिस के झुंड का गांवों पर टूट पड़ना, अंधाधुंध मारपीट आम चीज हो गए। गांव में पुलिस के विरुद्ध अगर कोई एक शब्द कहेगा तो उनको सलाखों के पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस जिले में "जनतांत्रिक" अधिकारियों का नामोनिशान तक नहीं दिखता और नागरिक इंसाफ का पता नहीं चलता। जनता अपने ऊपर हो रहे जुल्मों और अत्याचारों पर जुबान खोलने से भी वंचित की गई। पुलिस ने मुखबिर तंत्र का इस तरह विकास किया कि जनता में आपसी विश्वास लुप्त हो जाए, जिससे अपने उल्लू सीधा हो जाए।

कोई आदिवासी किसान किसी काम पर जंगल में जाए तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वह सकुशल वापस आ जाए। मुंह उजाले कोई घर से निकले तो यह भरोसा कम ही है कि कहीं से पुलिस की गोलियों की बौछार न बरसे। नालों-नहरों और तालाबों में कोई मछली पकड़ने जाए या अंगीठी जलाए या फिर बैटरी लाइट जलाए तो उन्हें निश्चित ही पुलिस की गोलीबारी का सामना करना पड़ेगा। इस तरह कदम-कदम पर खतरों से गुरजते जी रही जिले की जनता को कुचलने के लिए मौजूदा ३००० बलों के अलावा १६ अन्य पुलिस थानों को खोलने की सरकार मंजूरी दी।

अभी जिले में मौजूद ४८ थानों के पुलिस जवान मुख्य रूप से संघर्षरत गांवों पर केन्द्रित कर रहे हैं। इन गांवों के लगभग ३ लाख लोगों पर १०० के मुकाबले १ के अनुपात में पुलिस मौजूद है तो अब और कई नई बंदूकें तानी जाएंगी तो हालात कितने बदतर होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। एक शब्द में जिले की स्थिति की व्याख्या की जाए तो एक बार पुलिस की यातनाएं झेले किसी भोले-भाले किसान खाकी वर्दी को देखकर ही कांप जाता है। जब किसानों को दुबारा पकड़े जाने का डर लगता है तो कई निरीह किसान आत्महत्या की शरण ले रहे हैं।

इस हंतक व्यवस्था ने दामारंचा निवासी कॉमरेड कोहला आत्रम की जान आत्महत्या के रूप में ली जो एक ताजा उदाहरण मात्र है। इधर १८ अक्टूबर १९९७ को हुई एकतरफा और अंधाधुंध गोलीबारी तो पुलिस की बर्बर प्रवृत्ति की जबर्दस्त मिसाल है।

बाजीराव आतला कभेली गांव का निवासी और गरीब किसान था। उनके पत्नी और दो बच्चे हैं। कन्नैली के ४० मकानों में आतला की झोपड़ी ही अत्यन्त शिथिल है।

राजनांदागांव, बस्तर और गढ़चिरौली की सीमा में स्थित इस गांव में कब, कौन, कहां से बंदूकें लेकर आ धमकेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। सभी ग्रामवासी आदिवासी ही हैं।

गांव के आसपास दल के मुकाम करने की गलत सूचना के आधार पर महाराष्ट्र के पेंडरी थाने की पुलिस निकल पड़ी। इनके साथ ही विशेष कमांडो भी आ गए। जिले में इतने सुनियोजित तंत्र है कि जिले के किसी भी कोने से नक्सलवादियों की भनक भर लग जाए तो स्थानीय थाना पुलिस की मदद में कमांडो बल भी पहुंच जाता है। शाम ढले गांव के किनारे पुलिस घात लगाए बैठे रहे।

इस हंगामे का कोई किसान को पता नहीं है। अपने-अपने काम पर मुंह अंधेरे घरों से निकले किसान शाम को थके-मारे गांव की ओर लौट पड़े। उनमें से बाजीराव आतला भी एक था। दो अन्य किसानों से जीवन व्यथाओं पर बोलते-बतियाते वह आने लगा कि अचानक उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार हुई। भौचक्रे रह गए किसानों ने थोड़ा संभलकर चिल्लाया, "हम किसान हैं, गांव वाले हैं" लेकिन सुनने की क्या गर्ज है? तीनों मेंसे बाजीराव आतला मौके पर ही धराशायी हो गए। दो अन्य किसान बाल-बाल बच गए।

इस खबर से गांव में खलबली मच गई। पुलिस की करतूतों से पहले ही तंग आ चुकी जनता को यह बरदाश्त नहीं हुई। आतला की जान लेने वाले दरिंदों को सजा मिल जाए कहकर आतला के सभी परिचित साथी आवाज उठाए। लाश के पास जमा हुए २०० किसानों के दिल पसीज गए। तत्काल कलेक्टर से शिकायत की गई, पुलिस के हत्याकांड की व्यापक भर्त्सना हुई।

कलेक्टर कन्नैली पहुंच गया। जनता के सामने उसने खाकियों का जुल्म का खण्डन किया। उसने जनता को इस बात को अन्यत्र न उठाने पर मजबूर किया और स्वयं ही कार्रवाई करने की ढोंगी हामी भरी। सीधी

पुलिस की बर्बरता का शिकार
कॉमरेड बाजीराव आतला

हत्याएं करने वाले खाकी वर्दीधारियों को पहचानने वाली जनता इस सफेदपोश मीठी छुरी को इनकार नहीं कर सकते। १० हजार रुपए का चेक हाथों में थाम दिया कलेक्टर ने। बाद में अन्य डेढ़ लाख रुपए को बैंक में डाले। आतला की पत्नी को नौकरी की पेशकश की उसने। लेकिन अपने पति को मारकर पैसों से मुंह बंद कर और उन्हीं हत्यारों की सेवा में संलग्न करवाने की सरकार की साजिशों को उन्होंने बेहिचक ठुकराकर अपने आपको जनता के पक्ष में रखा।

पेंढरी की ही पुलिस ने विगत जून १९९६ को तालाब में मछली मार रहे आदिवासियों पर ७६ चक्र गोलियां चलाई थी। किसानों ने पानी में डूबकर अपनी जानें बचाईं। और ७ मार्च १९९६ को वही पुलिस ने इस भ्रम से कि नक्सलवादी थाने के नीचे बारूदी सुरंग लगा रहे हैं, थाने के अंदर से गांव की गलियों में २०० चक्र अंधाधुंध गोलियां चलाईं। सितंबर १९९७ में उन्मादी पुलिस की गोलीबारी में दो निरीह मवेशियों की जानें गईं।

इस तरह एटापल्लि दलक्षेत्र में पेंढरी पुलिस पागल कुत्तों सा व्यवहार कर रही है। जनघाती बनी हुई है। ये पुलिस को जनता की क्रोधाग्नि में निश्चित रूप से झुलसना पड़ेगा।



महाराष्ट्र पुलिस की बर्बरता में जान गंवाए किसान

नाम	ग्राम	कैसे	दलक्षेत्र	साल
१. कॉ. पापैया	चिनावटरा	फांसी से	अहेरी	१९९३
२. कॉ. चिनावेंकटि	चिनावटरा	फांसी से	अहेरी	१९९३
३. कॉ. सनकु ऊसेंडी	रोडोवाहि	मारपीट	एटापल्लि	१९९६
४. कॉ. एडका आत्रम	कुडिकेलि	हिरासत में	अहेरी	१९९६
५. कॉ. तकेल्ल मल्लैया	दामारंचा	फांसी से	अहेरी	१९९५
६. कॉ. कोहला आत्रम	दामारंचा	फांसी से	अहेरी	१९९५
७. कॉ. रैनु			जेल में अस्वस्थता से टिप्पागढ़	
८. कॉ. बालाजी	बोड्डापल्लि		जेल में अस्वस्थता से टिप्पागढ़	
९. कॉ. देवना	बंगारमपेटा		जेल में अस्वस्थता से अहेरी	

० कॉमरेड बाजीराव आतला अमर रहे !

० पुलिस की सभी मुठभेड़ें हत्याएं ही हैं।

० पुलिस जुल्म का नाश हो।

० भोली-भाली जनता की जानें लेकर पैसों से मुंह बंद करने वाली राज्य की हंतक कार्रवाईयों को संघटित प्रतिरोध के जरिए मात दें।

साक्षात्कार

ग्राम राज्य कमेटी को और भी सुदृढ़ बनाया है

- कॉमरेड इडुमाल, (ग्राम राज्य कमेटी अध्यक्ष)

वैनगॉर्ड संवाददाता :-
आपके गांव में जीआरसी की स्थापना कब की गई?

अध्यक्ष :- मार्च, १९९५ में हमारे गांव में ग्राम कमेटी का गठन किया गया। बाद में, संघ की ग्राम कमेटी तथा सत्ता संस्था ग्राम कमेटी के बीच इस नाम से अस्पष्टता पैदा होने के चलते पार्टी ने उसका नाम बदलकर ग्राम राज्य कमेटी रखी। हमारे क्षेत्र में वर्ग-संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले गांवों में हमारा गांव एक है।

पहले कमेटी में हम पांच सदस्य थे। इनमें से दुर्घटनावश एक कॉमरेड की मृत्यु हुई, चार ही रह गए। बाद में हमने तीन अन्य लोगों को

(दक्षिण बस्तर डिवीजन के ग्राम सामुलादोड्डि के ग्राम राज्य कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड इडुमाल से जनवरी, १९९८ में 'वैनगॉर्ड' (पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र) के संवाददाता ने भेंटवाती की। उन्होंने गांव की परिस्थिति पर लंबी चर्चा की। उस चर्चा के दौरान व्यक्त किए गए विषयों का अक्षर रूप है यह। पूरी बातचीत गोडी में हुई। जहां कॉमरेड इडुमाल स्पष्ट तौर पर कह नहीं सके, दक्षिण बस्तर डिवीजन पार्टी के दो कमेटी सदस्यों ने उनकी मदद की तथा 'वैनगॉर्ड' के संवाददाता के सभी सवालों के जवाब दिये। तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर गांव का नाम और अध्यक्ष का नाम बदल दिए गए।)

- संपादक

चुन लिया। इससे कमेटी में सात हो गए। हमारी कमेटी के हम सातों सदस्य आमतौर पर कोई न कोई जन-संगठन से ही आए हुए हैं।

वर्ग के बारे में बताने से पहले आपको यहां की विशेषता बतानी होगी। आपने पहले ही देखकर समझा होगा कि आपके मैदानी प्रांतों के वर्गों से यहां अंतर होता है। पिछड़े आदिम कबीलों की आर्थिक नीति है हमारी। गांव में थोड़ा-बहुत जमीन सभी को है। लेकिन वर्ग-संरचना की कबीली-अर्थव्यवस्था से बाहर के वर्गों से

तुलना नहीं की जा सकती। हमारे दक्षिण बस्तर में पार्टी द्वारा स्थूल रूप से बनाया गया वर्ग-आधार देखिए:-

- १० बोरा (साढ़े सात क्विंटल) धान या इससे कम उगाने वाले को हमने गरीब किसान कहा।

इस हिसाब से देखा जाए तो अन्य वर्ग इस तरह हैं:-

- २० बोरा तक उगाने वाला किसान को हमने मध्यम वर्ग में रखा।

५० बोरा तक उगाने वाला धनी किसान।

- ५० बोरा से अधिक उपज और अन्य आय के स्रोत वाला को 'भूस्वामी' कहा गया।

इस गणना को ध्यान में रखकर देखा जाए तो हमारी ग्राम राज्य कमेटी में मौजूद सभी सदस्य गरीब व मध्यम किसान ही हैं। अधिकतर गरीब किसान हैं। पुरुषों की उम्र २५ से ४० वर्ष तक है, जबकि महिला कॉमरेडों की उम्र २२ और २३ वर्ष है। मैं सात साल से संघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ, जबकि मेरे सभी साथी औसतन चार वर्षों से संघ में काम कर रहे हैं।

वैनगॉर्ड :- गांव में कौन-कौन से जन-संगठन व अन्य संगठन हैं? वे क्या-क्या काम करते हैं? विस्तार से बताइए।

अध्यक्ष :- हमारे गांव में पहले डीएकेएमएस ने काम शुरू किया। बाद में जब महिलाओं की हलचल शुरू हुई, तब से केएएमएस और बाल संगठनों का निर्माण हो गया। इनका काम करने के दौरान पार्टी ने कुछ अन्य संगठनों को शुरू किया। कैंडिडेट सेल और ग्राम रक्षक दलों का गठन किया गया और उनका काम शुरू हो गया। उसके बाद बीज (धान) सहकार संघ का गठन किया गया। ये सब अपने काम कर रहे हैं। इस दौरान कुछ फेरबदल करने पड़ रहे हैं। जीआरसी की एक सदस्या को अलग-अलग कारणों से केएएमएस में पूर्ण समय काम करने के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ा। उनकी जगह में एक अन्य कॉमरेड को हम लेने जा रहे हैं। स तरह के बदलाव जरूरी होते हैं।

इनके अलावा जहां तक अन्य संगठनों का प्रश्न है, मुख्य रूप से ग्राम राज्य कमेटी के गठन के बाद कुछ अन्य कमेटियों का गठन कर उनमें एक-एक ग्राम राज्य कमेटी सदस्य सहित गांव के दूसरे व्यक्तियों को चुन लिया गया। उनका काम तरीका सुधारकर जीआरसी के तहत संचालित किया जा रहा है। वे हैं-

१. शिक्षा और चिकित्सा कमेटी

इनमें तीन सदस्य हैं। हमारे गांव से १५ कि.मी. के अन्तर्गत कहीं भी इलाज नहीं मिलेगा। पुराने इलाज करने वाले भी कोई नहीं हैं। पार्टी की सलाह पर गांव में उपचार केन्द्र खोला गया। उसी तरह शिक्षा भी। हालांकि स्कूल तो है, लेकिन गुरुजी नहीं आता। हमने कई बार गुरुजी को बताकर देखा। आऊंगा कहता है, नहीं आता। जीआरसी ने स्वयं एक नए गुरुजी की नियुक्ति की।

इसलिए जीआरसी इन दोनों विषयों के लिए एक कमेटी बनाई। और आवश्यक नीतियों पर अमर कर रही है।

२. विकासकमेटी

इसमें भी तीन सदस्य हैं। यह गांव में विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करती है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये जनता को एकत्र करती है। सभी किसानों को बीज, फलदार पौधे मुहैया कराने की योजना बनाती है। पार्टी से चर्चा करके अब तक हमने सामूहिक रूप से एक तालाब और कुएं का निर्माण किया। और भी कई काम करना बाकी हैं। गांव में अब तक बैलगाड़ी नहीं है। अन्य आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। हम यहां की जरूरतों के लिए उपयुक्त तरीके खोज रहे हैं। इसमें पार्टी के सुझाव और मार्गदर्शन ही महत्वपूर्ण है।

३. कांजीहाउस कमेटी

इसके भी तीन सदस्य हैं। हमारे कबाइली तौर-तरीकों में कभी हमारा कांजी हाउस नहीं रहा। **अबूझमाड़ जैसे पिछड़तम क्षेत्रों में कृषि में पशुओं का उपयोग आज भी नहीं है।** हमारे यहां सीजन में काम खत्म होने के बाद मवेशी यूं ही घूमते रहते हैं। वे खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछेक बार ऐसा होता है कि फसल के मालिक चोर मवेशी को जंगली जानवर की तरह तीर चलाकर मार देता है। अब ऐसा नहीं है। दस रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। अगर नुकसान ज्यादा हो तो कमेटी सदस्य जितना तय करते हैं, उतना मुआवजा भरना पड़ता है।

४. 'जंगल बचाओ' कमेटी

इसमें भी तीन सदस्य हैं। एक समय हमारा समूचा क्षेत्र घना जंगल था। अब यह एकदम विरल हो गया। आप देख रहे हैं न! इधर उत्तर बस्तर और आंध्र से भी लोग जीविका की तलाश में आ बस गए। उन्होंने जंगल काटा। जंगलात वालों ने भी जंगल कटवाया। हम भी काटते हैं। अब इस तरह की मनमानी कटाई हमने बंद करा दी। 'जंगल बचाओ' कमेटी अब किसी को जंगल काटने नहीं देती।

वैनगॉर्ड :- जमीन की समस्या किस तरह है? पट्टे है? प्रवासन की समस्या अब कैसी है? जीआरसी की इसमें क्या भूमिका है?

अध्यक्ष :- जीआरसी की स्थापना के बाद हमने जाना कि यह गांव, जंगल, जमीन सभी का संचालन हमको ही करना है। बाहर की सरकार और यहां गांवों में पहले प्रचलित तरीकों से एकदम अलग, नई सरकार का गठन करना है हमें। गांव में हमारी सरकार बन जाए। **समूचे क्षेत्र में छापामार दलों का मजबूत निर्माण हो।** कोई भी आदमी यह बात आसानी से समझ सकता है कि हमारा गांव छापामार दलों के आने से पहले कैसा था और अब कैसा है। जंगल बस्तियों में जमीन की किल्लत बहुत कम है। हमारे गांव में अभी जमीन की खरीद-फरोख्त का प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन पुरानी जमीन की सरकार द्वारा दिए गए पट्टे हैं। पिछले १५ वर्षों से कभी पट्टा वितरण मैंने नहीं देखा। अब, १९९७ से हम ही नई जमीन के पट्टे दे रहे हैं। (वहां उपस्थित जिम्मेवारों ने पट्टा का नमूना

दिखाया।) अब नए तौर पर जंगल कटाई बंद है। गए दस साल से प्रवास आना हमारे क्षेत्र में प्रवास बंद होकर और ज्यादा साल हो गए, दादा।

वैनगॉर्ड :- गांव में अब सामूहिकता कैसी है? जीआरसी के सीधा बताए कामों में जनता की भागीदारी कैसी है?

अध्यक्ष :- गांव में हमने फलदार वृक्ष बोए, और कटहल के बीज बोए। तालाब में सामूहिक रूप से मछली पालन शुरू किया। अब सामूहिक जमीन में धान नहीं, बल्कि मूंगफली और चना के बीज बोए। और भी आपको बताना है तो पहले हमारा इतिहास बताना होगा।

दरअसल, हमारी आदिवासी परम्परा में सामूहिक काम तरीका प्रचलित था। मेरी उम्र बढ़ते-बढ़ते यह घटता आ रहा है। मेरी उम्र लगभग ३४ साल है। अब यहां उगे अनाज को दुकानों और हाट-बाजारों में लेकर जाना और वहां से जरूरी चीजों को खरीदकर लाना बढ़ गया। सामूहिक कार्य कम हो गए। जीआरसी फिर से जनता को सामूहिक कार्यों में ले जा रही है। तालाब और कुंए का निर्माण में इस तरह जनता ने सामूहिक कार्य किया। जोताई में भी दो-दो दिन सभी अपने हलों को लेकर शामिल हो गए। लेकिन कुछ कामों में जहां घर-घर से एक-एक आदमी को शामिल होना होता है, वहां कुछ लोग रस्म अदायगी के तौर पर छोटे बच्चों को भेज रहे हैं। इस पर चर्चा जारी है। संभव है बदलाव आ जाए। सामूहिक जमीन की काश्त करने के लिए भी कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं। जमीन पर निजी स्वामित्व के बावजूद, थोड़ा जमीन में सब मिलकर सब्जी-भाजी उगाया जाना है या और कोई खेति करना है तो, संबंधित व्यक्तियों को मनाने के लिए मशकत करनी पड़ रही है। बहरहाल, जनता में बदलाव साफ दिख रहा है। “जीआरसी को सहयोग देना है, वह हमारे गांव को चलाने वाली कमेटी है।”, यह भावना बढ़ गई है। हमारा दल (छापामार दल) कहता है कि और भी परिवर्तन लाया जाए।

वैनगॉर्ड :- गांव की जनता अन्य कार्यक्रमों में किस तरह भाग ले रही है?

अध्यक्ष :- जनसंगठन तथा पार्टी द्वारा तय किए गए सभी कार्यक्रमों में हमारे गांववाले भाग लेते हैं। अब तक लगभग तीन बार बंद का आयोजन किया गया है (१९९७ के जनवरी, अप्रैल व जून महीनों में)। २३ मई को हमने पहली बार ‘नक्सलबाड़ी दिवस’ मनाया। यहां आयोजित एक विशाल सभा में हमने भाग लिया। कलकत्ता में आयोजित सभा में भी हम शामिल हो गए। हम हर अट्टाईस जुलाई को ‘शहीद दिवस’ मनाते हैं। गांव में शहीदों का स्मारक भी है। मुर्गेबाजी बंद करने की बात चल रही है।

डीएकेएमएस और केएमएस के रेंज अधिवेशनों में हमारे गांव के प्रतिनिधि शामिल रहे। गांव से तीन व्यक्ति दल में भर्ती हो गए। दवाइयां तो हैं, लेकिन कैसा देना है, यह हमको नहीं पता। इसलिए इलाज कमेटी वाले इस वर्ष सात दिन ट्रेनिंग में गए थे। इस साल बेहद अकाल हो गया, हम अकाल रैलियों में जा रहे हैं। इस तरह हम हर कार्यक्रम में भाग लेते

हैं। इससे हमारी समझ बढ़ती है। गांव का विकास ही नहीं, अक्ल का भी विकास होना है न, इसलिए पार्टी जो भी हमको बताती है, हम सीखने की कोशिश करते हैं।

वैनगॉर्ड :- जीआरसी द्वारा अपनाए गए कार्यों के लिए धन कहाँ से मिल रहा है?

अध्यक्ष :- धन की कमी है। गांव में सब साधारण आय वाले ही हैं। इस वर्ष किसानों मार खा गई तो आंध्र की तरफ पलायन कर रहे हैं, रोजी-रोटी की तलाश में। धन जमा करने का जरिया खोज रहे हैं हम। जन-विरोधियों और अन्य तरीकों से कम ही प्राप्त होता है। कांजी हाऊस में दंड के रूप में वसूला गया धन रु. १८०० है। जन-पंचायतों में भी हमने दंड के रूप में थोरा-बहुत रकम वसूल की। उसे हमने जीआरसी के कोष में जमा किया जो लगभग २००० रुपए तक है।

गांव में तालाब का निर्माण किया तो हमको सरपंच ने बाहर की सरकार से १० हजार रुपए लाकर दिए जिन्हें हम लोगों ने घर-घर में बांटा। जरूरी कामों के लिए घर-घर से जमा कर रहे हैं। और भी जांच-पड़ताल करनी होगी, कौन-कौन से जरियों से धन जमा कर सकते हैं। हमारी समझ यह थी कि अगर फसल निकलेगी तो उससे प्राप्त पैसों को सामूहिक कार्यों में खर्च किया जाए। लेकिन बीज तक नहीं मिले, अकाल के मारे।

वैनगॉर्ड :- गांव में दमन कैसा है?

अध्यक्ष :- हमारे गांव पर पुलिस दमन कम ही रहा। पुलिस कभी-कभार गश्त पर आती है। गांव में उसकी कोई मुखबिर नहीं है। कोई दुष्ट मुखिया या भूस्वामि नहीं है। सरपंच पड़ोसी गांव में रहता है। उसके जन-विरोधी गतिविधियों के चलते हमने उसको चेतावनी दी थी। चार-पांच साल पहले हमारे गांव में पुलिस दमन था। अब दमन के न होने के बावजूद हम लापरवाह नहीं रहते। शत्रु कभी भी हमला कर सकता है। हम सतर्क रहते हैं और गांव को भी सतर्क रखते हैं।

वैनगॉर्ड :- गांव में बाहरी सरकार की क्या-क्या सुविधाएं हैं?

अध्यक्ष :- बिना गुरुजी के एक स्कूल के सिवाए कुछ भी नहीं है। नलकूप नहीं है। बिजली नहीं है। आंगनबाड़ी भर है। न तो डॉक्टर है और न ही नर्स बाड़ी। पटवारी और पटेल हैं। सरपंच बाजूवाला गांव में रहता है। हमारे गांव के विकास के लिए या हमारी कोई भी समस्या का हल करने के लिए बाहरी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हमको और हमारे गांव को यह भरोसा मिल गया कि यदि हम हमारी सरकार का गठन करेंगे तथा हमारी ग्राम राज्य कमेटी को मजबूत बनाएंगे तो सबकुछ हम स्वयं ही कर लेंगे। हमारी ताकत को और भी बढ़ाना और एकता को मजबूत बनाना अब हमारे काम हैं।

*** **

क्रांति आंदोलन में साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों की आवश्यकता

यहां गठित 'साहित्यिक मंच' के कॉमरेडों ने अपने पहले कार्यक्रम में ही मुझे बोलने को कहा लेकिन ऐसी सभाओं में पहले मेरे कभी न बोलने और स्वयं साहित्यकार भी न होने के चलते इसकी कल्पना भी नहीं करने कि मुझे बोलने को कहा जाएगा तथा वह भी उसी दिन शाम तक बोलने को कहा गया तो मैंने कुछ दिन बाद बोलने की बात कही। ठीक ३१ वर्ष पहले हाईस्कूल में पढ़ते समय मैं ग्रंथालय जाया करता था। मैं ग्रंथालय से नियमित रूप से कहानी संग्रह लेकर पढ़ा करता था। उसमें साहित्यिक

विषयों पर वक्तृत्व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। जब मैं ११वीं कक्षा में था, एक दिन जिला ग्रंथालय संस्था के अध्यक्ष बोइपल्लि वेंकट रामारावजी ने ऐसे क साहित्यिक प्रतियोगिता में मुझे बोलने को कहा था।

तब मैं आस्तिक था, आदर्शवादी था। अब मुझे यह याद नहीं है कि उस दिन वक्तृत्व का विषय क्या था। लेकिन वह साहित्यिक विषय जरूर था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर मुझे एक पुरस्कार भी मिला था। वह सांत्वना पुरस्कार था। प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दूसरों को दिए गए थे। पुरस्कार के रूप में मुझे जो किताब दी गई थी, उसका नाम मुझे याद है। "कल्याण कैवल्यम्" जो एक पद्यकाव्य था। पुरस्कार के तौर पर मिलने के कारण मैंने उसे कई बार पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हुई। संस्कृत पदबंधों से युक्त उस पद्यकाव्य को मैं नहीं पढ़ सका। वह इहलोक से संबंधित नहीं था। जनता से संबंधित हरगिज नहीं था। उसके बाद साहित्यिक विषयों पर मैं कभी किसी सभा में नहीं बोला। और मेरे लिए तो इस विषय पर बोलना एक तरह से देखा जाए तो काफी कठिन है।

बहरहाल, इस सभा में बोलना जरूरी है और इसलिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं नई दुनिया का निर्माण करने के लिए लड़ रहे नया मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली नव जनवादी और समाजवादी साहित्य व संस्कृति के बारे में बोलने जा रहा हूं।

मैं तो कवि नहीं हूं। कहानीकार, उपन्यासकार, साहित्यकार भी नहीं हूं। लेकिन इन सभी का प्रेमी हूं। 'साहित्यिक मंच' के कॉमरेडों द्वारा

'क्रांति आंदोलन में साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्र की आवश्यकता' विषय पर बोलने के लिए मुझे दिया गया एक घंटा समय में मैं मार्क्सवादी समझ पेश करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी बातें सुनने वाले साथियों को भाषण जैसा न होकर सैद्धांतिक लेख जैसा लग सकता है।

कॉमरेड्स,

हमारी पार्टी सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्रों की आवश्यकता को पहले ही महसूस कर चुकी है। सभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी महसूस करते हैं। हमारी पार्टी साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में

भी नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश करती आई है। इसमें कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों की आवश्यकता का मतलब क्रांतिकारी साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों की आवश्यकता ही है। हम जब साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों की आवश्यकता का जिक्र करते हैं, तब हमें यह भूलना नहीं चाहिए, वह मुख्य रूप से क्रांतिकारी साहित्य व संस्कृतिक के बारे में ही है।

सभी वर्ग-समाजों में शोषक शासक वर्गों ने अपने राजसत्ता को जारी रखने के लिए दो सशक्त हथियार रखे हैं। उनमें से एक राज्य है, जिसमें जेल, अदालत, कानून आदि सभी आते हैं, जो बलपूर्वक हिंसा व दमन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, बौद्धिक यंत्र या मनुष्यों की बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित अंश है। इसमें धर्म, नीतिशास्त्र, राजनीति, साहित्य, संस्कृति व कलाएं हैं। शोषक अपने शासन चलाने के लिए राज्य के साथोसाथ विभिन्न रूपों में मौजूद धर्म, नैतिकता, राजनीति, दर्शनशास्त्र, साहित्य और संस्कृति का भी इस्तेमाल करते हैं। अपने वर्ग-शासन का संरक्षण हेतु जनता का दमन करने के लिए सशस्त्र राज्य का सहारा लेते हैं जबकि दूसरा, उस वर्ग-शासन का औचित्य और वैधता पर शोषितों से झूठा विश्वास दिलाने का काम करता है। दुश्मन के इन दोनों सशक्त हथियारों से टक्कर लेने हमें भी दो तरीके अपनाने पड़ेगे। शोषकों का राज्य को ढहाना है तो जनता के पास सशस्त्र सेना का होना बहुत जरूरी है। अस्त्र-शस्त्र भी चाहिए। बौद्धिक स्तर पर भी शोषक वर्गों को हराने के लिए सांस्कृतिक सेना की भी जरूरत है। इन दोनों सेनाओं में सशस्त्र सेना ही महत्वपूर्ण होने के बावजूद हमें यह भूलना नहीं चाहिए

(क्रांति आंदोलन में 'साहित्यिक मंच' का गठन अर्से पहले से जारी है। दिसम्बर, १९९७ में सम्पन्न केन्द्रीय कमेटी की बैठक के दौरान गठित 'साहित्यिक मंच' ने केन्द्रीय कमेटी सचिव कॉमरेड गणपति से बोलने का आग्रह किया। नवोदित छापामार साहित्यकारों को संबोधित करते हुए उस मंच से कॉमरेड गणपति द्वारा दिया गया साहित्यिक भाषण का हिन्दी रूपांतरण हम यहां पेश कर रहे हैं)

-सम्पादक मंडल

कि सांस्कृतिक सेना की महत्ता बेहद है। ये दोनों सेनाएं परस्पर आधारित हैं। सिर्फ सशस्त्र सेना का महत्त्व को मान्यता देकर सांस्कृतिक सेना का महत्त्व को मान्यता न देने पर हम नव-जनवादी क्रांति को सफल नहीं बना सकते हैं।

क्रांतिकारी, सांस्कृतिक आंदोलन (सांस्कृतिक सेना) को सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है तो हमें यह जानना जरूरी है कि इस क्षेत्र में किस समझ के साथ काम करना है।

कॉमरेड्स,

मार्क्सवादियों के तौर पर हम वर्ग समाजों के क्रम में आए सभी समाजों को परखते हैं। अभी तक अस्तित्व में आए सभी वर्ग समाजों में दास समाज पहला है। हमारे देश में पहली वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित हुई। विश्व में दूसरी वर्ग व्यवस्था के रूप में सामंतवाद अस्तित्व में आया था। उसके बाद तीसरी वर्ग व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद का विकास हुआ। हमारे देश में तो लगभग दो हजार वर्ष की लंबी अवधि तक चला सामंतवाद ने १८वीं सदी से उपनिवेशवाद से साठगांठ की। उसके बाद १५ अगस्त, १९४७ से भारतीय समाज ने अर्द्ध औपनिवेशिक-अर्द्ध सामंती समाज का रूप ले लिया। कुछ रूप भिन्नताओं के बावजूद अब तक विश्व की आबादी का अधिकांश हिस्सा ने तीन वर्ग व्यवस्थाओं से सफर तय किया। इसके अलावा १९१७ रूस की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति से लेकर विश्व मानव जाति की एक-तिहाई हिस्सा ने कुछ दशकों तक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था में जिया। विश्व मानव समाज में आए बदलाव के अनुरूप ही तथा उन्हीं के तहत साहित्य और संस्कृति में भी कई बदलाव आए।

किसी भी सामाजिक अवस्था में मनुष्य की उत्पादन गतिविधियां ही अत्यन्त प्राथमिक हैं, मौलिक हैं। मनुष्य को जीने के लिए उसे अवश्य श्रम करना होगा। उत्पादन के साधनों से उत्पादन करते हुए जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सामाजिक उत्पादन की अमुक दशा में मनुष्यों के मध्य ठोस संबंध बनते हैं। मनुष्य खुद के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहेगा। मनुष्य की दूसरी गतिविधि भी है, वह बौद्धिक है।

विश्व में, हम सभी जानते हैं पहली वर्ग व्यवस्था दास समाज है। इसी के आधार पर बौद्धिक गतिविधियां चलीं थीं। वर्ण व्यवस्था में चार वर्ण होते थे तथा उनमें से एक- शूद्रवर्ण का पाशविक ढंग से शोषण किया जाता था। वर्ण-व्यवस्था के अनुकूल साहित्य, कलाएं, संस्कृति आदि उस समय विकसित हो गए। वर्ण-व्यवस्था में वेदों का उद्भव हुआ। बाद में सामंती व्यवस्था का जन्म के बाद जब उसका विकास हो रहा था, तब मनुशास्त्र का जन्म हुआ। उसी समय गीता, द्रैत, अद्वैत आदि का सृजन हो गया। इन दार्शनिक सिद्धांतों के साथसाथ उन्हें परिभाषित करने वाला साहित्य भी आया। सामंती व्यवस्था में राजाओं, सम्राटों, सामंती और भू-स्वामियों इन सभी की सेवा करने वाले धर्म, जाति, पितृ-

सत्ता, नीति-नियम, दर्शनशास्त्र, धार्मिक प्रबोधन बताए गए। ये सब यू ही नहीं बताए गए। तत्कालीन सामंती साहित्यिक विधाओं के जरिए बनाए गए। मतलब, हमारे देश में सामंती वर्ग के हितों के मद्देनजर ही साहित्य का सृजन किया गया। वे सब चरबी चढ़े सामंती वर्ग के पितृ-सत्तात्मक साहित्य-संस्कृति तथा संबंधों को नग्नता से जाहिर करते हैं।

अमुक समाज की संस्कृति, रीति-रिवाजों, आचारों, विचारों, सिद्धांतों व नैतिक सूत्रों के रूप में रहती है। धार्मिक रूप भी इसी के तहत अपनाया जाता है। विश्व की तमाम सामंती व्यवस्थाओं में इसी तरह का साहित्य थोड़ा-बहुत अंतर से विकसित किया गया।

देश के उपनिवेश बनने के बाद भी लंबे समय तक सामंती व्यवस्था के रूप में रहने के कारण, उस दौरान एक ओर, सामंती मूल्यों का संरक्षण करने वाला तथा उनका विरोध कर पूंजीवादी मूल्यों का समर्थन करने वाला साहित्य का आना भी शुरू हो गया। मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासन को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य आया। पश्चिमी यूरोपीय देशों में तो सामंतवाद का नाश करके उसी की कोख से नई ताकतों का जो जन्म हुआ, उसी के साथ पूंजीवाद अस्तित्व में आया। तब मुख्य रूप से उन्हीं मूल्यों से युक्त साहित्य का सृजन किया गया था। साथ-साथ पश्चिमी देशों का पूंजीवादी वर्ग ने अपने हितों के मद्देनजर सामंती साहित्य व संस्कृति का इस्तेमाल किया। हमारे देश में भी औपनिवेशिक-सामंती शासन के दौरान सामंती मूल्यों की रक्षा करते हुए, औपनिवेशिक शासकों का हित-पोषण करके पूंजीवादी विचारों को फैलाने वाला साहित्य आया। कुल मिलाकर यहां हमें यह समझना चाहिए कि बीते सभी वर्ग समाजों में वर्ग शासन का समर्थन कर उसे सशक्त बनाने वाली साहित्य व संस्कृति का सृजन किया गया। इसीलिए वह जनता का विरोधी है। जनता उस वर्ग शासन के मातहत रहे तथा उसके विरुद्ध बगावत न करे, इस लक्ष्य के साथ साहित्य व संस्कृति फलती-बढ़ती रही। यहां हमें खासतौर पर इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए कि वे सभी शोषक वर्ग-शासन की ही मदद करती रहीं।

कॉमरेड्स,

हमने जाना कि साहित्य व संस्कृति मनुष्य के उत्पादन की गतिविधियों और राजनैतिक गतिविधियों पर निर्भर रहती है। मार्क्सवादियों के तौर पर एक व्यवस्था को परखने पर हम कहेंगे कि उत्पादन की गतिविधियां ढांचा है तथा उस पर आधारित अन्य बौद्धिक गतिविधियां अधिरचना है। अधिरचना ढांचा पर निर्भर रहकर उसकी सेवा करती है तथा उसे सुदृढ़ बनाती है। मार्क्सवादियों के तौर पर हम जब अमुक समाज को पड़कते हैं तब हम उस समाज की प्रभावशाली ताकतों के विरुद्ध उसी की कोख से जन्म तथा उन ताकतों से संघर्ष करने वाली नई उत्पादन शक्तियों को पड़कते हैं। ये नई शक्तियां अपने अनुकूल नई विचारधारा, साहित्य, संस्कृति, कलाओं, सोचों, सिद्धांतों आदि को भी पुराने समाज की कोख में ही बना लेती हैं। अपने विकास में बाधा बने, पुराने और

सड़े-गले उत्पादन के संबंधों के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। वह संघर्ष विभिन्न रूपों में चलते हुए एक दशा में गुणात्मक परिवर्तन का रूप लेकर विस्तृत तौर पर भड़कता है। उसी को हम क्रांति कहते हैं।

वही नई शक्तियां क्रांतिकारी शक्तियों के रूप में विभिन्न समाजों के परिणामक्रम में दास समाज से उससे बेहतर समाज में आगे बढ़ाते आई है। अतः तदनुरूप अधिरचना के भी नए पहलू सामने आए हैं। साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी, जिसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं, जो नए साहित्यिक-सांस्कृतिक विषय हैं, वे नई उत्पादन शक्तियों की ही सृष्टि है। नई क्रांतिकारी उत्पादन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए साहित्य व संस्कृति ने पुराने व सड़े-गले उत्पादन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पुराने साहित्य व संस्कृति के विरुद्ध, नए नैतिक मूल्यों ने पुराने नैतिक मूल्यों के विरुद्ध तथा नई कलाओं ने पुरानी कलाओं के विरुद्ध लोहा लिया है। इस तरह लोहा लिए बिना इन नई शक्तियों का प्रभुत्व में आना संभव ही नहीं है। नई शक्तियों की उत्पत्ति शुरू में बेहद कमजोर, छोटी और दबने की स्थिति में रहते हुए ही राज्य ताकतों के साथ मुकाबला करते हुए प्रभुत्व में आ गई। दुश्मन को स्पष्ट रूप से नहीं पहचानते जिसके विरुद्ध लड़ना है, समुचित संघर्ष-संगठनों को न चुनने तथा समस्याओं से प्रस्त तमाम जनता को गोलबंद न करने पर नई शक्तियां सत्ता पर काबिज नहीं हो सकेंगी। सामंतवाद को ढहाकर जिस संघर्ष के जरिए पूंजीवाद प्रभुत्व में आ गया, उसमें कई स्पष्ट संगठन रूप सामने आए। उससे पहले यह संभव नहीं था।

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि हमारे देश में वर्ण-व्यवस्था ही पहला वर्ग समाज था। नए शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्यिक-सांस्कृतिक सृजन के उसी समय शुरू होने के बावजूद चूँकि जनता को तत्कालीन निम्न उत्पादन शक्तियों को संघटित करने के अवसर बहुत कम थे, इसलिए वह उल्लेखनीय ढंग से विकसित न हो सका। बहुत ही प्राथमिक रूप से नई ताकतें सामने आईं। यूरोप महाद्वीप के दास समाज में भी दास क्रूरतम दमन के शिकार हुए थे। अतः उन्हें बाद में समाजों की तरह संघटित होने के लिए उस समय अनुकूल हालात नहीं थे। उन दिनों में शोषित लोगों को एक-दूसरे के विचारों को जानने के अवसर भी बहुत कम थे। इसलिए दास व्यवस्था में हो या हमारे देश की वर्ण-व्यवस्था में हो, साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र बहुत ही प्राथमिक स्तर पर विकसित हुए थे। जहां तक सामंती व्यवस्था का प्रश्न है, एक दशा में ब्राह्मणों ने वेद सुनने पर शूद्रों, और पंचमों (दलितों) के कानों में सीसा पिघलाकर डाला, वेदों को पढ़ने पर शूद्रों की जुबान काट दी तथा वेदों को समझ चुके शूद्रों के सिर कलम कर दिए। उस समय इस तरह के कठोर नियम थे। ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक रूप से उनकी आलोचना करने के लिए परिस्थियां काफी सीमित थीं। उस समय जनता का साहित्य मौखिक साहित्य ही था। आज भी करोड़ों शोषित जनता में जीवित मौखिक साहित्य लिखित साहित्य को समृद्ध बना रहा है। उसी तरह हमारे

देश में सामंतवाद विरोधी जनतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ भक्ति आंदोलन और उससे संबंधित साहित्य सामने आए थे। यहां गौरतलब बात यह है कि सामंती समाज के अंदर ही सामंतवाद के विरुद्ध जन-साहित्य का सृजन किया गया। उसी साहित्य के जरिए नए मूल्य सामने आ गए।

जहां तक यूरोप का प्रश्न है, वहां कम से कम ३-४ दशकों तक जारी पुनर्जीवन के दौर में बड़े पैमाने पर जनतांत्रिक व क्रांतिकारी साहित्य का सृजन किया गया। इस साहित्य ने पुराने सामंती मूल्यों को दफना दिया। वे सभी नए मूल्य बुर्जुवाई जनतांत्रिक मूल्य ही थे। तब वे क्रांतिकारी तथा ताकतवार नारों के रूप में सामने आए थे। उस दिन नए मूल्यों से युक्त साहित्य व संस्कृति के बिना सामंतवाद का नेस्तनाबूद करना असंभव था। इधर, हमारे देश में सामंतवाद के विरुद्ध जनतांत्रिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ किसानों व दस्तकारों द्वारा तथा उसके बाद साम्राज्यवाद के विरुद्ध मजदूरों, किसानों, मध्यम वर्ग और देशभक्ति पूर्ण शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ किए गए सशस्त्र विद्रोहों सहित विभिन्न रूपों में किए गए संघर्षों के साथ जुड़कर और उनके प्रभाव से विस्तृत साहित्य का सृजन किया गया। नई संस्कृति व कलाओं का विकास हुआ। उन संघर्षों के सामंती वर्गों व साम्राज्यवादियों द्वारा कुचल दिए जाने के बावजूद उन संघर्षों द्वारा पैदा की गई साहित्य-संस्कृति व कलाएं भारत की नव-जनवादी क्रांति में भारत की शोषित जनता को प्रेरणा देती ही रही है।

हमारे देश में शोषक वर्गों के विरुद्ध सामाजिक क्रांति जारी है। याने, यहां साहित्यिक क्षेत्र में भी संघर्ष जारी है। कला के क्षेत्र में भी संघर्ष जारी है। नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ राजनैतिक व फौजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम विचारधारात्मक क्षेत्र में याने, साहित्यिक सांस्कृतिक, कला व सैद्धांतिक क्षेत्रों में भी लड़ रहे हैं। जनता में क्रांति की आवश्यकता पर बल देने क्रांति संघर्ष को सुचारू रूप से संचालित कर सफल बनाने तथा नए समाज के निर्माण के लिये साहित्य, कला व संस्कृति के मोर्चों पर संघर्ष जारी है।

कॉमरेड्स,

जहां तक हमारा देश का प्रश्न है, तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष के समय एक सांस्कृतिक संस्था के तौर पर 'प्रजानाट्यमंडली' की स्थापना की गई थी। वह किसानों के हितों व आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करने वाली क्रांतिकारी तथा विशालतम संस्था के रूप में विकसित हुई थी। साहित्य के जरिए जनता को संघर्ष में गोलबंद करने में इस संस्था का जबर्दस्त योगदान रहा। उन दिनों लुटेरे वर्ग सशस्त्र किसान छापामार दलों से जितना कतराते थे, प्रजानाट्यमंडली को देखकर भी उतना ही कतराते थे। छापामारों का प्रत्याक्रमण व प्रतिरोध से डरी नेहरू की सेनाएं प्रजानाट्यमंडली को देखकर भी डरी थीं। प्रजानाट्यमंडली द्वारा प्रचारित क्रांतिकारी जनभावनाओं को देख शासकवर्ग कांप उठे। लेकिन हमारी

पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने जनता की अकांक्षाओं के साथ विश्वासघात करके संघर्ष के साथ गद्दारी की। इस तरीके से संघर्ष में गतिरोध पैदा हुआ तथा संशोधनवादी विचारधारा के आगे इसकी बलि चढ़ाई गई, साथ-साथ प्रजानाट्यमंडली का भी हथ्र हो गया और वह निरूपयोगी साधन बन गई। “इंडियन पीपुल्स क्रिएटिव असोसिएशन” नामक संस्था का भी गठन किया गया था। प्रगतिशील व क्रांतिकारी विचारों से लैस तथा कम्युनिस्ट ताकतों से युक्त यह संस्था १९४०-५० में, और यहां तक कि ६० के दशक में भी सक्रिय रही। भारत के सर्वहारा आंदोलन में, जहां कि संशोधनवाद ही प्रमुख प्रवाह रहा, ये संस्थाएं सीमित हद तक ही प्रगतिशील भूमिका अदा करके, बाद में शक्तिहीन हथियार बन गईं। बाद में इनमें मौजूद क्रांतिकारी ताकतों ने संशोधनवाद के साथ नाता तोड़कर क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण करना चाहा।

इस क्रम में १९६७ में नक्सलबाड़ी आंदोलन ने भारत के राजनीतिक क्षेत्र को झकझोर दिया। नक्सलबाड़ी संघर्ष का असर साहित्यिक क्षेत्र से भी अछूता नहीं रहा। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी तूफान सा आया। परिणामस्वरूप आंध्रप्रदेश में क्रांतिकारी लेखक संघ और उसके बाद आंध्र में ‘जननाट्य मंडली’, महाराष्ट्र में ‘आह्वान नाट्य मंच’, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों में साहित्यिक-सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण हो गया। अखिल भारत के स्तर पर एआईएलआरसी का गठन किया गया। उत्तर तेलंगाना और आंध्र के अन्य इलाकों में, जनतांत्रिक साहित्यिक-सांस्कृतिक आंदोलनों पर जारी सरकार के फासीवादी दमनकांड के मद्देनजर हमने सशस्त्र सांस्कृतिक (नाट्य) टीमों का गठन किया है। दण्डकारण्य में भी हमारी पार्टी ऐसा ही प्रयास कर रही है।

क्रांतिकारी लेखक संघ ने एक ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा किया। श्रीश्री को. कुटुंबराव, चेरबंडा राजु, आईवी, वीवी आदि कई क्रांतिकारी लेखक ‘क्रांलेस’ के प्रमुख व्यवस्थापक रहे। शत्रु के फासीवादी आक्रमणों में क्रांतिकारी ताकतें जब गंभीर पराजय को झेल रही थीं, उनका हौसला बढ़ाते हुए, सैद्धांतिक मूल्यों का संरक्षण कर नई विचारधारा के अनुकूल जनता को तथा छात्र-बुद्धिजीवियों को गोलबंद करने वाला साधन के रूप में ‘क्रांलेस’ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसी तरह देश के स्तर पर एआईएलआरसी साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्वकारी ताकत के तौर पर काम कर रही है।

कम्युनिस्ट साहित्य-संस्कृति के दो प्रवाहों को प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व प्रदान कर संचालित करते हैं। पहला, प्रत्यक्ष रूप से खेतिहरी क्रांति-युद्ध का संचालन करने वाला क्षेत्र। दूसरा, व्यापक जन-समुदाय के मध्य काम करते हुए खेतिहरी क्रांति-युद्ध की सहायता करने वाला क्षेत्र।

प्रत्यक्ष तौर पर खेतिहरी क्रांति-युद्ध में भाग लेने, नेतृत्व करने तथा छापामार यूनिटों व पार्टी के विभिन्न स्तरों में काम करने वाले कई दसियों कॉमरेडों ने अब तक कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, झांकियां,

नुकड़ नाटक, ‘ओग्युकथा’, बुराकथा, आदि रूपों में साहित्य-संस्कृति का कार्य जारी रखा है। ये सभी जनता के जीवन से, उनके संघर्षों से तथा उनकी जनतांत्रिक आकांक्षाओं से उत्पन्न हुए। ये रोज-दर-रोज विकसित हो रहे हैं।

देश के कई राज्यों में तथा अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक तथा क्रांतिकारी साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थाएं, क्रांतिकारी साहित्यिक-सांस्कृतिक आंदोलन का आधार बनी हुई हैं।

आज के अर्ध उपनिवेशी-अर्धसामंती वर्गीय-जातीय साहित्य और संस्कृति को ध्वस्त करके नव-जनवादी साहित्य-संस्कृति तथा समाजवादी साहित्य-संस्कृति की स्थापना करने के लिए हमारी पार्टी के नेतृत्व में आज दो प्रवाहों में जारी क्रांति आंदोलन को सशक्त हथियारों के रूप में तब्दील करने के लिए हमें निम्नांकित समझ के साथ काम करना चाहिए।

कॉमरेडों !

भारत के क्रांति आंदोलन में क्रांतिकारी साहित्य-संस्कृति को सामंतवाद, दलाल-नौकरशाही पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का मुकाबला करना चाहिए। शोषक वर्गों के साहित्य-संस्कृति उन वर्गों की राजनीति की जिस तरह सेवा करते हैं, उसी तरह जन-साहित्य को जनता की सेवा करनी चाहिए। कोई भी साहित्य वर्गों से परे नहीं रहेगा। वर्ग समाज में उत्पन्न साहित्य विशिष्ट हितों का पोषण करता है। साहित्य को वर्ग से परे बताना सिर्फ छलावा है।

क्रांति आंदोलन में विभिन्न रूपों में सिर उठाने वाले बुर्जुवाई साहित्य-संस्कृति, विचारधाराओं और संशोधनवाद के विरुद्ध सही दिशा और सिद्धांत की रोशनी में साहित्य-संस्कृति-कला के क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम लोगों को लड़ना चाहिए। साहित्य-संस्कृति-कला के क्षेत्रों में भी हमारे निशाने होते हैं। किनके खिलाफ लिखा जाए? किन्हें निशाना बनाया जाए? यह स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। साम्राज्यवाद, सामंतवाद, दलाल-नौकरशाही पूंजीवाद, उनके साहित्य, संस्कृति, कला और विचारों से हमें टक्कर लेनी चाहिए। उन्हें तहस-नहस कर देना चाहिए। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारा निशाना सामंतवाद, दलाल-नौकरशाही पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के साहित्य-संस्कृति और कलाएं हैं। लेकिन पुराने को पूरी तरह नहीं टुकरा देना चाहिए। पुराने में जो कुछ अच्छे हैं तथा जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। उसी तरह हम दुनिया-भर में साम्राज्यवादी संस्कृति का विरोध करने वाली जनता से हम हाथ मिलाते हैं। इसके अलावा दुनिया में चाहे कहीं भी हो, हम लोकतांत्रिक और समाजवादी साहित्य-संस्कृति का समर्थन करते हैं- स्वागत करते हैं।

हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि क्रांतिकारी साहित्य-संस्कृति के क्षेत्रों का नेतृत्व कौन करता है। क्रांतिकारी सांस्कृतिक आंदोलन में

यह अत्यन्त प्रमुख सवाल है। राजनीति, सैद्धांतिक व फौजी क्षेत्रों की तरह, नव-जनवादी क्रांति की दशा में, सांस्कृतिक क्षेत्र का भी सर्वहारा को ही नेतृत्व करना है। सर्वहारा का प्रतिनिधित्व कर असंमित जन-समुदाय की सच्ची सेवा कर तथा उन्हें प्रेरित करने वाली साहित्य-संस्कृति का सृजन करने वाले ही सच्चे नेता हैं।

हमें यह भी स्पष्ट रूप से मालूम रहना चाहिए कि साहित्य-संस्कृति क्षेत्रों में हमारे मित्र कौन हैं। खेतिहर मजदूर, गरीब किसान, मध्यम किसान, शहरी मध्यमवर्ग, धनी किसान, राष्ट्रीय पूंजीपति आदि जनतांत्रिक क्रांतिकारी वर्ग ही इन क्षेत्रों में सर्वहारा के मित्र होंगे। हमारी साहित्यिक-सांस्कृतिक रचनाएं इन मित्रवत वर्गों की जनतांत्रिक आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से आधारभूत वर्गों-सर्वहारा, खेतिहर मजदूर व गरीब किसान पर दृढ़तापूर्वक निर्भर रहते हुए मध्यम वर्ग को विश्वसनीय संश्रयकारी के रूप में लेकर धनी किसान और राष्ट्रीय पूंजीपति जैसे अस्थायी मित्रों को भी जीतने की कोशिश करनी चाहिए।

हमारे निशाना, नेतृत्व और मित्रों के बारे में स्पष्टता नहीं होगी तो राजनीतिक रूप से चरमरा जाते हैं। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। लक्ष्यरहित व दिशाविहीन साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों का संघर्ष निरर्थक होगा। साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत कॉमरेडों को इन विषयों में स्पष्ट समझ हो।

हमें नवजनवादी संस्कृति को ऊंचे उठाए रखना चाहिए। इस देश में जनवाद विकसित नहीं हुआ। सिर्फ झूठा जनतंत्र ही जारी है। साम्राज्यवाद और सामंतवाद की सेवा करने वाला शासन ही जारी है। इसलिए हमारे सभी कार्यक्रम इसके खिलाफ हो। इस क्षेत्र में कार्यरत हमारे पार्टी सदस्यों को मुख्य रूप से नवजनवादी साहित्य-संस्कृति को ही जनता में ले जाना चाहिए। जनवाद का यहां मतलब विशाल जन-समुदाय से संबंधित है, जहां तक कम्युनिस्ट ताकतों का प्रश्न है, उन्हें अपेक्षाकृत पुरोगामी और विकसित सिद्धांत, साहित्य व संस्कृति चाहिए। उन्नत स्तर के मूल्य चाहिए। हमारे कॉमरेडों की कोशिश ऐसी हो कि कम्युनिस्ट संस्कृति यानि समाजवादी संस्कृति और विचारधारा को फैलाएं। इसलिए हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि हमें जनता में जनतांत्रिक विचारों और कम्युनिस्टों में समाजवादी विचारधारा को फैलाना चाहिए। यह वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। सीमित होने पर बुर्जुवाई जनतंत्र के रूप में उसका पतन हो जाएगा। इसलिए हमें वहां रूकना नहीं चाहिए। उससे भी आगे बढ़कर समाजवादी समाज के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए। नवजनवादी क्रांति के दौरान नवजनवादी समाज में भी हमें यांत्रिक रूप से जनता को जनवादी संस्कृति, कम्युनिस्टों को समाजवादी संस्कृति कहकर जनता का दुमछल्ला नहीं बनना चाहिए। साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में आज हो या क्रांति की जीत के बाद भी हो, समाजवादी ताकतों को आगे रहकर नेतृत्व करना होगा।

जनता की राजनैतिक, आर्थिक समस्याओं पर साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारे साथ काम करने के लिए जो भी आए, उनके साथ मिल सकते हैं। विचारधारात्मक रूप से एकरूपता न होने के बावजूद हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन सैद्धांतिक क्षेत्र में भिन्न मत वालों से नहीं मिलना चाहिए। इन समस्याओं पर सैद्धांतिक क्षेत्र में किसी के साथ भी समझौता नहीं करना चाहिए। द्वन्द्ववात्मक-ऐतिहासिक भौतिकवाद हमारा दार्शनिक सिद्धांत है। और तरीका भी। विशिष्ट रूप से मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा ही हमारा सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसी से भी समझौता नहीं करेगा। हमें तब तक अविश्राम परिश्रम करना चाहिए, जब तक कि यह सिद्धांत क्रमगत रूप से तमाम जनता का सिद्धांत न बन जाए। सिद्धांत के मोरचे पर बुर्जुवाई सिद्धांतों की खामियों और उसके अंतर्गत प्रति-क्रांतिकारी-संशोधनवादी सिद्धांत की सभी खामियों से डटकर लड़ना चाहिए। इस मोरचे पर अगर हम बुर्जुवाई सिद्धांत तथा संशोधनवादी सिद्धांत की उपेक्षा करेंगे तो वस्तुतः क्रांति की बेहद हानि होगी।

तीन दशक पहले ही नक्सलबाड़ी की राजनीति ने भारत में साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों पर खासा प्रभाव डाला था।

साहित्य की रचना-वस्तु देश में मौजूद ९० प्रतिशत से ज्यादा पीड़ित जनता से संबंधित होनी चाहिए। तभी वह उसका प्रतिनिधित्व करते हुए उसकी सेवा करेगी। १९७० के दशक में ही क्रांतिकारी लेखकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषित किया कि रचना-वस्तु जनता को सचेत कर जनतांत्रिक साहित्य-संस्कृति का निर्माण करने में उसकी मदद करने वाली तथा उसके साम्राज्यवादी और सामंती साहित्य-संस्कृति के हर तरह के प्रभावों से मुक्त होने में सहायक हो। अगर कोई आदमी जाने-अनजाने में यह दावा करता हो कि साहित्य-संस्कृति-कलाओं की विषय-वस्तु पीड़ित जनता से संबद्ध तथा उनकी मदद करने वाली नहीं होनी चाहिए, वह जरूर लुटेरे वर्गों का पिट्टू बनकर ही रहेगा।

कोई वर्ग-हित की आशा किए बगैर ही साहित्य-संस्कृति - कलाओं का सृजन करने वाला कोई नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा है तो वह या तो एकदम निकम्मा होगा या फिर अव्वल दर्जे का धोखेबाज होना चाहिए।

साहित्य-संस्कृति-कला का सृजन का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब उसकी शैली, विषय-वस्तु का सदुपयोग कर सकने वाली हो। ऐसी शैली अपनाने पर ही वह वस्तु जनता के दिलों को छूकर उसे जगाती है। उनके जीवन को अंधकार से और पिछड़ेपन से प्रकाश में तथा भविष्य में ले जाने वाला कार्याचरण में उतार देती है।

बुर्जुवाई साहित्य, संस्कृति और कला के विद्वान बुर्जुवाई प्रभाव से ग्रस्त साहित्य-संस्कृति और कला के कर्मी वस्तु को शैली से अलग

करके देखते हैं। इसके अलावा, ऐसी शैली का, जिसका समाज के बहुसंख्यकों से कोई तालुक नहीं है, अनुसरण कर उसी को सर्व-सम्पूर्णता की संज्ञा देते हैं। इन क्षेत्रों में मौजूद क्रांतिकारियों को चाहिए कि वे बुर्जुवाइयों की इस गद्दारी का पोल खोल दें तथा मात दें।

साथ-साथ क्रांतिकारी साहित्य-संस्कृति-कला के क्षेत्रों में मौजूद कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि साहित्य सृजन की शक्ति अच्छी हो तथा जब तक अच्छी शैली प्राप्त न हो, तब तक इन क्षेत्रों के कॉमरेड साहित्य-सांस्कृतिक सृजन न करें। वे इस बात को भूल जाते हैं कि सभी साहित्यिक रचनाकारों की एक शुरुआत और परिणति होती है। वे अच्छी शैली के बिना लिखने वालों को हतोत्साहित करते हैं। वे जनता से लगातार विकसित होने वाले असंख्यक लेखकों, कवियों और कलाकारों को हतोत्साहित करते हैं। यह गलत धारणा बुर्जुवाई दर्शन से प्रभावित जड़तावादी दृष्टिकोण की ही उपज है।

हमारे देश बहुत बड़ा है। सौ करोड़ लोग हैं यहां। जनता विभिन्न रूपों में संघटित हो रही है। उसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। उस पर निर्भर रहकर उसका नेतृत्व करना चाहिए। राजनीति की तरह साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रों में जनदिशा ही रहती है। जनता में जबर्दस्त ताकत है, साहित्य-संस्कृति हैं, कल्पनातीत रचनात्मकता है। नई संस्कृति के फलने-बढ़ने के लिए आवश्यक विस्तार क्षेत्र जनता ही है। क्रांतिकारी साहित्य-संस्कृति का सुविशाल क्षेत्र जनता ही है। क्रांतिकारी संस्कृति के नेतृत्व में जनता लड़ रही है। यह कार्य आरंभ हो ही चुका है। शोषक वर्गों के विरुद्ध तथा शोषक वर्गीय बुद्धिजीवियों के विरुद्ध जनता भिड़ रही है। इसे भांपकर उसका नेतृत्व करने में हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं सक्षम हों। उन क्षेत्रों में कार्यरत कॉमरेडों को चाहिए कि इस विषय को जरूर ध्यान में रखें। हम कुछ ही लोग लड़ें तो क्रांति को सफल बनाना या समाजवादी संस्कृति का निर्माण करना मुमकिन नहीं होगा। जनता ही इतिहास का असली निर्माता है। यह सूक्ति राजनीति तक ही सीमित नहीं है, साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत लागू है। इसे नहीं मानने वालों में अहंकार बढ़ेगा। वे अपने आपको जनता से परे समझते हैं। वे बुर्जुवाई प्रशंसाओं और पुरस्कारों से संतुष्ट हो जाते हैं। वे अपने को मिली प्रसिद्धि के लिए स्वयं को ही कारण समझकर गुब्बारे की तरह फूलकर, उसी की तरह फट जाते हैं। साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में इस तरह चमककर 'हीरो' बने कुछ लोग कम समय में ही 'जीरो' बन गए। इसलिए साहित्य-संस्कृति के क्षेत्रों में भी नई संस्कृति और जन-संस्कृति के लिए लड़ना चाहिए। तभी हम जन-समुद्र में तूफानों को पैदा करेंगे। जमीन से संबंध न रखने वाला किसान, भले ही वह अकलमंद क्यों न हो, फसल नहीं उगा सकेगा। बल्कि वह निकम्मा रह जाएगा। उसी तरह जनदिशा का पालन न करने वाला, निजी जीवन में भिन्न संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए आचरण में जनता का नेतृत्व न करने वाला सांस्कृतिक नेता, साहित्यकार कोई भी हो, वह जनता के द्वारा कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाएगा।

कॉमरेडों,

जनता की साहित्य व संस्कृति को विकसित करने के लिए कम्युनिस्ट निरंतरता से लड़ते हैं। जनता के हाथों में राजसत्ता के आने के बाद भी यानि, नवजनवादी राज में भी, समाजवादी राज में भी सांस्कृतिक संस्थाएं रहेंगी। चूंकि राजसत्ता जनता के हाथों में होगी, इसलिए ये संस्थाएं अबकी तुलना में कई गुना अधिक विकसित होकर जनता की सेवा करने में सक्षम रहेंगी। तब जनता से लाखों साहित्यकार तथा सांस्कृतिक कर्मी पैदा होंगे। वे विभिन्न रूपों में नई साहित्य-संस्कृति का सृजन करेंगे। जनतांत्रिक, समाजवादी आर्थिक तथा राजनैतिक नीतियों के अनुकूल साहित्य व संस्कृति का विकास होगा। वे और भी विकसित होकर उन समाजों की सेवा करेंगे। हमें यह समझ जरूर होनी चाहिए। इस समझ के साथ हम साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमारी काम को जारी रखेंगे तो इस दुनिया को ही जीतकर नए साहित्य व संस्कृति का सृजन करेंगे!

लाल सलाम !

*** **

दमन-प्रतिरोध

संघ कार्यकर्ताओं ने सहायक थानेदार और हवलदार की मौत के घाट उतारा

ऊसूर से १२ कि.मी. दूर पर स्थित पूजारी कांकर में हर सोमवार को साप्ताहिक बाजार बैठता है। बाजार में आने वाले संघ सदस्यों को गिरफ्तार करने के इरादे से १८ मई को सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र साहू, प्रधान आरक्षक हिय्याराम निषाद और एक आरक्षक मोटर साइकिल पर सवार होकर वहां आए थे। उनके पास ऐसी डायरी भी थी, जिसमें संघ सदस्यों के नाम दर्ज थे।

उसी दिन डीएकेएमएस के संगठनकर्ता अपने दल के साथ रोड पर स्थित एक गांव में पहुंच गए। पुलिस की मनमानी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन पर हमला करने का निश्चय किया गया। जनता के सहयोग से वम्मि और गुंजपति गांवों के मध्य जंगल में छिपकर हमला किया गया, जिसमें साहू और निषाद मारे गए जबकि आरक्षक बचकर भाग निकला। संघ के कॉमरेडों ने अपनी एकमात्र एक-नाली बंदूक का सदुपयोग करके पहलकदमी व बहादुरी का परिचय देते सबसे पहले सहायक थानेदार को निशाना बनाकर मार गिराया जिससे उसको अपनी .३८ रिवॉल्वर को निकालने का मौका ही नहीं मिला। भागने लग गए हवलदार को तीरों से मारा गया और बाद में गोली मार दी गई। पुलिस की डायरी जिसमें संघ सदस्यों के नाम अंकित थे और सामग्री को जब्त किया गया।

*** **

जन-पंचायत

बंगाली कैंप-१११ (मघ) और तोकाजेवेल्लि (महाराष्ट्र) गांवों का 'रास्ता' विवाद की सुलह

अप्रवासी बंगालियों को मध्यप्रदेश सरकार ने जमीन आर्बाटि की तो 'मंडल' नामक व्यक्ति को भी जमीन मिल गई। जमीन से सटकर एक रास्ता था जो ग्राम तोकाजेवेल्लि जाता है। लेकिन मंडल रास्ते को भी अपनी जमीन में शामिल कर लोगों को डराता-धमकाता रहा। इस रास्ते के न होने से ग्रामवासियों को कष्ट होता था। मंडल का पुत्र पुलिस में है और उसने पैसे देकर पटवारी से फर्जी पट्टा बनवाया, जिसमें रास्ता भी उसकी जमीन में शामिल बताया गया। जनता ने एकजुट होकर पंचायत बुलाने का निश्चय किया तो मंडल ने आने से मना किया। संघ के नेतृत्व में दोनों गांवों की जनता को बुलाकर पंचायत किया गया, जिसके संचालन के लिए दोनों गांवों से ९ व्यक्तियों की कमेटी गठित की गई। पंचायत ने जनता को हो रही असुविधा के मद्देनजर मंडल से रास्ता छोड़ देने को कहा, जिस पर आखिरकार मंडल सहमत हो गया।

'जादू-टोना' मुखियाओं का षडयंत्र का परिणाम ही है 'ओदे' (जादू-टोना) पंचायत में 'वडे' (पुजारी) की पिटाई

गढ़चिरौली जिले के मानेवारा गांव की निवासी जूरी गिल्लो को गांव के मुखियों ने 'ओदे' (जादू-टोना) का आरोप लगाकर चप्पों से बुरी तरह मारकर गांव से भगा दिया। मारों से बुरी हालत हुई उस महिला के परिजनों को धमकी दी कि उसे घर में रखेंगे तो पूरे परिवार को गांव से भगा दिया जाएगा। जान बचाने के लिए वह महिला अपने रिश्तेदारों के गांव गई। वहां पहुंचे छापामारों से गिल्लो ने अपने साथ हुई बदसलूकी सुनाई। छापामारों ने मानेवारा ग्रामवासियों के नाम एक पत्र लिखकर गिल्लो को गांव में रहने देने को कहा तथा इस पर पंचायत बाद में बुलाया जाए। फिर भी गिल्लो गांव में जगह नहीं पा सकी। अतः १३ मई को छापामार गिल्लो को साथ लेकर मानेवारा गए। वहां ग्रामवासियों का पंचायत बुलाया गया। उसमें जादू-टोना की भ्रांतियों, गांव के सरपंच, पटेल और पुजारियों के षडयंत्रों और बीमारियों के कारणों को सरल, वैज्ञानिक व विस्तृत रूप से बताया गया। जनता में व्याप्त सांस्कृतिक पिछड़ापन, वैज्ञानिक समझ का अभाव के चलते मुखियागण अपना उल्लू सीधा करने के लिए अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं ताकि जनता अज्ञानता में डूबा रहे और अपनी लूटमार चलता रहे। छापामारों ने यह भी कहा कि जनता का सांस्कृतिक विकास होना है तो मुखियाओं की लूट-खसोट को बंद करना होगा। आखिर में जनता से जब उन्होंने यह पूछा कि जूरी गिल्लो को चप्पल से मारे वडे (पुजारी) को क्या किया जाए, तो जनता ने फैसला सुनाया गिल्लो भी पुजारी को चप्पल से जवाब दे। गिल्लो ने इस फैसले पर अमल करते हुए धर्मा वडे को चप्पल से मारा।

छापामारों ने अंत में अन्य मुखियाओं को भी यह चेतावनी दी कि आईदा ऐसी हरकत करने पर उनकी भी चप्पल से धुनाई होगी।

आक्रमित जमीन की वापसी - दोषी की पिटाई

अबूझमाड़ के कोहकामेट्टा दल क्षेत्र स्थित सोनपुर गांव के निवासी पाडियार गस्या और बत्रा परिवारों के मध्य गत ८, ९ वर्षों से जमीन को लेकर विवाद जारी है। दरअसल यह जमीन बत्रा परिवार की थी। गस्या ने इसे जबरन हड़पकर पटवारी और तहसीलदार को रिश्वत देकर अपने नाम पर पट्टा बनवाया। यह मसला जब जनता के सामने आया तो जनता ने कहा कि जमीन पत्रा परिवार की ही है। लेकिन गस्या ने मुखियाओं को अपने पत्र में लेकर जनता की बात को अस्वीकार किया। उसने इस पर पुलिस में रिपोर्ट भी की। १०० परिवारों के इस गांव में पच्चीस परिवार पाडियार गोत्र के हैं। इस तरह सभी ऊपरी मध्यम वर्ग के लोगों का समर्थन गस्या की ओर था। गांव में इसी वर्ग का प्रभुत्व है। हिन्दू परम्पराओं का प्रभाव भी इस गांव पर ज्यादा ही है। इस नेपथ्य में डीएकेएमएस ने इस अपरिष्कृत विवाद को छापामार दल के सामने लाया। जनपंचायत बुलाकर फैसला सुनाया गया कि गस्या वह जमीन छोड़ दे। उस जमीन में विद्यमान सागौन पेड़ों से ९० हजार रुपए कमा चुके गस्या ने "जान दूंगा पर जमीन नहीं दूंगा" कहा। एक वर्ष गुजर गया। सरकारी अधिकारियों की तरह गस्या ने छापामारों को भी ५,००० रु. रिश्वत देने की खबर भेजी। इसके बाद छापामारों ने एक और बार ग्रामवासियों का पंचायत बुलाकर जनता के फैसले के मुताबिक गस्या, जो सोनपुर ग्राम पंचायत का वार्ड पंच है और नाच मंडली के उपाध्यक्ष भी है कि पिटाई कर दी। फैसले में यह भी कहा गया कि वह तीन एकड़ जमीन और ३०,००० रुपए १५ दिनों के अंदर बत्रा परिवार को दे तथा वार्ड पंच पद छोड़ दे। पिटाई के बावजूद गस्या ने पुलिस रिपोर्ट देने की बात नहीं मानी।

जादू-टोना के नाम पर जनता को डराना बंद

उत्तर बस्तर के अबूझमाड़ सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अंधविश्वासों, मुख्य रूप से जादू-टोना का वहां ज्यादा प्रभाव है। ऐसे अनेक प्रकरण छापामारों के सामने आते हैं, जिनका संबंध जादू-टोना से है। छापामार इस संबंध में जनता को सब्री से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। कोहकामेट्टा क्षेत्र में छापामारों ने इस तरह के दो मामलों की सुलह की। पहला मामला गांव करसानार का था। यहां का एक मध्यम वर्ग का किसान गांव में सभी को डराना-धमकाना, जादूगर होने का झूठा दावा करते हुए गांव में धाक बनाने की कोशिश करता था। इसने अपने सगे पत्नी और बेटे की 'नरबलि' करने का असफल प्रयास किया था। इसकी हल्की पिटाई कर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

दूसरा, अरिंगपारा का एक आदमी शराब पीकर हुल्लड़ मचाना, जादू-टोना का डर बताना औ अपने स्वार्थ के लिए गांववासियों पर हुकम चलाया करता था। यह समस्या को जब छापामारों की नजर में आई तो उन्होंने उस व्यक्ति को अच्छी तरह समझाया और चेतावनी भी दी कि वह जादू-टोना-देवधामी वाली बातें छोड़ दे और ग्रामवासियों के साथ मिल-जुलकर रहे।



फौजी कामकाज को कार्यरूप देना और

◦ कॉमरेड माओ (१६ जून, १९६४)

मैं दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहला, स्थानीय पार्टी कमेटियों व फौजी कामकाज पर ध्यान देना। दूसरा, उत्तराधिकारियों के साथ बारताव वाला मुद्दा... सैन्य-विन्यासों को देखने भर से नहीं होगा। सेनाओं के प्रति ध्यान देने की सख्त जरूरत है। आयुध फैक्टरियों को संचालित करने की जरूरत है। प्रदेशों, सैन्य के मुख्य सचिवों! आपको पोलिटिकल कमिस्सार की जिम्मेदारी भी है न! कई वर्षों से आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप नाम केवास्ते पोलिटिकल कमिस्सार रह गए। फौजी कामकाज पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप स्वयं को असहाय महसूस कर हड़बड़ा जाते हैं। इस बात पर गौर किए बिनाकि शत्रु किस दिशा से आ सकता है, आपको पूरी तैयारी के साथ रहने की जरूरत है। और तब हमारा देश का नाश नहीं होगा। भिन्न स्तरों की पार्टी कमेटियों, सैन्य-मामलों और मिलिशिया के कामकाज पर अवश्य ध्यान देना होगा... हमारा देश जैसे देश में, इतनी बड़ी रणभूमि में, हम सिर्फ केन्द्र सरकार के जनन्मुक्ति सेना के कुछ करोड़ों सैनिकों पर ही कैसे निर्भर रह सकते हैं? हम नहीं निर्भर रह सकते। आपको एक निर्णय पर पहुंचना होगा। स्थानीय अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी है... अब कहना ही न होगा। वे परमाणु युद्ध चलाना चाहते हैं। वे नगरों में प्रवेश करेंगे तो हम भी नगरों में प्रवेश करेंगे। तब शत्रु परमाणु बम का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम मुहल्लों में लड़ने उतरेंगे। जो भी हो, हम उनसे लड़ेगे।

सांगठनिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर तथा फौजी तौर पर मिलिशिया को और भी बेहतर ढंग से संघटित करने की जरूरत है। संगठन के तौर पर बेहतर का यह अर्थ है कि कैडर-मिलिशिया सदस्यों और साधारण मिलिशिया सदस्यों से युक्त एक सुचारू संगठन का होना, लड़ाकू योद्धाओं, युद्ध प्लाटून के नेतागण, कंपनी, बटालियन, रेजीमेंट व डिवीजन कमांडरों का होना तथा सचमुच ही जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम होना। यह भी जरूरी है कि राजनैतिक कार्य का संचालन करने वाले कर्मचारियों को भी संघटित करें। ऐसा करने पर ऐसी स्थिति आ गई तो वे शस्त्रों से लैस होकर निकल पड़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि मिलिशिया में तीन महीने सेवा करने के बाद मानसिक दृष्टिकोण काफी बेहतर हो गया। मिलिशिया का एक संगठन आवश्यक रूप से रहना होगा। सिपाही चाहिए, अधिकारी चाहिए, उसकी ताकत को पूर्ण रूप से कार्याचरण में लाना होगा। फिलहाल कुछ प्रांतों ने उसे पूरी तरह कार्याचरण में नहीं लाया। राजनैतिक कार्य और जनता में कार्य को

संचालित करने की आवश्यकता है। राजनीति अपने पूरे प्रभाव डाले, इसके लिए राजनैतिक ढांचा, पोलिटिकल कमिस्सारों, पोलिटिकल अफसरों और पोलिटिकल प्रशिक्षकों की जरूरत होती है। राजनैतिक कार्य करने का मतलब जनता में काम करना ही है। मिलिशिया में अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान कर बुरे व्यक्तियों को निकालने की जरूरत है।

मिलिशिया सदस्यों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किसी भी तरह की महत्वपूर्ण घटना घटने पर नहीं घबराएं। क्योंकि घबरा जाने वाला मनुष्य लड़ाई में जीत कैसे हासिल कर सकेगा। राइफलों, बंदूकों या परमाणु बमों से डूते हुए हरगिज नहीं घबराना चाहिए। राजनैतिक रूप से पूरी तरह तैयार हुआ मनुष्य नहीं घबराएगा। परमाणु बम गिराया गया तो मार्क्स को देखने जाने के सिवाए कोई चारा नहीं होगा। मौत नामक चीज आदिकाल से हमेशा रहती आई है। विश्वास लुप्त होने पर अपने आपको

साबित नहीं कर सकेगा। जिनके सिर पर मौत आ जाती है वे मर जाते हैं। जो मरने से बच जाते हैं वे अपने काम जारी रखते हैं। मैं नहीं मानता कि तमाम चीनी जनता को मार देना मुमकिन है। साम्राज्यवादी यह काम नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा करेंगे तो तब वे किन्हें लूट सकेंगे। ... क्या हमने

बीस वर्ष के युद्ध में अनेक लोगों को नहीं खोया? हुवांग कुंग-ले, लियु हू-लान, हुवांग ची-कुवांग ... हम नहीं मरे। हम जीवित अवशेष हैं। भार बेहद हो गया तो मौत ही समाधान है। मौत ने कॉमरेड एक्स एक्स एक्स को न्यूता दिया। लेकिन वे नहीं गए। वे अभी जीवित हैं। शांति काल में राइफलों के साथ तैयार रहना चाहिए। ... अगर कोई नागरिक कामकाज पर ध्यान देकर फौजी विषयों पर नहीं देगा तथा कोई यह समझेगा कि जनता काफी है राइफलों की कोई जरूरत नहीं है, तबयुद्ध शुरू होने पर 'अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत' जैसा होगा। युद्ध के शुरू होने पर संशोधनवादियों (सोवियत संघ) पर निर्भर रहने से नहीं चलेगा। चीन डटकर खड़े हो सके, इसके लिए चीन पर ही निर्भर रहना होगा। शत्रु अपने रास्ते पर लड़ता है। हम अपने ढंग से लड़ते जा सकेंगे। लड़ाई छिड़ गई तो हमें घबराना नहीं चाहिए। परमाणु बम के विरुद्ध लड़ते हुए भी नहीं घबराना चाहिए। डरो नहीं। पूरी दुनिया में उथल-पुथल हो रही है। मनुष्यों के मरने के अलावा कुछ नहीं होगा। आखिरकार मनुष्य को मरना ही है। वह काम जारी रखेगा। आधा हिस्सा (जनता का) के मर जाने से बाकी आधा हिस्सा बचे रहेगा ही। ... साम्राज्यवाद को देखकर मत डरो। डरकर कुछ नहीं कर पाएंगे। अमुक व्यक्ति जितना डरता है, उतना उसका उत्साह कम हो जाता है। तैयारी करके निर्भय होकर रहेगा तो उत्साह भी रहेगा।

क्रांति के उत्तराधिकारियों को बना लेना

भविष्य के लिए तैयार होना और उत्तराधिकारियों को बढ़ा लेना, यह दूसरा मुद्दा है।

साम्राज्यवादी कहते हैं, हमारी पहली पीढ़ी से कोई दिक्कत नहीं आई है और दूसरी पीढ़ी नहीं बदली जबकि तीसरी व चौथी पीढ़ी पर आशाएं बांधी जा सकती हैं। क्या साम्राज्यवादियों की ये आशाएं पूरी होगी? साम्राज्यवादियों की यह भविष्यवाणी सच हो सकेगी? मैं आशा करता हूँ कि वे सच होंगी नहीं। लेकिन वे सच हो भी सकती हैं। सोवियत संघ में संशोधनवाद के सृष्टिकर्ता कृश्चेन तीसरी पीढ़ी का ही है। संभावना है कि हम भी संशोधनवाद को पैदा करें। संशोधनवाद के विरुद्ध हम अपने आपका संरक्षण कैसे कर सकेंगे? क्रांति के उत्तराधिकारियों को किस तरह बढ़ा सकेंगे? मैं समझता हूँ कि पांच योग्यताएं होनी चाहिए।

१. हमारे कैडर को नियमित रूप से परखते हुए उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। उनको मार्क्सवाद-लेनिनवाद का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उनको मार्क्सवाद-लेनिनवाद का ज्ञान थोड़ा ज्यादा होने से और भी अच्छा है। उनको चाहिए कि मार्क्सवाद का आचरण करें, न कि संशोधनवाद का।

२. उनको जनता का बहुमत की सेवा करनी चाहिए, न कि अल्पमत की। उनको चाहिए कि चीन की बहुसंख्यक जनता की सेवा करें। दुनिया का अल्पमत अथवा भू-स्वामी, धनी किसान, प्रति क्रांतिकारी, बुरे तत्वों और नरमपंथियों की नहीं बल्कि बहुसंख्यक जनता की सेवा करें। यह योग्यता न होने पर अब पार्टी यूनिट के सचिव के तौर पर काम करने के लिए अयोग्य होगा। इतना ही नहीं, केन्द्रीय कमेटी के सचिव या अध्यक्ष के तौर पर काम करने के लिए भी अयोग्य ही होगा। कृश्चेव ने अल्पमत का पक्ष लिया। हम जनता का बहुमत का पक्ष लेंगे।

३. वे जनता का बहुमत को एकातबद्ध करने में सक्षम हों। बहुसंख्यक जनता को एकातबद्ध करने का अर्थ यह है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जिन्होंने पूर्व में गलतफहमी के चलते हमारा विरोध किया हो तथा उनका ताल्लुक कहीं से भी हो, हमें उन पर बदला लेने की नहीं सोचना चाहिए। हर एक सम्राट के लिए एक नए अधिकारियों की टोली का हम बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे। सातवें राष्ट्रीय कांग्रेस के सही निर्देशों के बिना क्रांति में हमारी जीत मुमकिन नहीं थी, इस

बात को हमारे अनुभव ने साबित कर दिया। अब जहां तक षडयंत्र रचने वालों की बात है। वे इस सच्चाई को जरूर ध्यान में रखें कि दस लोगों से ज्यादा- कावो, जावो, पेंग, हुवांग, चांग, चौ और टानचिया- पार्टी की केन्द्रीय कमेटी से ही पैदा हुए हैं। हर एक वस्तु दो में विभाजित ही है। कुछ लोग षडयंत्र रचने पर आमादा हैं, तो क्या किया जाए? अब भी षडयंत्रकारी लोग और भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वुत्सु-लि और पाइ-इन कारखानों के अलावा चेन पो-टा का बताया छोटा स्टेशन, विभिन्न विभागों, विभिन्न प्रांत- सभी में षडयंत्रकारी लोग मौजूद हैं। राजमहलों में अधिकारी हैं। जन-समूह उनके मातहत दब रहे हैं। ऐसे लोग नहीं होंगे तो उसे समाज नहीं कहा जा सकता। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ऐसे लोगों का रहना मेरे लिए खुशी का विषय नहीं है। लेकिन वह वस्तुतया मौजूद विषय है। अगर ऐसा नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होगा। अधिभौतिकवाद ही होगा। तमाम विषय विपरीत पहलुओं की एकता ही है। हाथ की पांचों उंगलियों में चार एक ओर रहती हैं तो अंगूठा दूसरी ओर झुका रहता है। ऐसा रहने पर ही हम चीजों को उठा सकते हैं। पकड़ सकते हैं। वे सभी एक ही ओर झुकी रहतीं तो बेकार रह जातीं। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ हो तथा सचमुच शून्य हो। स्वच्छता का प्रतिशत सिर्फ ९९.९ ही है। ०.१ प्रतिशत बचा ही रहता है। कई लोग इस विषय को समझने में विफल हो गए। सम्पूर्ण स्वच्छता है ही नहीं। समाज, पदार्थ और प्रकृति को कायम रहना है तो पहले ही उसमें कुछ अस्वच्छता का होना अनिवार्य है। वह स्वच्छ होगा तो नियमबद्ध नहीं रहेगा। अस्वच्छता परिपूर्ण है। स्वच्छता आंशिक है। यह विपरीत पहलुओं की एकता है। फर्श को बुहारते समय सुबह से रात तक २४ घंटा बुहारने के बावजूद और भी धूल बची ही रहती है। देखिए, हम किस साल स्वच्छ रहे थे?

हमारा पार्टी- इतिहास पांच वंशों का नेतृत्व को हमारी आंखों के सामने रखता है। पहला वंश : चेन टु-शि, दूसरा : चु चियु-पाय, तीसरा : ली लि-सावो, चौथा : वांग मिंग और पो कु का वंश, पांचवा वंश : लो-पु (चांग वेन-टीन) इन पांचों वंशों के नेतागण हमें हरा न सके। हमें पराजित करना आसान काम भी तो नहीं है। यह ऐतिहासिक अनुभव है। साम्राज्यवादी हों या फिर हमारे अपने लोग ही क्यों न हों, हमें हराने में वे सभी विफल हो गए। मुक्ति के बाद कावोकांग,

जावो शु-शि और पेंग टे-हुय सामने आए। क्या वे हमें हरा सके? नहीं हरा सके। पेंग टे-हुय सात साल तक रक्षा विभाग के मंत्री पद पर रहा था। मुक्ति सेना को नहीं हरा सका। कई उच्च अधिकारी सामने आने के तुरंत बाद निकम्मे बन गए। बाकी लोगों को अपने मत व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। “मैं जो बताया वही वेद” वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें बहुसंख्यक जनता को एकजुट करना चाहिए। एक जनवादी क्रम के जरिए एक निर्णय लिया गया। इसके बावजूद उन्होंने उसका अनुमोदित करने से मना किया। एक्स एक्स एक्स ने ऐसा कहा- चीन का तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की विधा का प्रयोग संरक्षित किया जाना चाहिए। जन-मुक्ति सेना को चाहिए कि वह तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने की विधा का प्रयोग जारी रखे। हमें चूंकि ये गुण हैं, इसलिए पेंग टे-हुय विफल हो गए।

४. उनकी जनवादी कार्य-शैली होनी चाहिए। जो भी विषय उनकी दृष्टि में आता है, तब वे कॉमरेडों से विचार-विमर्श करें। उस विषय पर सम्पूर्ण चर्चा हो। विभिन्न मतों को जरूर सुनें। विपरीत मत जरूर व्यक्त करने दिया जाए। “मैं जो बताया वही वेद” वाला व्यवहार मत करें। मनुष्य बदलते हैं। क्या हमारे कॉमरेड एक्स एक्स एक्स नहीं बदले? जब बैलों को खेत जोतने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है तो मनुष्य भी क्यों नहीं बदलते? चंद लोग ऐसे रहते हैं कि उन्हें नहीं बदला जा सकेगा। यु शुये-चंग, चांग पो-चुन, लियु ली-मिंग को पार्टी में मौजूद एक्स एक्स और एक्स एक्स एक्स जैसे लोगों को कभी नहीं बदल सकेंगे। जनता को शाप देने के सिवाए उनका कोई काम नहीं है। नहीं बदलने वालों में जेन-सान भी शामिल है। विभिन्न राज्यों में इस तरह के नहीं बदलने वाले बहुत ही कम लोग हैं। उन्हें नहीं बदलकर रहने दीजिए। शाप देने दीजिए। बहुसंख्यक जनता को एकजुट किया जाए।


मैं मानता हूँ कि वुत्सु-ली को पार्टी से निष्कासित करने की जरूरत नहीं है। हमें उनसे पछतावे की मांग करना चाहिए। हमें (दोनों गुटों के) १५ प्रतिशत लोगों को एकजुट करना चाहिए। हमें जनवाद का आचरण करना चाहिए। केवल मेरे यह कहने भर से कि वह वैसा रहता है, हमें यह समझना नहीं चाहिए कि वही पर्याप्त है। यह है व्यवहार में जनतंत्र। मीटिंग में घंटों तक बोलते जाएं जैसा कि पूरा सत्य मेरे हाथों में हो... मेरे बचपन में मेरा छोटा भाई माओ-त्से-मिन के यह कहने पर कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे पूर्वजों का मंदिर नहीं है, मैंने गुस्से से डंडा लेकर धमकी दी थी। अब मुझे लगता है कि उसकी बातें सही थीं। कम्युनिस्ट पार्टी को पित-सत्तात्मक

बरताव नहीं करना चाहिए। उसे जनवादी कार्यशैली से व्यवहार करना चाहिए।

५. गलतियां करने वाले को आत्मालोचना करनी चाहिए। उसे यह कतई नहीं समझना चाहिए कि वह हमेशा सही है। हो सकता है किसी को अपेक्षतया गलत विचार कम हो। गलत विषयों का जिद्ध करने और गलत मतों का व्यक्त करने को कितना कम करो तो उतना अच्छा है। तीन लड़ाईयां लड़कर कोई कमांडर एक में हारे और दो में जीते तो अपेक्षतया बेहतर ही है। क्योंकि वह कमांडर के पद पर बनाए रह सकता है...। संघर्षों के दौरान ज्यादाती नहीं होनी चाहिए। गलतियां सुधारने में साथियों की सहायता करनी चाहिए। वे समुचित रूप से गलतियों को सुधार लें तो काफी है। उनकी अंधाधुंध आलोचना नहीं करनी चाहिए।

उत्तराधिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी जरूर हों। वे बहुसंख्यक जनता के हितों की सेवा करें। वे बहुमत को एकताबद्ध करें। वे जनवादी काम तरीका अपनाएं। वे आत्मालोचना करें। मेरे मन में अभी सम्पूर्ण आकार नहीं है। आप स्वयं अध्ययन करके योजना बनाएं। आप भी उत्तराधिकारियों को बढ़ाएं। आप यह समझकार न जाएं कि आपके न होने से भूगोप परिक्रमा नहीं करेगा, पार्टी ही नहीं रहेगी। आप स्वयं दस आदमियों के समान हों तथा साथी जो काम करते हैं वह सब बकवास है। कसाई चांग की मौत से क्या आप यह सोच रहे हैं कि अब सूअर के मांस को उसके रोमों समहित खाना पड़ेगा? किसी की भी मौत से डरने की जरूरत कई नहीं है। किसकी मृत्यु बड़ी क्षति साबित हो सकती है? क्या मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन सभी की मृत्यु नहीं हुई है? तब भी क्रांति जारी ही होगी। एक व्यक्ति की मृत्यु इतना भारी नुकसान कैसे हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी का मरना लाजिमी है।

मौत कई तरह की होती है। कुछ शत्रु के हाथों मारे गए, कुछ हवाई दुर्घटनाओं में मारे गए, कुछ तैरते मारे गए, कुछ बैक्टिरिया के कारण मारे गए, कुछ की मौत बूढ़ापे के चलते हुई है। परमाणु बमों के कारण मरने वालों को भी इनमें जोड़ा जाना चाहिए। हमें हमारे पदभार को छोड़कर जाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा उत्तराधिकारियों के साथ तैयार रहना चाहिए। तीन श्रेणियों के उत्तराधिकारी हों। एक के एक दो तीन जोड़ा हाथ होने चाहिए। तेज तूफानों से नहीं डरना चाहिए।



“पावुरालागुद्ध जैशी घटनाएं चाहे कितने भी हों.... पीपुल्सवार नहीं रुकता...”

(आंध्र राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड महेश के साथ साक्षात्कार)

पत्रकार : सोमला नायक और जडला नागराज द्वारा की गई विद्रोही हत्यों क्या पीपुल्सवार पार्टी में ताजा संकट का संकेत है?

महेश : हरगिज नहीं। पीपुल्सवार में कोई भी किस्म का संकट नहीं है। दरअसल, सरकार जिस पुलिस पर निर्भर है, उसी में संकट है। उमेशचंद्र के स्थानांतरण से क्रोधित पुलिस द्वारा करीमनगर में की गई तोड़फोड़ इसका एक उदाहरण है। सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह अपने पुलिस बल पर भी नियंत्रण नहीं कर पाए। सरकार की फासीवादी नीतियों के दुष्परिणाम इस तरह सामने आ रहे हैं। इसी के अंतर्गत जनसेना में सनसनी पैदा करके खलबली मचाने के इरादे से सरकार ने यह साजिश रची। यह विद्रोह नहीं है। लाखों रुपए की लालच बताकर हत्याएं करवाने की चाल है। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।

पत्रकार : पंजाब और कश्मीर में पुलिस ने ऐसी कार्यनीति में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है न?

महेश : यह बात सच है कि वहां सफलता प्राप्त की जा चुकी है। पंजाब जैसे आंदोलनों की बुनियाद अलग है। आंध्र राज्य के मार्क्सवादी-लेनिनवादी आंदोलनों की बुनियाद अलग है। यहां वह दांवपेंच काम नहीं करेगा। हम जिस जनसेना का निर्माण कर रहे हैं- उसको हासिल चेतना और दार्शनिक नींव भिन्न है। सरकार द्वारा पाले-पोसे जाने वाले भाड़े के सैनिकों के पास ये नहीं होगा। लेकिन एक-दो घटनाओं में सरकार सफल हो सकती है। लेकिन बुनियाद पर चोट करना मुमकिन नहीं है।

पत्रकार : यह खबर प्रचार में है कि पुलिस ने पीपुल्सवार पार्टी में अभी तक ऐसे ५० लोगों को पैठ कराई है। अगर यह बात सही है तो आप इसका मुकाबला कैसे करेंगे?

महेश : पीपुल्सवार पार्टी में तहलका मचाने के लिए किया गया प्रचार है यहा। हमारी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि इस तरह के प्रचार भर से टूट जाए। यह बात सही है कि ऐसी चालों से अस्थायी तौर पर नुकसान तो होगा। लेकिन हम इस पराजय से ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। और भी मजबूत बनेंगे।

पत्रकार : क्या पुलिस में आपके मुखबिर हैं?

महेश : पुलिस में हमारी मदद करने वाले लोग मौजूद हैं। भविष्य में निश्चित रूप से उनका सहयोग बढ़ेगा। पुलिस वालों में ज्यादातर गरीब हैं।

पत्रकार : अगर यह बात सही हो कि पुलिस द्वारा दी गई लालच से सोमला नायक और जडला नागराज ने समर्पण किया... तो इतने सालों से पार्टी जीवन में उनको दी गई चेतना कहां गई? क्या यह पीपुल्सवार पार्टी की विफलता नहीं है?

महेश : इन घटनाओं से हमने शिक्षा ली है कि हमारे सदस्यों की राजनैतिक चेतना के मामले में हमें और भी ध्यान देना है। क्रांति आंदोलन अपने सदस्यों का जितना विकास करेगा, चुनौतियों का मुकाबला करना उतना आसान होगा।

पत्रकार : इसकी भी आलोचना की जा रही है न कि सदस्यों के व्यवहार व व्यक्तिगत कमजोरियों पर सावधानीपूर्वक नजर नहीं रखी जाती है?

महेश : अनेक चुनौतियों के मध्य दीर्घकालिक संघर्ष के दौरान गुमराह होने की कई संभावनाएं होती हैं। इन घटनाओं में यह दिखता है कि समय पर इनकी पहचान नहीं की गई। डेढ़ वर्ष से सोमला नायक अस्वस्थता के चलते बाहर जाता रहा। इलाज के लिए जाना-आना छह महीने से बढ़ गया। सोमला नायक पर उसके रिश्तेदारों का प्रभाव पड़ा। उसके रिश्तेदारों में से कुछ पुलिस

भाजपा गठबंधन की केन्द्र सरकार और आंध्र की तेलुगूदेशम चंद्रबाबू नायडू सरकार बढ़ रही पीपुल्सवार पार्टी का उन्मूलन करने के लिए एवं क्रांति आंदोलन को कुचलने के लिए योजनाएं रचने में दिन-रात जुट गई हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री के तत्वावधान में छह राज्यों के गृहमंत्रियों, गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक मीटिंग भी हाल ही में हैदराबाद में खत्म हुई है, जिसमें तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। गृहमंत्री आडवानी ने घोषणा की कि पीपुल्सवार के आंदोलन को कुचलने के लिए एक साझी रणनीति तैयार की गई है। लुटेरे वर्गों की सुरक्षा में हजारों करोड़ रुपए का प्रजाधन का खर्च किया जा रहा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर भाड़े के पुलिस-सैन्य बलों को संघर्ष क्षेत्रों में अनवरत भेजा जा रहा है। आंदोलन के नेतृत्व की हत्या करवाने के लिए पैसे बहाकर पीपुल्सवार पार्टी के अंदर ही गद्दारों को तैयार करने की कोशिशें बढ़ गईं। दूसरी ओर, शोषक सरकारें असत्य प्रचार कर रही हैं कि उनके द्वारा कथित तौर पर जारी विकास कार्यक्रमों में पीपुल्सवार पार्टी बाधा डाल रही है। ऐसी पृष्ठभूमि में पार्टी की आंध्र राज्य कमेटी के सचिव और केन्द्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड महेश ने तेलुगूदेशम के दो दैनिकों को लंबी भेंटवार्ता दी। ‘प्रभात’ के पाठकों के लिए पेश है उसके कुछ प्रमुख अंश-

-संपादक मंडल

में हैं। इन सभी पहलुओं का हमने सही अनुमान नहीं लगाया। घटना के पूर्व दस दिनों से उसमें असामान्य व्यवहार देखा गया। लेकिन हमने यह कल्पना नहीं की कि उसका नतीजा इतना गंभीर हो सकता है। हम समझ गए कि अविवेचित रूप से बोले गए कुछ बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इस संबंध में हमारे मानदण्डों को और भी बेहतर बनाना होगा। उसके लिए आवश्यक संजाल भी हमें व्यापक बनाना होगा। लेकिन जनता चूँकि हजारों आंखों से आंदोलन की रक्षा कर रही है, इसलिए इतने आघातों से हम उबर रहे हैं।

पत्रकार : इस आलोचना पर कि पुलिस के सामने समर्पित व्यक्तियों को फिर से पार्टी में लेने में आप उचित मानदण्ड नहीं अपना रहे हैं, आपका जवाब क्या है?

महेश : हमने १९९४ में ही यह प्रस्ताव किया कि समर्पण करने वालों को पर्याप्त जांच-पड़ताल के बिना फिर से पार्टी में शामिल नहीं किया जाए। उनके कम से कम छह महीने जनसंगठनों में काम करने के बाद ही उन पर विचार किया जाए। लेकिन जडला नागराज के मामले में इसके विपरीत हो गया। कुछेक मामलों में मानवतावादी दृष्टिकोण से हम कुछ बातों को विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल, जनता हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी दे रही है।

पत्रकार : मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बार-बार यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार द्वारा जारी विकास कार्यों में पीपुल्सवार पार्टी बाधा डाल रही है तथा पार्टी विकास कार्यक्रमों का विरोधी है। इस पर आपका क्या कहना है?

महेश : पीपुल्सवार विकास विरोधी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू द्वारा जारी विकास क्या है? पूरी तरह ऋणों पर आधारित प्रयोग को वह विकास का नाम दे रहा है। चंद लोगों को फायदे पहुंचाना और व्यापक जन-समुदाय को कष्ट देना ही चंद्रबाबू द्वारा जारी कथित विकास का लक्षण है। चंद लोगों को फायदे पहुंचाने वाला कोई भी काम अपना कल्याण लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए चंद्रबाबू की विकास योजनाओं को पीपुल्सवार यकीनी तौर पर रोकता है। हम उस विकास का विरोध करेंगे जिसका जनता को न्यूनतम रोजगार दिलवाने से कोई वास्ता नहीं है।

पत्रकार : राज्य के विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू इतने बड़े पैमाने पर पैसे ला रहे हैं न कि पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लाए। आप इसे रोकेंगे तो कैसे?

महेश : हां। यह सही है कि चंद्रबाबू सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान ही विश्व बैंक से कर्ज के रूप में ८,००० करोड़ रुपए लाए। क्या आप एक बात जानते हैं! मां के कोख से जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु के सिर पर फिलहाल ३,००० रुपए का कर्ज मढ़ा है। सिर्फ ब्याज के रूप में आंध्र राज्य की सरकार सालाना २५,००० करोड़ रुपए अदा कर रही है। वह अपने प्रदेश के बजट के समान है। इन जनविरोधी कार्रवाईयों को रोककर रहेंगे।

पत्रकार : भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में क्यों आंध्रप्रदेश को ही ज्यादा ऋण मिल रहे हैं? क्या यह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की पहल और क्षमता के कारण नहीं?

महेश : यह चंद्रबाबू की महानता कतई नहीं है। अगर चंद्रबाबू गद्दी से उतर जाए, तब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से आंध्र राज्य को प्राप्त हो रहे ऋणों में कोई कमी नहीं होगी। बाबू नामक व्यक्ति के नाम पर ऋण नहीं मिल

रहे हैं। राज्य में व्याप्त राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर ही ऋण मिल रहे हैं।

पत्रकार : विश्व बैंक ने पहली बार केन्द्र सरकार से न होकर, एक राज्य सरकार के साथ सीधा सम्पर्क साधा और संबंध कायम किया है ना क्या इस बात से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राज्य सरकार पर विश्व बैंक को कितना भरोसा है?

महेश : हां, राज्य सरकार पर और चंद्रबाबू नायडू पर विश्व बैंक को असीमित विश्वास है। एक समूचे राज्य को उसके चरणों पर समर्पित करने वाली सरकार पर प्रेम किए बिना वह कैसे रह सकता है? मैं बताऊंगा कि यह सब क्यों हो रहा है। वर्तमान में अमरीका ने उत्पादन पर नफे कमाने की स्थिति खो दी। वह वित्त क्षेत्र, बैंकिंग और सेवाओं में सट्टेबाजी के जरिए मुनाफा कमाने की ताक में है। अमरीका पराश्रयिक स्वभाव वाला देश है। तीसरे विश्व के देशों के खून चूसने पर ही उसका अस्तित्व टिका है। परिणामस्वरूप उसकी कठपुतली मुद्रा संस्थाओं की तीसरे विश्व के देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पैठ बढ़ रही है। हमारे देश में ७० के दशक के बाद केन्द्र-राज्य सरकारों में अस्थिरता बढ़ गई है। मुख्य रूप से जब से केन्द्र में राजनीतिक स्थिरता होने लगी, तब से अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं राज्य सरकारों के साथ सीधे सम्पर्क साधकर आदेश देने के स्तर पर पहुंची हैं।

विश्व बैंक की शर्तों के आगे घुटने टेककर उन पर अमल करने में चंद्रबाबू आगे निकल चुका है। आधुनिकीकरण के नाम पर सभी का निजीकरण करते हुए वह विश्व बैंक की वाहवाही लूटने में मस्त है। आंध्रप्रदेश पर विश्व बैंक के बेहद प्रेमानुराग के पीछे एक प्रमुख राजनीतिक कारण भी है। जिस व्यवस्था पर दलाल पूंजीपति वर्ग निर्भर है उसे ढहाने वाला क्रांति आंदोलन आंध्रप्रदेश में बेहद बढ़ रहा है। यह आंध्र तक ही सीमित नहीं है। यह देशभर में उल्लेखनीय रूप से फैल रहा है। समस्याओं से उत्पीड़ित तीसरी दुनिया के सभी देशों पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब, साम्राज्यवादियों के हितों की क्षति हो रही है। साम्राज्यवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं के जरिए इस स्थिति की पहचान की। क्रांति आंदोलन पर आघात करना अपनी फौरी जरूरत मानी। 'एक पंथ दो काज' हासिल करने के लिए उन्होंने आंध्र को बड़े पैमाने पर ऋण देना शुरू किया। करीमनगर जिले, जहां क्रांति आंदोलन मजबूत है, में सड़कों के निर्माण के लिए भी विश्व बैंक द्वारा करोड़ों रुपए के ऋण दिए जाने के पीछे का कारण यही है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा रखी गई हर शर्त का चंद्रबाबू पालन कर रहा है। आज हमारे राज्य के बजट को हमारी मंत्रिमंडल नहीं बनाता है। हमारे बजट को पहले विश्व बैंक देखकर मंजूरी देती है, तब ही जनता उसे देख पाती है। चंद्रबाबू ने हमारे राज्य को इस तरह विश्व बैंक के चरणों पर रख दिया।

पत्रकार : यह आलोचना भी है कि तेलुगूदेश सरकार को ख्याति लाने वाली 'जनता के पास शासन', 'जन्मभूमि' आदि योजनाओं को आप रोक रहे हैं?

महेश : 'जन्मभूमि' योजना का नाम ही नया है। इसके लिए अतिरिक्त आवंटन नहीं है। अलग-अलग योजनाओं के तहत किए जाने वाले खर्चों को जोड़कर एक ही परियोजना के नाम से अमल में लाया जा रहा है। इस योजना से जनता की कोई भी अतिरिक्त समस्या का हल नहीं हुआ। जनता से कर

वसूलने वाली सरकार पर जन कल्याण का दायित्व रहता है। लेकिन इन योजनाओं की आड़ में सरकार ने अपने दायित्व को छोड़कर जन-हितकारी कार्यों के लिए जनता को ही जिम्मेदार बनाया। नाम एक का और देश दूसरा करे! काम जनता के श्रमदान से पूरे होंगे और इसे सरकार द्वारा किया गया विकास कहा जाएगा।

पत्रकार : खबरें हैं कि तेलंगाना क्षेत्र में तथा विशाखा व पूर्व गोदावरी जिलों में जनता के श्रमदान से पीपुल्सवार कल्याण कार्यक्रम कर रहा है। क्या यह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू किया गया श्रमदान का अनुकरण नहीं है?

महेश : पीपुल्सवार के नेतृत्व में ग्राम विकास कमेटियां स्थानीय संसाधनों को जुटाकर विकास कार्यक्रम चला रही हैं। जनता स्वयं उन कार्यों में भाग ले रही है। किसानों के आपसी सहयोग के आधार पर 'किसान सहकार संघों' का गठन किया गया। लेकिन ये सब १९९५ से ही पीपुल्सवार द्वारा अमल किए जा रहे हैं। नलगोंडा जिले के चौटुप्पल में १८ लाख रुपए खर्च करके चार किलोमीटर दूर से पाइपल लाइन बिछाकर पेयजल का संकट दूर किया है हमने। हमने निजामाबाद जिले के ग्राम महिकुंटा में इतना बड़ा तालाब का निर्माण किया कि उससे तीन-चार ग्रामों को पानी मिले। दरारें भरने, तालाब के बांधों की ऊंचाई बढ़ा लेने, छोटे तालाबों का निर्माण करने आदि काम गांवों में लंबे अरसे से जारी है। अब आप स्वयं फैसला कर लें कि कौन किसका अनुकरण कर रहा है।

पत्रकार : कल्याण कार्यक्रमों के लिए क्या पीपुल्सवार अनुदान दे रहा है?

महेश : नहीं। जहां जनता तैयार हो, वहां बाहर से विशेष रूप से धन की जरूरत नहीं है। स्थानीय संसाधनों को जुटाने भर से हो जाएगा। संबंधित ग्राम कमेटियां स्वयं यह जिम्मेदारी उठा रही हैं। पीपुल्सवार संसाधनों को जुटाने में सहयोग देता है। उचित तरीके सुझाता है। जनता का श्रमदान ही ज्यादा रहता है।

पत्रकार : सरकार की श्रमदान योजना भी यही है न? आपकी आलोचना क्यों?

महेश : चंद्रबाबू का 'जन्मभूमि' वाला श्रमदान और पीपुल्सवार का श्रमदान स्वाभाविक रूप से ही भिन्न है। सरकार ने जनता से कर वसूलना बंद नहीं किया, बल्कि बढ़ाया है। व्यापक जन-समुदाय के लिए खर्च करने वाली राशि में कटौती कर रही है। अपने वर्ग के लिए तो बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर रही है। हैराबाद के सम्पन्न लोगों के बंजारा हिल्स की सड़कों और ग्रामीण प्रांतों की सड़कों को देखें तो यह बात समझ आती है। सरकार जनता का श्रम का भी शोषण कर रही है। हमारा कार्यक्रम नई वैकल्पिक नीति के तहत जारी है। दोनों में मेल का प्रश्न ही नहीं उठता।

पत्रकार : राज्य में बढ़ती हिंसा से चिंतित होकर इसके समाधान के लिए सरकार से और आपसे वार्ता कर रहे नागरिक मंच (सिटीजेन्स फोरम) के प्रति आपका सहयोग कहां तक होगा?

महेश : जब तक जनता की जनतांत्रिक आकांक्षाओं का समर्थन करेंगे, उनके साथ हम सहयोग करेंगे। इसके भिन्न रहने पर उनके राजनैतिक रवैये के मुताबिक हम तय करेंगे कि उनके साथ क्या नीति अपनाई जाए। नागरिक मंच

के प्रगतिशील स्वभाव का हम समर्थन करेंगे। साथ-साथ हम उनके अस्त-व्यस्त मतों, ढुलमुलपन और हिचकिचाहट को आलोचनात्मक नजरिये से देखते हैं।

पत्रकार : क्या आप से नागरिक मंच ने वार्ताएं कीं? क्या उन वार्ताओं के परिणामस्वरूप ही हाल के संसदीय चुनाव में आपकी ओर से हिंसात्मक कार्रवाईयों की कमी आई है?

महेश : यह बात सच है कि मंच के साथ हमारी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अपनाई गई हमारी नीति से उन वार्ताओं का कोई तात्त्विक नहीं है। दिसम्बर, १९९७ में ही पीपुल्सवार पार्टी ने चुनाव का परिपत्र जारी किया। उस परिपत्र में हमारी नीति स्पष्ट की गई। उसी के अनुसार चुनाव के समय हमारा व्यवहार रहा। सिटीजेन्स फोरम के साथ हमारी वार्ताएं जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में हुईं। इसलिए उनके सुझावों पर हमारी नीति तय करने की बात ही नहीं है।

पत्रकार : तो ये खबरें भी आई हैं न कि इस बार के संसदीय चुनाव में चुनाव बहिष्कार के आह्वान पर कठोरता से अमल नहीं किया गया है?

महेश : चुनाव का बहिष्करण हमारी एक कार्यनीति है। तत्कालीन राष्ट्रीय व राज्य की परिस्थितियों और हमारी ताकत को ध्यान में रखकर हम हर चुनाव में हमारी नीति तय कर लेते हैं। पिछले चुनाव की समीक्षा के बाद ही हम तय कर लेते हैं कि बहिष्करण आह्वान पर किस हद तक अमल किया जाए। इस बार हमने संसदीय व्यवस्था पर जनता की भ्रांतियों को दूर करने के लिए जोर देकर प्रचार किया। जनता की वैकल्पिक राजसत्ता की जरूरत पर ग्राम-ग्राम में प्रचार किया।

पत्रकार : सिटीजेन्स फोरम पर पीपुल्सवार की क्या राय है?

महेश : सिटीजेन्स फोरम के सदस्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त बुद्धिजीवी हैं। हम उनका आदर करते हैं। लेकिन वे सब एक विचार वाले नहीं हैं। कुछ ही मुद्दों पर वे एकमत हैं। वे लिबरल डेमोक्रेट हैं। उनकी विचारधारा में कुछ अव्यवस्था मौजूद है। आमतौर पर लिबरल डेमोक्रेटों का यह मत होता है कि मौजूदा व्यवस्था ठीक ही है, लेकिन व्यवस्था में चंद लोगों के गलत रवैये के चलते ही उसमें कुछ खामियां मौजूद हैं। अतः वे वर्तमान व्यवस्था का स्वभाव नहीं समझ पाते। सिटीजेन्स फोरम के सदस्यों का भी ऐसा ही विचार है। लेकिन ये लोग जन आंदोलनों और क्रांति आंदोलनों का सीधा विरोध नहीं करते। बुर्जुवाई व्यवस्था का विरोध भी नहीं करते। जनता की आकांक्षाओं को नहीं नकारते। फिर भी, नई व्यवस्था के लिए जारी संघर्ष में जनता की आकांक्षाओं का ये लोग समर्थन करते हैं। फोरम के सदस्य सरकार के पास गए। चंद्रबाबू ने वचन दिया कि अब से झूठी मुठभेड़ें नहीं होंगी। लेकिन कागज पर समझौते के गीलापन सूखने से पहले ही सरकार ने झूठी मुठभेड़ की। हमें विश्वास है कि आचरण में फोरम के सदस्य सरकार की दोहरी नीति को समझ पाएंगे।

पत्रकार : क्या फोरम के साथ आपके किसी विषय में मतभेद हैं?

महेश : फोरम ने इस मुद्दे को पुलिस और नक्सलवादियों के बीच समस्या के रूप में सीमित कर दिया। नक्सलवादियों की कोई अलग समस्याएं या मांगें नहीं हैं। जनता की मांगें ही नक्सलवादियों के मांगें हैं। गत सत्रह वर्षों की आंध्र की राजनीति को देखा जाए तो सत्ता पक्ष इसे कानून और व्यवस्था संबंधी

समस्या के रूप में देखता रहता है। जबकि विपक्ष कहता है कि यह राजनीति, सामाजिक व आर्थिक मसला है। चुनाव के समय तो सत्ताधारी पक्ष भी इसे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक मसला कहता है। इन बातों के पीछे छिपी धोखेबाजी को सच्चे लोकतांत्रिकवादी तो समझ लेंगे। हमारी यही अपेक्षा है कि सिटीजेन्स फोरम वाले भी सच्चे लोकतांत्रिकवादी हों। उस हद तक उन्हें हम सहयोग देंगे। सरकार की दोहरी नीति को जनता में स्पष्ट करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है।

पत्रकार : कुछ समय से बारूदी सुरंग की घटनाओं में कमी आई है। क्या इस मामले में पीपुल्सवार की कार्यनीति में कोई बदलाव आया है?

महेश : हमारी पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय लिया कि बारूदी सुरंगों का प्रयोग न किया जाए। चूँकि दुश्मन द्वारा तरीकों के अनुरूप हमारे संघर्ष के रूप बदलते हैं, इसलिए कुछेक बार उसकी तीव्रता कम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रयोग बंद हो गया। भारत की क्रांति में बारूदी सुरंगों का प्रयोग लड़ाई का एक अत्यन्त सशक्त तरीका है। हम इसका उपयोग आगे और भी सशक्त रूप से करने वाले हैं।

पत्रकार : हालाँकि पृथक तेलंगाना आंदोलन का पीपुल्सवार ने समर्थन तो किया, लेकिन वर्तमान में जारी आंदोलन में वह सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहा है, क्यों?

महेश : पृथक तेलंगाना को राजनीतिक तौर पर दस्तावेज के रूप में हमने ही सबसे पहले घोषित किया था। आंध्रप्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं के अंतर्गत ही आज यह आंदोलन सामने आया। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। लेकिन भाजपा, इंद्रा रेड्डी जैसे बुर्जुवाइयों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय विभाजन का हम समर्थन नहीं करते। पृथक तेलंगाना से हमारा मतलब है जनतांत्रिक तेलंगाना। यह केवल सरहदें तय करने वाला सीमित कार्यक्रम नहीं है। हम इस कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर रहे हैं कि साम्राज्यवादियों की सम्पत्ति छीन ली जाएगी तथा भू-स्वामियों को मार दिया जाएगा-भगा दिया जाएगा। जनता के जनतांत्रिक अधिकारों की गारंटी हो, ऐसे पृथक तेलंगाना के लिए ही हम संघर्ष करेंगे।

पत्रकार : प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगूदेशम पार्टी से अलग होने के बाद भाकपा और माकपा ने घोषणा की कि नक्सलवादी पार्टियों से मिलकर वे तीसरा मोर्चा का गठन करेंगे। इस दिशा में क्या आपसे कोई चर्चा हुई? इर मोर्चे के प्रति आपका रवैया क्या है?

महेश : संसदीय राजनीति के अंतर्गत कोई भी पार्टी हमसे चर्चा करने के लिए नहीं आएगी। यदि आ भी जाए तो हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक कभी नहीं रहेगी। लाल झंडे के नाम पर धुवीकरण करने वाली इन पार्टियों के पास दरअसल भारत की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने की हिम्मत नहीं है। इस मोर्चे में पीपुल्सवार के भागीदार बनने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जन-आंदोलन को आगे ले जाने के लिए सामने आने वाली कोई भी पार्टी से मिलकर काम करने के लिए हम तैयार हैं।

पत्रकार : यह आलोचना भी सुनी जाती है कि पीपुल्सवार पार्टी में निर्णायक स्थानों पर दलितों की उपस्थिति कम है?

महेश : क्रांति आंदोलन के शुरूआती दौर में उच्च वर्ग ही सामने आए थे। शिक्षा, सांस्कृतिक चेतना व असर कोई भी आंदोलन में उन्हीं का प्रेरित

करते हैं। लेकिन समय के साथ उत्पीड़ित वर्ग ही नेतृत्वकारी पदों पर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होगा तो उस आंदोलन का अस्तित्व ही खतरों में पड़ेगा। जहां तक पीपुल्सवार पार्टी का प्रश्न है, ग्राम स्तर की राजनीति में तथा ग्राम संगठनों के नेतृत्व पदों पर दलित और पिछड़ी जातियों के लोग ही बड़ी तादाद में मौजूद हैं। क्रमगत रूप से ये लोग पार्टी में निर्णायक स्थानों पर तरक्की कर रहे हैं। महबूबनगर जिले में सम्पन्न पार्टी अधिवेशन में जिन २० प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनमें १९ दलित हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी जिलों में यह अनुपात है। निचले स्तर की कमेटीयों में बड़ी तादाद में मौजूद दलितों का नेतृत्व पदों पर पहुंचना अवश्यभावी है। आगामी समय में पार्टी दलितों के ही नेतृत्व में चलेगी।

पत्रकार : दलितों के निचले स्तर तक ही सीमित होने के कारण क्या हैं?

महेश : सांस्कृतिक पिछड़ापन और शिक्षा का अभाव। हम अब इन दो विषयों पर काफी ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल हमारी पार्टी में भर्ती होने वालों में ७० प्रतिशत दलित ही हैं। इन्हें पर्याप्त राजनीति, चेतना व शिक्षा मुहैया कराने में की जिम्मेदारी हम पर है। इस आशय को लेकर हमने एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया। साल में दो महीने पूर्ण रूप से पढ़ाई के लिए होंगे। पहला वर्ष प्राथमिक शिक्षा पूरी होगी। दूसरा वर्ष उन्नत शिक्षा पूरी होगी। बाद में इतिहास, भूगोल, राजनीति व अर्थशास्त्र पढ़ाए जाएंगे। इस दौरान कोई दूसरा काम नहीं रहेगा।

पत्रकार : इस आलोचना का आपका जवाब क्या है कि पीपुल्सवार पार्टी ने शुरू से ही जाति सवाल पर समुचित ध्यान नहीं दिया?

महेश : इस आलोचना में सच्चाई नहीं है कि जाति सवाल को हमने महत्व नहीं दिया। लेकिन ऐसा होता है कि अमुक समय में अमुक मुद्दा महत्वपूर्ण बन जाता है। तब उस मुद्दे पर ध्यान बढ़ जाता है। १९९६ में दलित दृष्टिकोण तैयार कर पार्टी के बाहर मौजूद प्रगतिशील दलित व्यक्तियों को भी हमने अवगत कराया। तेलंगाना के जिन इलाकों में हमारा आंदोलन मजबूत है, वहां जाति आधारित भेदभाव, छुआछूत और दलितों पर आक्रमणों को पीपुल्सवार पार्टी ही रोक सकी। हम यह नहीं कह सकेंगे कि जाति सवाल को हमने पूर्ण रूप से मिटा दिया है। लेकिन जाति-व्यवस्था का नंगा नाच को तो नियंत्रित कर सके। गांवों में जाति-व्यवस्था का संरक्षण करने वाले मुख्य रूप से भूमिपति ही हैं। पीपुल्सवार के डर से तेलंगाना के गांवों से भागकर भूमिपति शहरों में छिप-छिपकर जी रहे हैं। दलित सामाजिक रूतबा हासिल कर रहे हैं। उनका जीवन स्तर बढ़ा। ये सब क्रांति आंदोलन की उपलब्धियां ही हैं।

पत्रकार : जाति समस्या का समाधान के लिए आपका कार्याचरण क्या है?

महेश : उत्पीड़ित जातियों में शिक्षा व सांस्कृतिक स्तर को बढ़ाने के लिए हम रात्रिकालीन पाठशालाओं का संचालन कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनमें जागृति ला रहे हैं। गांवों में अंतरजातीय विवाहों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति में सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ापन के आधार पर दलितों और पिछड़ी जातियों को आरक्षण पर अमल किया जाए, यह हमारी मांग है। क्रांति की जीत के बाद भी इस पर अमल किया जाएगा। निजी क्षेत्र में भी हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम दबाव डाल रहे

हैं कि दलितों के द्वारा आक्रामित जमीन को पट्टा दिया जाए।

पत्रकार : यह आलोचना भी है कि महिला सवाल पर भी पीपुल्सवार के स्पंदन में विलंब हुआ?

महेश : हां, पार्टी में दो-तीन वर्षों से ही इस विषय में ध्यान बढ़ गया। १९९१ तक हमने खेतिहर मजदूर आंदोलन के तहत ही, उसी चेतना के साथ महिलाओं को गोलबंद किया। उसके बाद ही हमने विशेष रूप से महिला आंदोलन के निर्माण के महत्व को पहचाना। फिलहाल क्रांति आंदोलन में महिलाओं का स्थान बढ़ गया। गांवों में हमने ऐसे कार्यक्रम अपनाए, जिससे महिलाओं को अपने समस्याओं पर लड़ने की चेतना मिल सके। जन-अदालतों में पारिवारिक झगड़ों, प्रताड़नाओं और अत्याचारों की सुनवाई हुई। यहां महिला अधिकारों की गारंटी मिल गई। हमारा मानना है कि मौजूदा क्रांति आंदोलन के आगे बढ़ने के लिए महिला आंदोलनों की बेहद जरूरत है। तेलंगाना में 'महिला मुक्ति संगठन' तथा अन्य प्रांतों में 'क्रांतिकारी महिला संगठन' बड़े पैमाने पर महिलाओं को गोलबंद कर जागृत कर रहे हैं।

पत्रकार : प्रदेश में अब अनेक समस्याओं पर अलग-अलग आंदोलन पैदा हो रहे हैं। क्या जन समस्याओं के समाधान करने में पीपुल्सवार की विफलता के परिणामस्वरूप ही इस तरह कई आंदोलन पनपने लगे हैं?

महेश : यह विफलता नहीं है। क्रांति आंदोलन की उपलब्धि है। नई आर्थिक नीति, निजीकरण, विदेशी संस्थाओं की घुसपैठ आदि ने जनता का जीना दुर्भर कर दिया। जनता को लड़ना अनिवार्य कर दिया। इसी नेपथ्य से तरह-तरह के नामों से अलग-अलग आंदोलन खड़े हो गए। आदिवासियों की 'लुडुम का प्रहार', चमारों का 'ढिंढोरा', 'जल-साधन समिति' का सिंचाई पानी का संघर्ष, किसान से समिति का संघर्ष, 'अकाल विरोधी कमेटी' का आंदोलन, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन आदि नाम जो भी हों, ये सब एक ही नेपथ्य की उपज हैं। इन सभी आंदोलनों में पीपुल्सवार पार्टी की भूमिका है। कुछ में हमारी सीधी भागीदारी है। कुछ आंदोलनों का हम समर्थन कर रहे हैं। कहां हमारी ताकतें केन्द्रित हों और कहां कम हों, इससे हम स्पष्ट रूप से अवगत हैं। प्रतिबंध की इस परिस्थिति में मैं इससे ज्यादा ब्यौरा नहीं दे सकता। आंदोलन की शुरूआत चाहे कोई भी करे लेकिन आप देखिए कि कौन उसे जारी रख रहे हैं। सभी हड़तालों की शुरूआत संशोधनवादी ट्रेड यूनियन ही करते हैं। लेकिन उनको जारी रखकर जीत हासिल करने वाले मार्क्सवादी-लेनिनवादी ट्रेड यूनियन हैं। सिंगरेणी में यह बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई। दरअसल, अनेक आंदोलनों में अनेक रूपों में हासिल होना भी हमारी रणनीति है। हम पर दमन बढ़ाकर जंगलों में, दूरस्थ गांवों में हमें सीमित रखने की सरकार जितनी कोशिश करेगी, हम उतने सशक्त रूप से शहरों के बीचोंबीच किसी भी जन आंदोलन में प्रत्यक्ष होते ही रहते हैं।

पत्रकार : पीपुल्सवार का अनुमान है न कि भारत की जनता में चेतना बढ़ रही है तथा हालात क्रांति के अनुकूल विकसित हो रहे हैं। तो फिर सचेत जनता ने धार्मिक कट्टरता के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता क्यों सौंप दी?

महेश : यह भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं, बल्कि भारत की तमाम शासक पार्टियों की पराजय है। चुनाव के पूर्व लगभग प्रत्येक प्रमुख पार्टी में किसी भी तरह की फूट पड़ी। और इस प्रकृति को भी गति मिली कि

राजनीतिक कार्यसूची (एजेंडा) को ताक पर रखकर ही सही, किसी भी तरह एकजुट होकर सत्ता हथियाए। जनता इस बात से स्पष्ट तौर पर अवगत हो गई कि केन्द्र में कोई भी पार्टी स्थायी शासन नहीं दे सकेगी। और भारतीय जनता पार्टी अभी भी हिन्दू अगड़ी जातियों की प्रतिनिधि है। और इधर उन सभी गैर-भाजपा पार्टियों, जो धर्मनिरपेक्षता की दावेदारी करती हैं, का पोल खुल गया। भाजपा ने यह भांपकर कि जनता में हिन्दू साम्प्रदायिकता को अनुमोदन नहीं मिला, अपना स्वर बदल दिया। 'स्वदेशी' नारा फीका हो गया। प्रभावशाली वर्गों ने एलके आडवानी को नियंत्रित कर वाजपेयी को धर्मनिरपेक्ष के तौर पर पेश किया। उस पार्टी के सत्ता में आने में इन सभी का योगदान रहा। भाजपा जल्द ही फिर से अपना हिन्दू पत्ता खोल देगी। उदारीकृत नीति को आगे ले जाने में वह संयुक्त मोर्चे से एक कदम आगे बढ़ गई। वह साम्राज्यवादी कंपनियों को बिना शर्त अनुमति दे रही है। भाजपा बहुत जल्द अपने पुराने चेहरे से जनता के सामने प्रत्यक्ष होजाएगी।

पत्रकार : क्या पीपुल्सवार छात्र आंदोलन का पुनर्निर्माण करने की कोई कोशिश कर रहा है?

महेश : फिलहाल हम छात्र आंदोलन पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। तीन-चार वर्षों बाद इनके परिणाम सामने आएंगे।

पत्रकार : क्या क्रांतिकारी पार्टियों की एकता के प्रयास जारी हैं? किस आधार पर?

महेश : भारत की क्रांतिकारी पार्टियां स्पष्ट तौर पर दो समूहों में बंटी हुई है। कुछ चुनाव पर निर्भर हैं तथा कुछ और पार्टियां सशस्त्र संघर्ष पर विश्वास करके संसदीय व्यवस्था को टुकराती हैं। पीपुल्सवार, एमसीसी और पार्टी यूनियन ने ही संसदीय व्यवस्था को टुकरा दिया। अन्य पार्टियां ४० तक हैं, लेकिन भारत की क्रांति राजनीति में उन्हें पर्याप्त जगह नहीं है। एमसीसी के साथ विलय के लिए पीपुल्सवार की वार्ताएं जारी हैं। इन तीन पार्टियों की एकता भारत की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। निकट भविष्य में हमें इसकी उम्मीद है।

पत्रकार : असंख्यक भारतीय सेना और पुलिस बलों का मुकाबला पीपुल्सवार किस सशक्त ताकत के जरिए कर सकता है?

महेश : जनसेना के ही जरिए। संख्या की तुलना किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी लड़ाई राजनीतिक है। पुलिस और सेना के जवान भी गरीब हैं। विस्तारित हो रहे हमारे आंदोलन को देखकर हमारे जन-संघर्ष के लक्ष्य के प्रति आकर्षित होकर वे हमारे साथ आएंगे। हर एक सरकार यही कहते आ रही है कि पुलिस बल के द्वारा हमें कुचल दिया जाएगा। १९७७ से अधिक १९९७ तक हमारे पार्टी सदस्य और हमदर्द २००० से ज्यादा ही शहीद हो गए। फिर भी क्रांति आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

पीपुल्सवार आज आंध्र तक ही सीमित नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा और पंजाब में इसका विस्तार हो गया। उत्तरप्रदेश में भी हमने कदम रखा। हम पर जितना दमन बढ़ाया जाएगा, हम दोगुनी ताकत से लौटते आ जाते हैं। सरकार द्वारा अमल जनविरोधी-साम्राज्यवाद अनुकूल नीतियां ही क्रांति को जितवाएंगी।

☆☆☆☆☆

खबरों की दुनिया

दस पुलिस वालों का सफाया

आंध्रप्रदेश के उत्तर तेलंगाना छापामार इलाके में स्थित वारंग जिले के ग्राम मोट्लागूडेम के पास किए गए एक बारूदी सुरंग के धमाके में एक थानेदार, उसका अंगरक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ८ जवान कुत्ते की मौत मरे। घात लगाकर किए गए इस हमले में एक एके-४७, एक स्टेनगन, एक पिस्तौल सहित कुछ राईफलें छापामारों के हाथ लगे। खबरों के मुताबिक छापामारों ने एक पुलिसिया के नीचे बारूदी सुरंग इस तरह बिछा दी कि वह बाहर से दिखाई दे। गांव के बाहर बस स्टैंड के पास भी एक और सुरंग बिछाई गई जो असली थी। आशा के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के बाद थानेदार दल-बल सहित आ धमके और बारूदी सुरंग हटाकर इस उपलब्धि का प्रचार हेतु फोटोग्राफर से तस्वीरें भी खिंचवा लिए। पुलिस वाले फूले न समाते हुए जब वापस लौटे तो उनकी प्रतीक्षा में बैठे छापामारों ने धमाका कर दिया। सारे हथियार छीनकर छापामार सकुशल चले गए।

बारूदी सुरंग धमाकों से तंग आ चुकी आंध्र की सरकार ने केन्द्र सरकार से मित्रों की कि वह गोला-बारूद के कारखानों को यह आदेश दे कि १० से १५ सेकंड की देरी से फटने वाले डिटोनेटरों को तैयार किया जाए।

(विभिन्न पत्रिकाओं पर आधारित)

विश्व बैंक से सबसे बड़ा ऋणग्राही भारत ही होगा

विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक (ऑपरेशन्स) वेस्सर ने अपनी ९ दिन की भारत यात्रा के अंत में पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बोलते हुए उसने बिना सोचे-समझे ही भाजपा गठबंधन सरकार के 'स्वदेशी' नारे का पोल खोल दिया। आंध्रप्रदेश में जारी सुधारों की प्रशंसा करते हुए उसने ऋणों की बौछार लगाने की घोषणा की। उसने यह भी कहा कि वर्ष १९९७-९८ में भारत ३ अरब डॉलर के वार्षिक ऋण व उधार लेने वाला है, जिसके साथ ही वह विश्व बैंक से सबसे बड़ा ऋणग्राही बन जाएगा। उसने अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी और वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा से मिलने का जिक्र करते हुए, उनके द्वारा १९९१ में (विश्व बैंक के इशारे पर) शुरू किए गए आर्थिक सुधारों को जारी रखते हुए और भी गहराई से, विस्तृत रूप से और तेजी से अमल करने का आश्वासन दिए जाने की बात कही। उसने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक के द्वारा राज्यों के स्तर पर सुधारों के लिए, मुख्य रूप से बिजली और सामाजिक क्षेत्रों में दी जा रही सहायता की प्रशंसा की।

मौद्रिक घाटे को कम करने पर जोर देते हुए वेस्सर ने इससे मध्यम अवधि में स्थिरता को बल मिलने की बात कहते हुए इसके लिए अन्य कदमों के अलावा खाद्य पदार्थ और उर्वरक के क्षेत्रों में सब्सिडियों में कटौती को भी आवश्यक बताया। उसने आग्रह किया कि भारत बीमा क्षेत्र में विदेशी संस्थाओं का स्वागत करे।

उसने जिन चार राज्यों, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र का दौरा किया, उनमें से आंध्र में जारी सुधारों की विशेष रूप से प्रशंसा की। उसने आंध्रप्रदेश के सुधारों के मामले में दूरदृष्टि से चलने की बात कही। इस भरोसे के साथ ही विश्व बैंक अन्य राज्यों के मुकाबले आंध्र को बड़ी तादाद में ऋण देने जा रहा है। आगामी छह महीनों में हैदराबाद की पानी आपूर्ति संस्था को २० करोड़ डॉलर, सड़क, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पोषक आहार आदि क्षेत्रों को ५५ करोड़ डॉलर ऋण की स्वीकृति हुई। और यह भी घोषणा की गई है कि आगामी कुछ वर्षों में आंध्र में बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए लगभग १ अरब डॉलर ऋण देने जा रहे हैं।

(कॉम्प्यूटेशन रिक्रेशर से साभार)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेना में भर्तियां बढ़ाई जाएंगी

भारत के पूर्वोत्तर भाग में जेरों से जारी राष्ट्रीयता संघर्षों को अंदर से ही आघात लगाने के भारत के शासकवर्गों के प्रयासों के अंतर्गत रक्षा मंत्रित्व ने उस क्षेत्र से सेना में भर्ती का कोटा बढ़ाने का निर्णय लिया। पूरी भर्ती में अब पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोटा १० प्रतिशत रहा तो अन्य क्षेत्रों से रिक्त स्थानों को यहां बदलकर इसे दोगुना करने की बात प्रतिरक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिज ने कही। उसने आगे बोला कि सेना की जरूरतों की आपूर्ति स्थानीय बाजारों से ही अधिकांश की जाएगी। इस तरह आर्थिक आकर्षण और युवाओं को रोजगार का प्रलोभन देकर संघर्षरत जनता में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित है, उनके अन्य प्रयासों की तरह यह भी धूल चाटने पर विवश होगा तथा पूर्वोत्तर के राष्ट्रीयता संघर्ष अनवरत आगे बढ़ेंगे।

(कॉम्प्यूटेशन रिक्रेशर से साभार)

'मणिपुर में बच्चों के साथ मानवाधिकारों का हनन'

अम्नेस्टी द्वारा खण्डन

लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 'अम्नेस्टी इंटरनेशनल' ने मणिपुर में भारत के शासकवर्गों द्वारा बच्चों के साथ मानवाधिकारों का हनन का खण्डन करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त राज्य में सरकार के सशस्त्र बलों की कार्रवाईयों

बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया था, का उल्लंघन कर रही हैं।

अम्नेस्टी की “मणिपुर-युवाओं को खामोश रखना” शीर्षक रिपोर्ट में १५ वर्षीय युमलेबम सनामाचा नामक लड़के के लापता होने पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया। भारतीय सेना ने इस लड़के को अन्य दो लड़कों, बिमोल सिंह (१५) और इनाव सिंह (२२) के साथ फरवरी में हिरासत में लिया। बाकी दो लड़कों, जो सगे भाई हैं, को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन सनामाचा का आज तक अता-पता नहीं है। उन दोनों लड़कों ने कहा है कि उनके सामने ही सेना ने सनामाचा को क्रूर यातनाएं दी थीं। सेना ने पहले तो उसकी गिरफ्तारी करने की बात से ही मना किया, लेकिन बाद में गिरफ्तारी के बाद भाग जाने की कहानी गढ़ी।

अम्नेस्टी का कहना है कि भारत सरकार ने उसके ‘लापता’ हर हो रही जांच में रोड़े अटकाए। अम्नेस्टी ने कहा, “मणिपुर में हो रहे कत्लेआमों में वह एक और बाल-शिकार बन गया होगा।”

(हितवाद से साभार)

शिक्षा क्षेत्र को अधिक आबंटन की मांग पर जर्मन छात्रों का आंदोलन

२८ नवम्बर, १९९७ को जर्मनी के बॉन शहर में एकत्रित ४० हजार छात्रों ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया। उथल-पुथल भरा दशक के रूप में चर्चित ६० के दशक के बाद छात्र शक्ति का इतना भारी प्रदर्शन होना पहला अवसर है। इस प्रदर्शन के पहले छात्रों ने समूचे जर्मनी में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए।

कुछ दिन बाद ४ दिसम्बर को छात्रों ने कंकाल सरीखे लिबास पहनकर, मतप्राय शिक्षा प्रणाली की सूचित करने वाली शव-पेटियां ढोते हुए प्रदर्शनों का आयोजन किया। फ्रांकफर्ट शहर में ४५,००० छात्राओं ने प्रदर्शनों में भाग लिया। हम्बर्ग, मेंज आदि विश्वविद्यालय शहरों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किए। कीव नगर में दर्जन भर छात्रों ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में घुसकर छात्रों की बदहाली और शिक्षा क्षेत्र में उत्पन्न संकट पर लापरवाही बरतने के लिए राजनेताओं की खिंचाई करते हुए बैनर प्रदर्शित किए।

जर्मन अर्थव्यवस्था को यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया के तहत अपनाए जा रहे किफायती कदमों ने शिक्षा क्षेत्र को बिगाड़ दिया, जिससे यह संकट उत्पन्न हो गया। इन किफायती कटौतियों के संभावित गंभीर परिणामों के विरुद्ध मजदूरों ने पहले ही अपने प्रदर्शनों से जर्मनी को झकझोर दिया।

इन सुधारों के तहत विश्वविद्यालयों को अब से अपने आर्थिक स्रोतों में अधिकांश को स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाली सहायता में भारी कटौती होगी। शिक्षा सत्र को छोटा किया जाएगा। शिक्षण शुल्क वसूली शुरू की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या १,१५,००० से ८५,००० तक गिर जाएगी। फिलहाल अध्यापनरत प्रोफेसर्स में आधी संख्या नौकरी गंवा बैठेगी।

इस नेपथ्य में जर्मनी छात्र इन प्रगति विरोधी सुधारों की रोकथाम के लिए, पढ़ने के अपने अधिकार के पुनरुद्धार के लिए मैदान-ए-जंग में कूद पड़े।

(‘कलम’ से साभार)

.....

जन-कल्याण

जनता की सेवा में स्वास्थ्य एवं उपचार शिविर

तीन राज्यों में फैले, चार डिविजनों में विभाजित वनों से भरे आदिवासी बहुल दण्डकारण्य में, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सड़क, बिजली, यातायात आदि सुविधाएं कम ही मिलेंगी। लेकिन भरपूर प्राकृतिक संपदा से विराजित यह भूमि सरकारी व निजी शोषकों के लिए मानो कामधेनु ही है। यहां बसे लोगों की संख्या लगभग ४० लाख हैं, जिनमें से अधिकतर तो जन्म से ही कुपोषण से पीड़ित हैं। यहां के आदिवासियों में बीमार पड़ना एक आम बात है। इस अभावग्रस्त क्षेत्र में आना सफेदपोश लोगों को रास नहीं आती। इसलिए पदस्थ होने के बावजूद यहां कर्मचारी अनुपलब्ध ही रहते हैं। इसलिए सरकार के तथाकथित कल्याण कार्यक्रम, मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की पहुंच से अक्षरशः कोसों दूर रहती हैं। योजना कागज पर और रकम जेब

में सिमट जाती है यहां। शेर से भी नहीं डरने वाला आदिवासी खाकी वर्दी रूपी राज्य को देख कांप उठता है- सफेदपोशों से परहेज करता है। इसीलिए इक्के-दुक्के स्वास्थ्य केन्द्रों की उपस्थिति के बावजूद लोग वहां जाने से कतराते हैं। किसी अज्ञात बीमारी की गिरफ्त में जब कोई जाता है तो यहां व्याप्त अंधविश्वासों के तहत उसे जादू-टोना का परिणाम करार देते हैं, जिसकी परिणति मृत्यु होती है। लेकिन गत १८ वर्षों से यहां विकासशील क्रांति आंदोलन के बदौलत यह तस्वीर काफी बदल गई। आंदोलन ने आदिवासियों का विश्वास इस हद तक जीता है कि पिछड़तम अबूझमाड़वासी भी गांव में छापामारों के आते ही भोजन खिलाना अपना फर्ज समझता है और साथ-साथ ‘गोली’ (दवाई) मांगना अपना हका दल के ‘डॉक्टर’ के इर्द-गिर्द महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों सहित सभी लोगों

का जमावड़ा दण्डकारण्य के गांवों में एक आम दैनिक दृश्य है। इस नेपथ्य में क्रांति आंदोलन ने अपने जनकल्याण कार्यक्रमों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल किया- इस मद में बजट भी आबंटित किया जा रहा है।

दक्षिण बस्तर में १९९५ से ही क्रांति

आंदोलन के अंतर्गत स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। इनका संचालन जनता से चुनी गई कमेटी करती है। इस तरह बने स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या जून ९८ तक पहुंच गई, जिनमें से कुछ का निर्माण तो जनता ने अपने बलबूते किया। इनके संचालन के लिए चुनी कमेटियों में तीन से पांच सदस्य-महिला एवं पुरुष होते हैं। आवश्यक दवाएं बुलाना, रोग पीड़ित जनता को दवाएं व उपचार पहुंचाना, दवाओं की कीमत वसूलकर फिर से उपचार में खर्च करना- ये सभी जिम्मेदारियां कमेटियों की होती हैं।

यहां के ग्रामों में बने जन स्वास्थ्य केन्द्रों के कमेटी सदस्यों को संबंधित छापामार दलों ने ५ दिन का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी दिया। कोटा क्षेत्र में ९० लोग और बासागूडेम क्षेत्र में ३० लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अन्य प्रांतों में प्रशिक्षण की योजनाएं बन रही हैं।


लेकिन गंभीर बीमारियों से पीड़ित आदिवासियों को नजर में रखकर उनके उपचार के लिए अनुकूल प्रांतों में चिकित्सा शिविर चलाने का दण्डकारण्य क्रांति आंदोलन ने निर्णय किया। इस तरह के एक-एक शिविर के लिए १५,००० रुपए आवंटित किए गए।

इसी के अंतर्गत कोटा क्षेत्र में १३-१६ मई

को तथा बासागूडेम क्षेत्र में २३-२५ मई तक उपचार शिविर चलाए गए।

कोटा क्षेत्र में आयोजित शिविर में उपचार प्राप्त करने के लिए किष्टारम, कोटा, गोल्लपल्लि रेंजों के सुदूर गांवों से भी मरीज आए थे, जिनमें हर उम्र के स्त्री-पुरुष शामिल थे।

कोटा क्षेत्र में संपन्न स्वास्थ्य शिविर में भाग लेने वाला जन-स्वास्थ्य दल



जनता की सेवा में व्यस्त जन-चिकित्सक, स्थान - कोटा क्षेत्र-दक्षिण बस्तर

इसके आयोजन के लिए एक स्वास्थ्य दल का गठन किया गया, जिसमें स्त्री-पुरुष डॉक्टर और कम्पाउंडर शामिल थे। इस दल ने सभी मरीजों की जांच-पड़ताल कर आवश्यक दवाएं मुफ्त में दीं। गंभीर मरीजों को ग्लूकोज

की बोतलें चढ़ाई गईं। इस शिविर का सुचारू संचालन हो इसके लिए एक अन्य कमेटी गठित की गई जिसमें पांच सदस्य थे।

कुल मिलाकर चार दिनों में १२०० मरीजों की जांच-पड़ताल एवं उपचार किए गए। डीएकेएमएस और केएमएस के नेतृत्व में जनता ने ही उस स्वास्थ्य दल की खाने-पीने की व्यवस्था की। वहां पर इलाज के लिए आए बाहरी लोगों के लिए भी सुविधाएं बनाई गईं।

बासागूडेम क्षेत्र में आयोजित एक अन्य शिविर में छह डॉक्टरों का दल पहुंचा। तीन दिनों में ९६० मरीजों की जांच-पड़ताल कर निःशुल्क दवाएं बांटी गईं।

इन स्वास्थ्य शिविरों के सफल आयोजन के पीछे डीएकेएमएस

और केएमएस की रेंज कमेटियों का अविश्रांत परिश्रम रहा। वहां आए मरीजों में मुख्य रूप से बुखार, आंत्रशोथ, पेचिश, रक्तहीनता, खुजली, चर्मरोग, तपेदिक, कुष्ठ, पेट दर्द, स्त्री रोगों आदि से पीड़ित थे। दूसरे क्षेत्रों के लोग भी मांग करने लगे कि उनके यहां भी ऐसे शिविरों का आयोजन हो।

० उड़ीसा के कलिमेला क्षेत्र में भी बीमारी से ग्रस्त आदिवासियों के उपचार के लिए १५ गांवों में 'स्वास्थ्य शिविर' चलाए गए जिनमें २०० लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया।

दमन-प्रतिरोध

दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 'शासन' चलाने में कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा और भाजपा गठबंधन में कोई अंतर नहीं है। सभी सरकारें एक ही रट लगाती हैं- देश में 'कानून और व्यवस्था' तथा सीमा पर 'देश की सुरक्षा'।

सत्ताधारी भाजपा गठबंधन को दस राज्यों में फैले 'नक्सलवादी आंदोलन' 'राष्ट्रीय समस्या' लगने लगा। किसानों की आत्महत्याओं को रोकने में असमर्थ आंध्र की तेलुगूदेश सरकार और महाराष्ट्र की सेना-भाजपा सरकार सैकड़ों करोड़ प्रजाधन का खर्च करके नक्सलवादी आंदोलन का उन्मूलन करने में मग्न हैं। अकाल से तड़पती कलिमेला और बस्तर की जनता को खाद्य पदार्थ बांटने की न्यूनतम सहायता पर दिलचस्पी नहीं लेने वाली उड़ीसा व मध्यप्रदेश सरकारों को यह आवश्यक लगा कि अपनी समस्याओं का स्वयं ही समाधान ढूँड रही आदिवासी जनता को कुचल देने के लिए सशस्त्र बल भेज दे। उसके लिए आवश्यक करोड़ों का प्रजाधन की उन्हें कोई परवाह नहीं। निम्नांकित गढ़चिरौली, बस्तर व कलिमेला क्षेत्रों की रिपोर्टों से यही तस्वीर मिलती है।

संघर्षपथ पर खड़ी होकर दमन का मुकाबला करती बस्तर की जनता

दक्षिण बस्तर में बढ़ता क्रांति आंदोलन तथा संघटित जनता के सुदृढ़ संगठनों को छिन्न-भिन्न करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार अरसे से प्रतीक्षारत है। तारलागूडेम की घटना एक बहाने के रूप में मिल गई कि उसने सशस्त्र बलों की विशेष टुकड़ियों को हरी झंडी दिखाई।

नाए सिरे से शुरू किया गया इस अभियान का लक्ष्य जनता की एकजुटता को तोड़ना और उसे आतंकित करना लगता है। महेड़ क्षेत्र में पुलिस के विस्तृत हमले जारी हैं। १०-१५ मोटर साइकिलों, ७-८ जीपों और १-२ वैनो में सवार सैकड़ों विशेष सशस्त्र बल के जवान गांवों को मरघटों में तब्दील कर रहे हैं। जनता के साथ अंधाधुंध मारपीट, थाने में ले जाना, सामान को तहस-नहस करना, हाथ लगी हर वस्तु को चुराना, तारलागूडेम हमले में शामिल होने की बात स्वीकारने तक मारपीट करना, गांव के संगठनों की जानकारी के लिए मारना, जितना मिला उतना घूस वसूलना, कुछ लोगों को जेल भेजना... इस तरह का उन्होंने क्या-क्या जुल्म नहीं किया लोगों पर।

गत कुछ महीनों से भूपालपट्टनम, महेड़, आवपल्लि और ऊसूर रेंजों में स्थित लोदेड़, उसुकातेर, पामराल, कोत्तापल्लि, कोमटिपल्लि, संकेनपल्लि, भट्टगूडेम, मेट्टुपल्लि, पाशांकापल्लि, आदेड़, नेंडरा, अन्नाराम, चेंदूर, नमि, गलगाम, नडुमपल्लि, गुडिपल्लि, बंगालगूडेम, तारगूडेम, गौरारम सहित कई अन्य गांव पुलिस हमलों का शिकार हुए। भूपालपट्टनम तहसील स्थित अन्नारम गांव पर पुलिस ने हमला करके ग्रामवासियों को यातनाएं दीं। कोत्तूर और तारलागूडेम में अनेक लोगों की पिटाई की।

रुद्रारम गांव का मलेरिया बाबू काका महेंदर को गिरफ्तार कर पुरानी रंजशि के चलते मारा-पीटा तथा तारलागूडेम हमले के पूर्व थाने का मानचित्र दादा लोगों को देने का झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया।

महेड़ रेंज के ग्राम आदेड़ में पुलिस जब मनमानी मारपीट कर रही थी तो महिलाएं रोकने के लिए गईं, तब पुलिस ने उन पर भी बर्बरता बरसाई। तीन हमदर्दों को गिरफ्तार कर छह दिनों तक थाने में रखकर क्रूर यंत्रणाएं दी गईं। अंत में दो-तीन बम बरामद होने का झूठा दावा करके तारलागूडेम मुकदमे के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। कोमटिपल्लि का भी यही हाल है। गांव से दल में भर्ती हुए साथियों और संघ सदस्यों घरों पर हमला करके बेरहमी व मनमानी पिटाई की। महिलाओं ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। काँ. प्रकाश के घर में घुसकर पुलिस तस्वीरों, पुस्तकों और सोने के जेवरात उठाकर ले गई। उन्हें तीन दिनों तक यातनाएं देकर छोड़ दिया गया। पांगेल गांव पर पुलिस धावा बोला तो गांव के तमाम युवा जंगल में छिप गए। सरपंच बंद लचुमैया के घर घुसकर पुलिस ने साजो-सामान का तोड़-फोर किया। 'मुखे क्या ले जाएंगे' कहकर उस घर में लापरवाही से बैठे एक सोनार को पुलिस पकड़ कर ले गई और ६,००० रुपए घूस वसूलकर छोड़ दी।

कोत्तापल्लि गांव में संघ नेताओं के घरों पर पुलिस हमले हुए। गहन खोजबीन के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलिस हमले का अंदेशा से संघ वाले पहले ही हट गए थे। संकेनपल्लि गांव पर हमला करके पुलिस ने संघ सदस्यों के घरों से तमामत कीमती वस्तुओं की चोरी की। काँ. सत्यम के घर से ६०० रुपए की चोरी की। दल सदस्य कॉमरेड रमेश के पिता को गिरफ्तार कर ६,००० रु. के एवज में छोड़ दिया गया। भट्टगूडेम ग्राम में कुछ लोगों को मारा-पीटा गया। दो किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। संघ सदस्यों के घर बताने को कहते हुए पुलिस ने एक ८ वर्षीय लड़के को भी बेरहमी से पीटा। पाशांकापल्लि गांव पर हमला करके पुलिस दरिंदों ने काँ. सायन्ना की पत्नी को अपशब्द कहते हुए पीटा। यह धमकी भी दी कि उनके पति को नहीं पकड़ा देगी तो मार दी जाएगी। इस गांव पर लगातार दो बार हमले किए गए। मेट्टुपल्लि और कोंगुपल्लि गांवों पर हमले हुए।

आवपल्लि रेंज के बंडारुपल्लि गांव पर हमला करके पुलिस ने तारलागूडेम के शहीद कॉमरेड बाबू और राममूर्ति के घरों में आतंक मचाया। शहीद राममूर्ति के छोटे भाई सूरैया और मां मल्लुवा को अपशब्द सुनाए। बल्कि सूरैया को पीटा भी गया। दल सदस्य काँ. मोहन के घर से उनके पिता को पुलिस ले जाने वाली थी कि गांव की महिलाओं ने उन्हें जीप से छुड़वा लिया। सभी जनता एकत्रित हुई तो दुम दबाकर भागी पुलिस ने अतिरिक्त बलों की मदद से फिर से हमला किया। इस बार अपने मुखबिरो को भी साथ लाया। सरपंच बाबू और पटेल को भी पीटा गया। पुलिस ने इस बार विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाया। काँ. गुज्जाल के घर से ८,००० रुपए, सोना आदि कीमती वस्तुएं उठाकर ले गई।

नेंदू गांव में पुलिस ने तड़के हमला करके भयोत्पात मचाया। लेकिन पुलिस को देखते ही ग्रामवासी जंगल में छिप गए। सुब्बन्ना के घर पर हमला करके पुलिस ने उनकी पत्नी अइतु को पीटा। कॉ. देवाल के घर ५०० रुपए उठा ले गई।

आगिपेटा गांव पर लगभग १०० पुलिस वालों ने धावा बोला, जो ७ जीपों और १ वैन पर सवार होकर आए थे। आंदोलन से पतन हो चुके पांडु और गांव का ही एक मुखबिर के साथ पुलिस वाले सीधा पैर के उस ढेर के पास गए जहां दल वालों का डंप होने की उन्हें पहले सूचना दी गई थी। इससे पहले संघ सदस्य गांव से बाहर चले गए। वहां से सामान लेकर जंगल और पानी की जगहों को छानने गई पुलिस की जान पर तब नौबत आई जब वहां बारूद के दो धमाके किए गए। वापस गांव में आकर उन्होंने कॉ. सीताराम की पिटाई की तथा कॉ. बुचन्मा के घर पर छापा मारा। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ज्यादा देर वहां रुके।

बासागूडेम आदि क्षेत्रों का भी यही हाल है। अकाल विरोधी संघर्ष में और चुनाव बहिष्करण अभियान में व्यापक हिस्सेदारी लेने वाली जनता को भयभीत करने तथा कुचल देने के लक्ष्य से दुश्मन ने यह दमन अभियान शुरू किया। बड़े पैमाने पर सशस्त्र पुलिस की तैनाती की गई। इन हमलों में मुखबिरों का सहयोग भी है।

भूपालपट्टनम से आवपल्लि तक, ऊसूर से बासागूडेम रेंज तक तथा गंगलूर से भैरमगढ़ रेंज तक पुलिस वाले ६-७ जीपों में सवार होकर, कुछेक बार मोटर साइकिलों पर सवार होकर दूरस्थ गांवों में भी जाकर आतंक मचा रहे हैं। जनता की मारपीट, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, धन-जेवरात की चोरी, अकाल की घड़ी में दुर्लभ खाद्य पदार्थों का नाश करना, संघ सदस्यों के बहाने आम नागरिकों की गिरफ्तारी अथवा गिरफ्तारी का डर बताकर हजारों रुपए घूस वसूलना, इत्यादि पुलिस की करतूतों का अंत नहीं है।

तारलागूडेम गांव की जनता को पुलिस ने क्रूरता से मारा और गिरफ्तार किया और सेंड्रा रेंज के गांव सागमेट्टा में छह और सेंड्रा में चार आदिवासियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गंगलूर रेंज के ग्राम पिडिया के चार बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुसनार में एक शिक्षक सहित चार लोगों पर चार फर्जी मुकदमों में लगाया गया।

बासागूडेम रेंज ग्राम गंगनपल्लि में लकमु नामक युवक जिसका भाई दल में शामिल है, की पिटाई करके जेल भेज दिए। उनकी पत्नी पुलिस को रोकने का प्रयास की तो पुलिस ने उनको भी निर्दयता से पीटा।

पुलिस बलों ने बंडारूपल्लि गांव पर तीन बार हमले किए। मल्लैया के घर से ३,००० रुपए की चोरी की। सागमेट्टा गांव के घरों से पुलिस ने कुल ४०,००० रुपए लूट लिए। पल्सागूडेम गांव से ७०० रु. की नकदी सहित सोने-चांदी के जेवरात लूट गए। कोतमपल्लि गांव में जनता के घरों से १०,००० रुपए सहित सबूतों से लेकर सारा सामान लूटा गया।

गंगलूर रेंज के नेंडरा गांव के पटेल के घर में प्रस्तावित शादी के

लिए लिए एक बोरा चावल को पुलिस ने यह कहकर लूटके ले गया कि वह दादा लोगों के लिए लाया गया था। केस न लगाने के एवज में भीषण अकाल से अधमरे गरीब लोगों से पुलिस ने हजारों रुपए घूस खा लिया। पुलिस की बर्बरता को तार्लागूडेम, उन्नारम, कोतमपल्लि, सेंडा, सागामेट्टा, पालसीगुडा, अनूपुर, भंडारूपल्लि, गंगनपल्लि, माकडाबाका, पाउलम, गंगलूर, मकिल, आवनार, विसलनार, कारमा आदि गांव भी चख चुके हैं। पुलिस हमलों की इतनी क्रूरता रही कि सरपंच और पटेलों को भी नहीं बखशा गया। पुलिस ने बासागूडेम के सरपंच के घर पर यह साबित करने के लिए कि वह दादा लोगों के लिए सामान लाता है, कई बार हमला किया। पुजारी-कांकेर और उसके आसपास गांवों से पुलिस तीर-धनुषों को भी उठाकर ले जा रही है। जनता को भयभीत करने के लिए पलैश फायर कर रही है। इसके चलते सागुमेट्टा में एक आदिवासी की झोपड़ी जल गई।

क्रांति आंदोलन का उन्मूलन करने के लिए शोषक सरकार और पुलिस आदिवासी जनता के तमाम जनतांत्रिक अधिकारों को छीनकर उनका जीना मुश्किल कर रही है।

गत नवंबर में हालांकि दिग्विजय सिंह सरकार ने अकाल पीड़ित आदिवासी जनता को राहत पहुंचाने के लिए रोजगार खोलने की हामी भरी थी, लेकिन उस पर अमल का कोई कदम नहीं उठाया गया। हजारों आदिवासी भुखमरी से बचने के लिए आंध्र की ओर पलायन कर रहे हैं। एक जून की रोटी और पीने के पानी के लिए मुहताज आदिवासी जनता के लिए सरकार द्वारा लादा गया क्रूर पुलिस दमन जले पर नमक का काम कर रहा है। सुदृढ़ क्रांति आंदोलन और सशक्त संगठन के बलबूते दक्षिण बस्तर की जागृत जनता निश्चित रूप से इस अभियान का मुंहतोड़ जवाब देगी। खाने को रोटी, पीने को पानी देने में अक्षम और निकम्मे शासकों तथा जनता पर हमलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले उनके रक्षक पुलिस वालों को बस्तरवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आशा करेंगे उनके त्यागपूर्ण संघर्ष सफल हों तथा सरकारी पुलिस दमन का अंत हो।

गढ़चिरौली

अहेरी छापामार दल का उन्मूलन के लिए पुलिस का ताजा दमन अभियान

गढ़चिरौली पुलिस ने तेंदूपत्ता सीजन का लाभ उठाकर अहेरी छापामार दल का उन्मूलन करने के लिए एक नया अभियान चलाया। कमांडो जवानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिनको छापामारों की नकल करने में भी अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके कंधों पर लदे किटबैगों में भोजन-पानी आदि सब रहते हैं। 'रसना' जैसे शीतल पेय भी रखते हैं ये कमांडो। कमलापुर, जिम्मलघट्टा और देचली रेंजों में यह अभियान चलाया गया। १ मई से १५ मई तक

यह लगातार जारी रहा।

अस अभियान के दौरान कमांडो दस्ते चप्पा-चप्पा छानते रहे। हर तीन गांवों के लिए १ दस्ता इस तरह १५ गांवों में ५ दस्ते दिन-रात खोजबीन करते रहे। गांव के परिसरों, नदी-नालों, जंगल-पहाड़ों एक-एक इंच को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। छापामारों के मुकाम किए पुरानी जगहों को बारीकी से खोजते रहे। चूंकि उनकी वेष-भाषा छापामारों सी रहती है, गांवों में जाकर यह कहते हुए, “हम दादा लोग हैं, रास्ता भटक गए हैं”, किसानों को ठगने की कई कोशिशों की गई। कुछ गांवों में उन्होंने यह कहकर कि “फलां जगह पर फायरिंग हो गई और हम अलग हो गए”, लोगों को सूचना के लिए प्रताड़ित किया। इन कमांडो को गांवों में मौजूद उनके मुखबिरो से सूचना प्राप्त होती थी, जिसेक आधार पर वे खोजबीन को तेज करते थे। साथोंसाथ प्रत्येक रेंज में मौजूद २-३ पुलिस कैपों से इनको मदद मिलती रही। इन पुलिस कैपों से ३० से ६० जवानों की टोलियां निकलकर गश्त लगाती थीं। एक ही दिन १५ गांवों अथवा ७-१० गांवों में दिन-रात गश्त लगाते थे। गांववालों को धमकियां देते थे, “कोई जंगल में मत आए, कोई हमें देखकर नहीं भागे, वरना गोली मार दी जाएगी।” गांव की जनता इस अभियान के दौरान अकथनीय मुसीबतें झेलने को मजबूर की गई। प्राणहित रेंज के चिन्नवटरा और वेंकटापुर के जंगलों में तेंदूपत्ता मजदूरों के कैप होने के कारण ६०-७० पुलिस वालों ने लगातार दो दिन गश्त लगाई। मजदूरों को अनेक सवालों से प्रताड़ित किया- “क्या तुम लोग ददालोगों को भोजन पहुंचाए हो?” आदि। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ ने कहा कि जहां नक्सलवादी गतिविधियां तेज हैं वहां पर सुरक्षा प्रबंध बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा से उसका मतलब- कैपो को बिठाकर खोजबीन कारआवाई को गति देना, मुखबिरो को बढ़ा लेना, खोजबीन में अगर किसी गांव के पास नक्सलवादियों के पुराने मुकाम होने की पुष्टि हुई तो उस गांव के सरपंच-पटेलों को बुलाकर परेशान करना और उनको मुखबिर बनाने की कोशिश करना है। मुखबिर तंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक मुखबिर को १००-१२०० रु. का मासिक वेतन, साइकिल आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। दल के साथ मुठभेड़ कराने में अगर वह मदद करे तो उसे कमांडो के तौर पर भर्ती किया जाता है। कुछेक लोगों को न सिर्फ हजारों हजार रुपए दे रहे हैं, बल्कि मुखबिरो की सुरक्षा के तहत उनके सम्पूर्ण परिवार को अन्यत्र बसा रहे हैं।

इस १५ दिन का कमांडो अभियान और मुखबिर तंत्र के चलते ग्रामवासियों के साथ बैठक करते हुए छापामारों पर दो बार गोलीबारी की गई। उसके पहले मार्च में भी एक बार मुठभेड़ हुई। मार्च २६ को कोयनगुडा गांव में तीन छापामारों पर, मांड्रा गांव में छापामारों के साथ बैठ रहे ८० ग्रामवासियों के समूह पर तथा कोडिसापल्लि गांव में भोजन लाने वाले १५ ग्रामवासियों और तीन छापामारों के समूह पर ये घटनाएं

हुई। गढ़चिरौली एसपी जनता को यह धमकी दे रहा है कि ददालोगों के साथ जो भी रहेगा पहले उसी को निशाना बनाया जाएगा और बाद में नक्सलवादियों को मारा जाएगा, ताकि जनता नक्सलवादियों को खाना देने से कतरा जा सके। फिर भी जनता हिम्मत के साथ छापामारों को भाजन दे रही है- अपनी संघटित ताकत को बढ़ा रही है। संघों को समृद्ध बना ले रही है। इन अभियानों को मात देकर साबित कर रही है कि उसकी ताकत अपराजेय है।

कोडिसापल्लि गोलीकांड - १३ जून

कमलापुर रेंज के कोडिसापल्लि गांव में १३ जून की सुबह दल पहुंचा था। ग्रामवासियों के साथ मीटिंग की गई। शाम को भी दल को वहीं रूकना था। शाम के ७ बजे खाना का प्रबंध करवाने के लिए दो साथी गांव में गए। चूंकि ग्रामवासी भोजन एकत्रित कर रहे थे और हलकी बारिश भी हो रही थी तो छापामार कुछ देर तक गांव में ठहर गए। पुलिस को यह सूचना पहले ही मिलने पर कि शाम का दल का मुकाम वहीं होने वाला है, उसने गांव को घेर रखा। उसने छापामारों को देखा भी। जब भोजन लेकर ग्रामवासी और छापामार गांव से निकले कि घात लगाए बैठे कमांडो बलों ने स्वचालित राइफलों से अंधाधुंध गोलीबारी की। मानो गोलियों की तेज बारिश हुई। लेकिन जनता के सक्रिय सहयोग और अपनी पहलकदमी से छापामार ३० मिनट बाद पुलिस की घेराबंदी तोड़ सके और सुरक्षित बच निकले। इस गोलीबारी में १०-१२ घरों की छतें क्षत-विक्षत हो गईं। एक घंटा तक चले इस एकतरफा गोलीकांड में पुलिस ने ३००-३५० गोलियां खर्च की। छापामारों को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी। उधर २० अन्य पुलिस जवान दल के मुकाम स्थल पर गए। चूंकि दल गांव में हो रही गोलीबारी की आवाज सुनकर वहां से हट गया तो पुलिस ने खाली जगह पर ही गोलियां चलाई।

पुलिस कमांडो ने अपनी ‘शूरता’ का प्रदर्शन जगह से ५०० मीटर दूरी से किया। इसमें लगभग ५० गोलियां खर्च कर जवाबी फायर के नहीं आते देख पुलिस लौट गई। दल सुरक्षित चला गया।

निहत्थे मांड्रा ग्रामवासियों पर गोलीबारी

कमलापुर रेंज के ग्राम मांड्रा में १८ मई को छापामारों ने मुकाम किया। दोपहर के भोजन के बाद २ बजे ग्रामवासियों की मीटिंग ली जा रही थी। ६०-७० वर्ष उम्र वाले ७ वृद्धों, ५-१० वर्ष उम्र वाले ‘आदिवासी बाल संगठन’ के २५ बच्चों, महिलाओं सहित कुल ७०-८० ग्रामवासी उपस्थित थे वहां। लेकिन पहले ही मुखबिर के द्वारा सूचना पाई पुलिस ने दल को दोनों बगलों से घेर लिया। पुलिस वालों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की। ग्रामवासियों की रक्षा करते हुए छापामारों ने पुलिस का डटकर मुकाबला किया। पुलिस वाले २००-३०० चक्र गोलियां चलाकर तब रूक गए जब एक कमांडो जवान बुरी तरह घायल होकर चिल्लाने लगा।

लगभग ५० चक्र फायर करके छापामार दल सुरक्षित हट गया। छापामार चार किट बैक और कुछ रोजमर्रे की वस्तुओं गंवाए। जनता भी वहां बहादुरी का परिचय देते हुए सुरक्षित हट गई। निहत्थे लोगों की जान के परवाह किए बिना ही अंधाधुंध गोलीबारी कि पुलिस हैवानों के मुंह पर मानो मौत का तमाचा लगा दिया गया।

अहेरी क्षेत्र में पुलिस ने एक डॉक्टर को हिरासत में लेकर यातनाएं दी

गढ़चिरौली डिवीजन के कमलापुर रेंज के ग्राम चलवाड़ा के एक स्थानीय डॉक्टर को गढ़चिरौली पुलिस ने कोई दोषारोपण के बिना ही हिरासत में लिया। उनको यह कहते हुए पीटा गया कि वह नक्सलवादियों को दवाईयां देता है। अनेक सवालों से उनको मानसिक यातनाएं दी गईं।

“नक्सलवादियों को कितनी बार दवाईयां दीं तूने, किन-किन का इलाज किया, कौन-कौन-सी दवाई दी, तुमसे मिलने आने वालों के नाम क्या-क्या हैं?” आदि प्रश्नों से पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित कर खूब यातनाएं दीं। और यह चेतावनी भी दी कि आईदा नक्सलवादियों से मिलने का पता लग जाने से गोली मार देंगे। हर हफ्ते प्राणहिता कैप में हाजिर होने की शर्त पर उनकी रिहाई तो की गई, लेकिन उनकी हर हलचल पर कड़ी नजर रखकर उनका जीना दूभर बनाया जा रहा है। इस तरह गढ़चिरौली में जारी पुलिस राज में डॉक्टर जैसे सम्मानजनक व्यक्तियों को भी न्यूनतम जनतांत्रिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है।

पुलिस के वाहन भी जन-घातक हैं !

अहेरी तहसील के जिम्मलगट्टा रेंज स्थित ग्राम मर्रिगूडेम का एक निवासी को गढ़चिरौली एसपी की जीप ने टक्कर मारी। उस व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद जीप रोके बिना ही सीधा रेपनपल्लि पुलिस थाना चल दिए जो वहां से ५ किमी दूर था। वहां से जीप ड्राइवर ने वायरलेस पर जिम्मलगट्टा थाने को कल्पित रिपोर्ट भेजी कि सिरोंचा से अहेरी जाने वाली किसी अज्ञान जीप ने एक व्यक्ति, जो शराब के नशे में धुत्त था, को टक्कर मारी। मर्रिगूडेम के पटेल और सरपंच सहित तमाम जनता ने इस घटना पर कलेक्टर और एसपी को शिकायत की। उसे अस्पताल में दाखिल कर उपचार करवाने और क्षतिपूर्ति की मांग की तो अधिकारियों ने इनकार किया और कहा, “कुछ भी नहीं देंगे, जो करना है कर लें।”

सरपंच और पटेल ने शिकायत को आगे ले जाने की बात कही तो एसपी ने ४०० रु. दिए, जो अपर्याप्त है। उस परिवार को उपचार में कम से कम २००० रु. खर्च करना पड़ा। इस तरह पुलिस के अलावा उसके वाहन भी जनघाती साबित हो रहे हैं।

उड़ीसा

पुलिस कैम्प बिठाकर आतंक मचा रही है उड़ीसा सरकार!

जन संघर्षों में वृद्धि होते ही उड़ीसा सरकार पुलिस कैम्प बिठाकर, खोजबीन और हमले तेज करके जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है।

एक-एक कैम्प में १५० जवानों को तैनात किया गया, जिनका लक्ष्य है दलों का निर्मूलन करना। इस दमन के दौरान गांव वेंकटापालेम से ४, मंगिपेड्डि से ७, कोयागूडा से ३, कोलनी से एक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। प्रतिदिन रात में पुलिस गांवों पर हमला करती है और सुबह तक कैम्प में लौट जाती है। इस तरह के हमलों के दौरान पनिमेट्टला गांव के क घर से १५०, नकदी और दवाएं, एक अन्य घर से सामान और कोलनी गांव के एक घर से २६० रु. उठाकर ले गई।

पुलिस की इन गहन खोजबीनों से गांव में ऐसी स्थिति छा गई कि लोग रहने को कतराने लगे। कुछ लोग अन्य गांवों में रहने लग गए तो कुछ अन्य लोग इधर-उधर भटक रहे हैं।

सिंचाई का पानी देने में अक्षम सरकार सड़कों के बहाने पुलिस को भेज रही है

दण्डकारण्य में १९९० के बाद से जनता के सच्चे विकास को चाहने वाला क्रांति आंदोलन ने कई नए मसलों को अपने एजेंडे में शामिल किया। स्थानीय जनता की जरूरतों और विकास को नकार कर सभी राज्य सरकारों द्वारा वनों से करोड़ों रुपए मुनाफे वसूले जाने के विषय को पहचान कर जनता यह जायज मांग उठाई कि उसके समस्याओं पर सरकार ध्यान दे।

जनता की मांगें इस प्रकार रहीं-

अ) सरकार द्वारा की जा रही वनों की अंधाधुंध कटाई को बंद करें।

ब) खेत-जमीन की सिंचाई के लिए पानी का बंदोबस्त करने में अक्षम सरकार द्वारा ‘विकास’ के नाम पर सिर्फ सड़क काम चलाए जाने का विरोध करें।

स) गांवों में गरीब आदिवासी जनता की स्वास्थ्य समस्याओं पर कोई ध्यान न देने वाली सरकार की नीतियों, जिससे लोगों की अकाल मौतें और छूत की बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहे हैं, का विरोध करें।

ये जनता की मूलभूत समस्याएं हैं। इन पर जनता अपने तय किए तरीकों से लड़ रही है। लेकिन सरकारें इन मसलों का नजरअंदाज कर रही है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र सरकार ने जनविरोधी नीतियों पर चलते हुए ‘एक्शन प्लान’ के नाम पर प्रजाधन को पुलिस के हवाले कर दिया

है और सड़कों के नाम पर ठेकेदारों की कमाई बढ़ाई संघर्षरत जनता को कुचलने के लिए मार्गों की मरम्मत कर रही है।

गढ़चिरौली डिवीजन की जनता की ८ वर्षों की पुरजोर मांग के बावजूद, महाराष्ट्र सरकार ने किसी एक गांव में भी सिंचाई सुविधा नहीं बनाई। जोर-शोर के साथ 'जल संसाधन' कार्यक्रम शुरू करने का प्रचार तो किया, लेकिन एक हेक्टेयर जमीन भी सिंचित न हो पाई। वर्षाधारित जमीन अवर्षा से मार खा गई, तो बचे-खुचे खेतों को असामयिक वर्षा ने चौपट कर दिया। जिले में भीषण अकाल व्याप्त है। फिर भी सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगती। डिवीजन भर में जहां सैकड़ों गांव गंभीर अकाल से प्रभावित हैं तो इधर सरकार ने इने-गिने गांवों को 3 अकाल पीड़ित गांव 2 घोषित कर आंसू पोंछ राहत कार्य चलाकर हाथ झाड़ दिए।

सरकार की नजर पूरी तरह सड़कों पर केन्द्रित है। अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान किए बिना ही सड़कों का निर्माण कर रही सरकार की कार्रवाईयों का जनता ने जहां-तहां प्रतिरोध किया तो चौंक गई सरकार ने 'सीमा सड़क संगठन' को तैनात किया। ५ वर्षों की समय सीमा तय करके जिले में कई सड़कों और पुलियाओं का निर्माण शुरू किया। जहां महाराष्ट्र सरकार ने दमनात्मक कार्रवाईयों के जरिए सड़क निर्माण को जारी रखी, तो इधर मध्यप्रदेश सरकार ने भी 'सीमा सड़क संगठन' की शरण लेने का निश्चय किया। हर एक राज्य सरकार की नीतियों से यही प्रतीत होता है कि उनका लक्ष्य क्रांति आंदोलन और जनता की चेतना पर पानी फेरकर ध्वस्त करना ही है। इसीलिए इन धोखेबाज सरकारों की कुचालों को भांपते हुए जनता अपना विरोध व्यक्त करने के लिए मिले हर मौके का लाभ उठा रही है। इसी के तहत फरवरी-मई, १९९८ के मध्य जनता ने ९ ट्रकों को फूंक दिया।

२५ अप्रैल को जिम्मलगट्टा रेंज (अहेरी क्षेत्र) के रसापल्लि गांव के पास वन विभाग के दो ट्रकों को जला दिया गया। एटापल्लि दल क्षेत्र के पूसटोला गांव के पास मना करने के बावजूद लगातार सड़क कार्यों में व्यस्त ठेकेदारों के तीन ट्रेक्टरों को जला दिया गया। इस क्षेत्र के गांव आलेवारा के पास दो ट्रेक्टरों, एक ट्रक और एक टिप्पर को फूंक डाला गया। आलेवारा से कोट्टेगट्टा जाने वाली सड़क पर 'बीआरओ' द्वारा पुलिस के सहारे किए जा रहे सड़क निर्माण की निंदा करते हुए लोगों ने सरकारी व निजी ठेकेदारों के वाहनों को जला दिया।

इसी तरह एटापल्लि दल ने जारावंडि से मध्यप्रदेश को मिलाते हुए बन रही सड़क को तत्काल रोकने की घोषणा की। फिर भी बीआरओ और पुलिस जबरन सड़क कार्य करवाने लगे तो दो ट्रेक्टरों को फूंक दिया गया। इसके अलावा, दो अन्य जगहों में औजारों को जब्त किया गया। सड़क कार्य में लगाए स्थानीय आदिवासी भू-स्वामियों के ट्रेक्टरों को छोड़ दिया गया। कांदिडि, एमिलि गांवों के दो ट्रेक्टरों को चेतावनी देकर वापस लौटाया गया।

हेट्टेडकस्सा-मोहर्ली के मध्य सड़क कार्य के लिए लाई गई २६०

सीमेंट की बोरियों को भी आग को समर्पित किया गया। लेकिन बाद में यह स्वीकारा गया कि सीमेंट और अन्य श्रम के औजारों को जब्त करके जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यक्रमों में उपयोग करना चाहिए। स्थानीय पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि छापामार इलाके (गोरिल्ला जोन) के अंदर क्रांति आंदोलन के द्वारा निर्माणाधीन अनेक कार्यक्रमों में काम आने वाली एक भी वस्तु को जब शत्रु वर्गों से जब्त करते हैं, तो उसे सुचारू ढंग से जन कल्याण कार्यों में इस्तेमाल करने की जनता में पर्याप्त चेतना बढ़ाना चाहिए।

तस्कर व्यापारियों की धोखाधड़ी से किसानों की गिरफ्तारी

वन संपदा और वन्य प्राणियों के लिए दण्डकारण्य सुविख्यात है। खदानों और खनिजों का भ्रमार है यहां। छोटे-मोटे व्यापारियों से लेकर दलाल-पूंजीपति और साम्राज्यवादी इन्हें हड़पकर जनता के पाले नहीं पड़ने दे रहे हैं। बड़े अफसर भी इनके साथ साठगांठ कर जनता के हितों की लापरवाही करके कई तरह की हेराफेरियों में लिप्त होकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। अत्यन्त पिछड़तम क्षेत्र अबूझमाड़ में व्यापारी गांजे की खेती को बढ़ावा देकर पैसों की लालच देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसकी आड़ में भोली-भाली आदिवासी बालाओं को भी बेचा जा रहा है। १९९७ के दिसंबर महीने में दो बंगाली व्यापारी विभिन्न जानवरों के खालों, सींगों और बालों को कहीं खरीदकर बेचते हुए पुलिस के हाथों पकड़े गए। उन्होंने चतुराई से किसानों पर दोष मढ़ दिया। उन्होंने पुलिस को यह आश्वासन देकर कि नक्सलवादियों के साजो-सामान पकड़ा देंगे, बालेवाडा और कट्टे गांवों में लाकर, उन गांवों के किसानों द्वारा काफी परिश्रम से एकत्र किए गए चावल और तेल को नक्सलवादियों के होने की बात कहकर किसानों को गिरफ्तार करवाया। इसके बदले पुलिस ने व्यापारियों का चोर धंधा की अनदेखी की जिससे उनके काला-व्यापार निर्बाध चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इसके अलावा गढ़चिरौली डिवीजन के अहेरी क्षेत्र में अप्रैल में एक विचित्र घटना घटी। मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र की सरहदों से एकत्र की गई बारहसिंगा की सींगों का चंद्रपुर पहुंचाने के लिए तस्करों ने जबरदस्त योजना बनाई।

मांड्रा गांव से मनोहर नामक व्यक्ति ने सींगों को इस तरह बांधा कि वे बंदूकों जैसे दिखाई दें। उसने चतुराई के साथ उन्हें दादा लोगों के बंदूक कहकर राज्य के राजमार्ग तक पहुंचाने में अनेक गांवों की जनता का सहयोग प्राप्त किया। मांड्रा से नंदिगांव तक के अनेक गांवों में जब उन्हें 'दादा लोगों की बंदूकें' कहा गया तो पार्टी पर जनता का विश्वास और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की नजर में न पड़ने देने की सतर्कता के साथ लोगों ने अत्यन्त गोपनीय ढंग से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाया। गोल्लकर्ज पहुंची उन 'बंदूकों की गठरियों' को जब १९ किसान ले जा

रहे थे, तब एक मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी कि 'नक्सलवादियों की बंदूकों का खाना हो रहा है'

इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया। पुलिस भी उन गठियों को सचमुच ही बंदूक और गोला-बारूद समझ कर उन्हें खोलने से भी कतरा गई। जब पुलिस जनता को खोलने की बात कही तो जनता ने भी साफ इनकार किया। अंततः पटवारी को खोलने का हुक्म देकर, जब उसने खोल दिया तो पुलिस चौंक गई। बंदूकों की जगह सींग मिली तो मानो पुलिस की किस्मत का ताला खुल गया। आम के आम गुठलियों के दामा सींग तो पुलिस के हाथ लग ही गई और किसानों को डराया-धमकाया जाए तो बेहद पैसे भी मिलेंगे। किसानों से घूस वसूलकर पुलिस ने गोल्लकर्जा गांव के १९ किसानों को मुकदमे में फंसाकर जेल में ठूस दिया। १०,००० रुपए घूस में लेकर कुछ किसानों को छोड़ दिया और १० को झूठी केस लगाकर अदालत के हवाले कर दिए। इस पूरे प्रकरण का संयोजक बस्तर डिवीजन के गांव मांडा का निवासी- मुसलिम व्यापारी था। अहेरी दल को जब इस विषय की जानकारी मिली तो दल ने किसानों के पक्ष लेते हुए तस्कर व्यापारियों से क्षतिपूर्ति वसूलने का फैसला सुनाया।

अहेरी क्षेत्र में भरमारों की जब्ती के लिए पुलिस के हमले

आदिवासी जिला गढ़चिरौली में लोगों के पास भरमार बंदूक रहना एक पुरानी परंपरा है। लेकिन जनता ने जब पीपुल्सवार पार्टी के नेतृत्व में क्रांति संघर्ष छेड़ दिया, तब से शासक वर्ग 'जनता का सशस्त्र रहना' अपने लिए खतरनाक समझकर पुलिस के जरिए उन्हें जब्त करवा रहे हैं। फिर भी जनता परंपरागत शिकार और आत्मरक्षा के लिए भरमारों को गुप्त रूप से रखकर इस्तेमाल करती ही रहती है।

१९९२-९५ के दमन के दौरान गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने जनता से सैकड़ों भरमार जब्त किया। उस पर झूठे मुकदमे लगाने, जेल में ठूस देने के अलावा हजारों रुपए घूस वसूले। जनता ने अपने परंपरागत अधिकार-भरमार रखने के बदले कई दिक्कतें झेलीं।

अब जनता फिर एक बार संगठनों में संघटित होने लगी तो पुलिस गांवों में पुनः हमले करते हुए भरमारों के लिए खोज रही है। मिले भरमारों को जब्त करते हुए केस का डर बताकर हजारों रुपए घूस वसूल रही है। और यह भी शर्त रख रही है कि अगर नक्सलवादियों का पता बताए तो केस भी नहीं होगा, घूस भी नहीं देना पड़ेगा और उलटे पैसे मिल जाएंगे।

हाल ही में अहेरी क्षेत्र के एक्केरा गांव में पुलिस ने न सिर्फ दो युवकों की पिटाई ग्रामवासियों के पांच भरमारों को जब्त किया। कोडिशेपल्लि गांव से भी पांच भरमार जब्त करके पुलिस लोगों पर यह दबाव डाल रही है कि केसों में फंसने से बचना है तो नक्सलवादियों की सूचना दें। इसी तरह क्षेत्र के अन्य गांवों में भी भरमारों के लिए पुलिस ग्रामीणों की प्रताड़ना कर रही है।

कप्पावंचा में दो संघ सदस्यों की गिरफ्तारी- क्रूर यातनाएं

मार्च, १९९८ में पुलिस ने में अहेरी तहसील के कमलापुर रेंज कप्पावंचा गांव के दो संघ सदस्यों के घर पर धावा बोला और आतंक मचाया। नक्सलवादियों के सामान छिपाने का आरोप लगाते हुए घर में सामान तितर-बितर किया। आखिर कुछ 'प्रभात' पत्रिकाएं मिल जाने के बहाने दोनों को दामारंचा पुलिस थाना ले जाकर पुलिस ने उन्हें क्रूरतम यंत्रणाएं दीं। नक्सलवादियों 'डंप' (छिपाए रखे साजो-सामान) दिखाओ कहकर उन्हें बिजली के झटके भी दिए। मुठभेड़ के बहाने मार देने की धमकियां दीं। फिर भी वे दोनों युवक ने पुलिस के आगे नहीं झुके और पुलिस को जंगल-पहाड़ों में व्यर्थ घुमाकर परत कर दिए। अंत में दोनों से घूस वसूलकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।

करंचा में एक की गिरफ्तारी - रिहाई

अहेरी क्षेत्र के जिम्मलगड्डा रेंज के ग्राम करंचा में जब एक युवक बकरे चरा रहा था तो कमांडो पुलिस ने नक्सलवादियों का पता बताओ कहते हुए उसकी जमकर पिटाई की। 'मुठभेड़' कर देने की धमकी दी। उस युवक को यह लालच भी बताया गया कि नक्सलवादियों की सूचना देने पर छोड़ भी दिया जाएगा और ढेर सारे पैसे भी दिए जाएंगे। फिर भी वह युवक नहीं झुका तो पुलिस ने छोड़ दिया। यह घटना अप्रैल, १९९८ में घटी।

छापामारों के हमले में पामेड थाने का सहायक-थानेदार मिट्टी में मिल गया

उक्त घटना के एक महीने बाद पामेड थाने का सहायक-थानेदार नेताम को छापामारों ने मार गिराया। जन-प्रतिरोध के अंतर्गत क्रांति आंदोलन ने एकल लक्ष्यों पर हमले करने का निर्णय लिया। इस पर अमल करने के लिए पामेड क्षेत्र के छापामारों ने एक 'विशेष कार्रवाई टीम' गठित की। तीन सदस्यों की वह टीम ने पामेड पुलिस थाने का सहायक प्रभारी को अपना निशाना बना लिया। १९ जून की शाम को पामेड थाने से कुछ ही गज दूरी पर स्थित सरपंच की दुकान पर बैठे नेताम पर छापामारों ने तीन चक्र फायर किए, जिससे नेताम ने मौके पर दम तोड़ दिया। बहादुरी व पहलकदमी का परिचय देकर वह टीम सकुशल वापस आई।

इस तरह गठित एक अन्य टीम ने भोपालपट्टनम तहसील स्थित भद्रकालि में नवनिर्मित थाना भवन, जिसमें अगले ही दिन पुलिस प्रवेश करने वाली थी, को बारूद से उड़ा दिया। डर के मारे बगल के पुराने भवन में उपस्थित पुलिस जवान रातोंरात भाग गए। इसी तरह ऊसूर तहसील के ग्राम पूजारीकांकेर स्थित वन विभाग के कार्यालय व गेस्ट हाउस को भी उड़ा दिया गया।

पिडिमेल गांव के भू-स्वामियों के घरों पर अकाल हमला

दक्षिण बस्तर के कोटा क्षेत्र में पिडिमेल गांव का भू-स्वामी मासा भीमाल के जनता के हाथों मारे जाने के बावजूद उसका छोटा भाई मूकाल जनता पर जुल्म और अत्याचार जारी रखा हुआ है। तारलागूडेम की घटना के बाद इस गांव एसएफ की छावनी उठाई गई। इसका फायदा उठाकर कोटा क्षेत्र के छापामारों के

होकर जनविरोधी काम करने लगा। छापामारों के नेतृत्व में जनता ने इसके घर पर हमला करके १४० बोरा धान, १४ बैग और १० बकरों को जब्त किया। इसके बाद ४०० जनता उसके तालाब पर आक्रमण करके सामूहिक रूप से तमाम मछलियों को ले गई। यह काम रात भर किया जनता ने। इस घटना से तमाम

हुईखदान में अकाल के प्रति सरकारी लापरवाही के विरुद्ध आवाज उठाती छत्तीसगढ़वासी

नेतृत्व में किष्टारम रेंज के १५ गांवों जनता, जिसमें ४४१ स्त्री-पुरुष शामिल थे, ने परंपरागत हथियारों से लैस होकर ४ जून को जमीनदारों के घरों पर हमला किया। वहां से जनता ने १,६,००० रु. कीमत की वस्तु और पशु संपदा को जब्त किया गया।

इस दौरान क्रोधित लोगों ने गुण्डा मूकाल के पैर तोड़ दिए। पांच होमगार्डों की धुनाई की गई। जनता ने मासा भीमल और मूकाल के बंगलों तथा एसएफ के कैम्प भवन को ध्वस्त कर दिया। इन भू-स्वामी बंधुओं की तमामत संपत्ति जब्त की जिसका बाद में सामूहिक रूप से बंटवारा किया गया। भीषण अकाल के दिनों में जनता द्वारा किए गए इस व्यापक और सफल अकाल हमले से आसपास के गांवों की जनता को उत्साह मिल गया।

जब्त की गई सम्पत्ति में बड़ी मात्रा में धान, चावल, कंद, मूंग, मक्का, इमली, सूखे मछली, तेल आदि खाद्य वस्तुएं और नकद धन, अन्य सामान शामिल हैं।

भू-स्वामी के जुल्मों के विरुद्ध तोमगूडा की जनता खड़ी हो गई

उड़ीसा राज्य के कलिमेला क्षेत्र स्थित तोमगूडा गांव का मुखिया भू-स्वामी शुरू से ही क्रांति आंदोलन का विरोधी रहा। विगत में उसने जनता को डरा-धमकाकर २०० लोगों की एक मीटिंग की वह गांव की जनता को मारना-पीटना, जमीन हड़पना आदि काम पहले से ही करता रहा। इससे तंग आ चुकी जनता की मांग पर पूर्व में छापामारों ने उसकी पिटाई की थी। इससे वह और भी भड़क गया और भाजपा में शामिल

क्षेत्र में उत्साह भर गया और मुखियाओं में घबराहट पैदा हुई।

बालाघाट में 'दारूबंदी' संघर्ष

बालाघाट डिवीजन के परसवाडा क्षेत्र में पिछले वर्ष शुरू किया गया दारूबंदी संघर्ष अभी भी जारी है। कुछ गांव में यह पूरी तरह सफल हो गया। कुछ गांवों में महीने में एक बार दारू पीने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन बाजार के लिए दारू निकालना बंद करने के लिए जोर संघर्ष जारी है।

भगोली और उसके आसपास के गांवों की जनता ने ११ सदस्यों की एक कमेटी बनाई। सभी गांवों में दारू पर स्वतःस्फूर्त प्रतिबंध लगाया। लेकिन शराब धंधे में हजारों रुपए कमा चुके कुछ लोग पुलिस के साथ सांठगांठ कर कमेटी वालों को डराकर दारू उतारने लगे। इससे क्रोधित जनता ने छापामारों के सहयोग से उन पर हमला करके मटके फोड़ दिए और उनकी पिटाई भी की। इससे दारू धंधा पूरी तरह भले ही बंद नहीं हुआ, लेकिन खुला धंधा तो बंद हो गया। घर के उपयोग के लिए ही दारू बनाई जा रही है।

इसके प्रभाव से पिपरिया गांव में भी १५ लोगों की एक कमेटी बन गई, जिसने दारूबंदी पर प्रचार किया। लेकिन गांव की मुखियाओं ने उसकी परवाह नहीं की। इसके बाद गांव की महिलाओं ने संघटित बनकर घर-घर जाकर शराब के मटके फोड़ दिए। फिलहाल धंधा बंद हो गया।

खुरमुंडि और उसके आसपास के ५ गांवों में यह संघर्ष अभी जारी है। डेंडवा, बैगा नगरी, घर्वाटोला, टिकरिया, सलघर आदि गांवों की

जनता ने एकजुट होकर एक रैली निकाली जिसके बाद दारूबंदी लागू की गई।

अब फिर से एक-दो गांवों में धंधा शुरू हो गया। डेडवा में एक-दो लोग दारू बेचने लगे। १० अप्रैल को ५ गांवों की जनता ने छापामारों के साथ उनके घरों में घुसकर मटके फोड़कर पिटाई कर दी। कुछ लोगों को नाक जमीन पर गड़ने को मजबूर किया गया। १० दिसम्बर, १९९७ को बैहर में प्रस्तावित दारूबंदी रैली गांव के मुखियाओ की गद्दारी से विफल हो गई।

गढ़चिरौली जनता ने तेंदूपत्ता मजदूरी बढ़ा ली

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गढ़चिरौली जिले की जनता ने तेंदूपत्ता मजदूरी दरों को बढ़ाने के लिए डीएकेएमएस के नेतृत्व में संश्रयकारी ताकतों को मिलाकर लड़कर पिछली संग्रहण दर १३० रु. प्रति सैकड़े से १३३-१३५ रु. तक बढ़ा ली। उलटाई, पलटाई आदि अन्य कार्यों में पुरानी दरें मान ली गईं।

इस जिले में व्याप्त भीषण अकाल के चलते जनता ने एक ओर अकाल निवारण योजनाओं का अमल के लिए सरकार के विरुद्ध लड़ते हुए ही दूसरी ओर, अकाल संघर्ष के अंतर्गत ही तेंदूपत्ता मजदूरी बढ़ाने का संघर्ष किया। लेकिन इस बार बीड़ी उद्योग में व्याप्त संकट, गत वर्ष ३६ यूनिटों को कोई भी ठेकेदार द्वारा नहीं लिए जाने तथा जिले में अमल वर्तमान दर को ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि पत्ता संग्रहण दर १३६४ की मांग की जाए तथा अन्य कार्यों में पुरानी दरें मान ली जाएं।

दरों के तय होने के बाद जिले भर में अकाल संघर्ष के तहत ही तेंदूपत्ता संघर्ष का प्रचार किया गया। ग्राम स्तर की अकाल तेंदूपत्ता संघर्ष कमेटियों के अलावा यूनिट कमेटियों का भी गठन करके उनके नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा गया।

लेकिन इस वर्ष सरकार ने निविदा नीति को बदलकर, राजशुल्क पर बोली के बजाए कुल राजशुल्क को एकदम बढ़ाकर न्यूनतम राजशुल्क तय कर दिया। अब मजदूरों को देय दरों पर तथा न्यूनतम राजशुल्क को बढ़ाने पर ठेकेदारों को निविदाएं भरनी पड़ेंगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाई गई यह नई तेंदूपत्ता नीति तेंदूपत्ता मजदूरी दरों को तय करने में क्रांति आंदोलन की भूमिका को गौण कर देने की साजिश ही है। इसलिए इस नीति का विरोध करते हुए पार्टी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और जनता को वन-विभाग कार्यालयों में धरने देने को कहा गया। दूसरी ओर, ठेकेदारों ने इस नीति के विरोध में निविदाएं भरने से इनकार किया।

इन दबावों के आगे अंततः सरकार को झुककर तेंदूपत्ता निविदा

नीति बदलनी पड़ी। नीति परिवर्तन के बाद ही, याने काफी विलंब से अप्रैल में निविदाएं शुरू हो गईं। परिणामस्वरूप इस वर्ष 'चाक तरस' (टूठ कटाई) नहीं हो पाई।

मई के दूसरे सप्ताह में ठेकेदारों ने जब पत्ता संग्रहण की शुरूआत की तो पहले यूनिट कमेटियों और ग्राम स्तर की संघर्ष कमेटियों में संघटित हुई जनता ने अपनी मांगों को हासिल करने के

कोटा में निकाली गई अकाली रैली

लिए काम बंद रखा। डिवीजन के विभिन्न क्षेत्रों की जनता ने संघर्ष कमेटियों के नेतृत्व में ठेकेदारों के साथ अपनी मांगों पर चर्चा की। लगभग १०-१२ जगहों पर हुई चर्चाओं में ५० से लेकर २०० लोगों की भागीदारी रही।

जनता की संघटित ताकत के समक्ष झुके ठेकेदारों ने १३३ रु. की दर मान ली। कुछ यूनिटों में जनता ने तब तक पत्ता नहीं तोड़ा, जब तक कि ठेकेदार मजदूरी १३५ रु. तक नहीं बढ़ाता। साथ-साथ पत्ता संग्रहण के दौरान अनियमितताओं को दूर रहने पर भी जनता ने ठेकेदारों पर जोर डाला। जहां तक संभव हो, बाहरी लेबर को न लाया जाए तथा बाहरी लेबर को तीन दिन बाद ही काम देने की बातों पर भी ठेकेदारों ने जनता की मांग स्वीकार की।

संघर्ष के दौरान गठित कमेटियों का विवरण

क्षेत्र	यूनिट कमेटियां	ग्राम स्तर की कमेटियां
१. टिप्पागढ़	तहसील स्तर की कमेटियां-२	नहीं
२. एटापल्लि	यूनिट कमेटियां - ४	नहीं
३. चामोर्षी	यूनिट कमेटियां -४	नहीं
४. पेरिमिलि	यूनिट कमेटियां - २	३७
५. अहेरी	तहसील स्तर की कमेटी -१	४१

इस तरह भीषण अकाल से ग्रसित होकर भी अकाल विरोधी संघर्ष करते हुए ही तेंदूपत्ता संघर्ष चलाकर गढ़चिरौली की जनता ने अपने संघर्ष संकल्प को फिर एक बार प्रदर्शित किया। इन संघर्षों से मिली प्रेरणा से जिले की जनता कई अन्य सरकार विरोधी संघर्षों के लिए तैयार हो रही है।



सीआईडी बोगम चैतराम मिट्टी में मिल गया

मदेड़ दल के छापामार १९ मई को 'न' गांव में गए थे। रात को जनता को एकत्रित कर ३क्रांति आंदोलन, ग्राम राज्य कमेटी और दुश्मन दमन पर उन्होंने विस्तार से बातें की। अगले दिन सुबह भी छापामार वहीं मुकाम किए हुए थे, जिनके लिए संघ सदस्य भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। "कौन गांव दादा" कहकर पूछने से उत्तर हिन्दी में मिला, जिससे उनका शक सच हुआ। ग्राम रक्षक दल के कॉमरेडों के जरिए सूचना छापामारों को पहुंच गई। उनके आदेश पर ग्राम रक्षक दल वालों ने उस आगंतुक की गिरफ्तारी की। उसे देखकर गांव की महिलाओं ने कहा कि इसके पहले वह आदमी नलकूप के पास टहलता रहा। उसे 'कौन गांव' कहकर पूछने से अनसुनी करके चला गया था। दल ने उस आदमी से पूछताछ की तो उसने जो बातें कही उनसे यह स्पष्ट होता है कि क्रांति आंदोलन को कुचलने के लिए कितने धिनौने प्रयास किए जा रहे हैं। उसका नाम 'बोगम चैतराम' है और गांव 'मिडकोल', जो भैरमगढ़ क्षेत्र में स्थित है। उसे खाने-पीने के भत्तों के अलावा पुलिस १००० रुपए प्रति महीना वेतन देती है। उस दिन लड़के ४.३० बजे ही चार पुलिस वालों ने उसे 'न' गांव के पास छोड़ दिया। दल अगर गांव में आता है तो दो-तीन सदस्य खबर देने के लिए आएंगे ही। उन्हें देखते ही उनका पीछा करके मुकाम किए स्थल देखकर शाम तक आवपल्लि पुलिस थाने में खबर पहुंचाना उसका काम है। उसके साथ काम कर रहे तीन अन्य लोगों की सूचना उसने तीव्र मारपीट के बावजूद नहीं दी। जनता के फैसले पर अमल करते हुए दुश्मन का उस एजेंट का सफाया किया गया।

पूर्व संघ सदस्य और पुलिस मुखबिर रेंगा लचू का खात्मा

मदेड़ क्षेत्र की असूर रेंज कमेटी के पूर्व सदस्य रेंग लचू, जो पहले नेलाकांकेकर गांव में रहता था, ऊसूर में रहने लगा। वहां वह पार्टी का नाम बताकर हुक्म चलाना, पंचायतों में दण्ड वसूलना, पैसे वसूलना आदि करते हुए तीज-त्यौहारों और शादी-ब्याहों में मनमानी करता था।

इसकी कमजोरियों को जानकर पुलिस ने इसे मुखबिर बना लिया। इससे वह छापामारों की सूचना पुलिस को पहुंचाया करने लगा। चुनाव के पहले लचू गांवों में घूमते हुए शिक्षकों से पूछता था, "क्या दादा लोगों से मिले हो?" कोई उत्तर न देने पर उन्हें धमकियां भी देता था। गांवों के किसानों से 'लाल सलाम' कहकर उनके नाम पुलिस को बताता था। संघ सदस्यों के मकानों पर दिन-रात नजर रखता था। छापामारों और संगठनकर्ताओं का सफाया करवाने पुलिस के द्वारा घात लगवाकर

बिठाया। पुलिस दस्तों को वह जंगली रास्तों पर, नाले-नहरों पर ले जाता था। इसकी इन सभी करतूतों के लिए तथा जन आंदोलन की रक्षा के लिए ७ अप्रैल को छापामारों ने इसे मौत के घाट उतारा।

मुखबिर महा सिंह खत्म

बालाघाट जिले की बैहर तहसील अंतर्गत दक्षिण उकवा रेंज के ग्राम रासिमेट्टा का निवासी था, महा सिंह। पूर्व में यह साहिबलाल, भारत जैसे मुखबिरों का साथी रहा। छापामारों ने फरवरी ९७ में एक बार चेतावनी दी थी, जो बेअसर साबित हुई। फिर से महा सिंह को अक्टूबर ९७ में गंभीर चेतावनी दी गई। गत डेढ़ वर्ष से वह दो अन्य लोगों की मदद से छापामारों और ग्राम संगठन की हर एक गतिविधि की जानकारी पुलिस को तुरत-फुरत पहुंचाया करता रहा। इसका एक साथी था बिन्दु, जिसे लेकर वह पुलिस थाना जाता था। इस नेपथ्य में छापामारों ने ३२ वर्षीय महा सिंह को ७ मई को जन-फैसले के तहत खत्म कर दिया।

पुलिस मुखबिर लक्ष्मण मड़ावि का अंत

भण्डारा जिले के ग्राम बोरटोला निवासी लक्ष्मण मड़ावि ९०-९१ में संघ में काम करता था। बाद में पुलिस ने उसे धारा ११० के तहत गिरफ्तार कर पैसे के लालच बताकर कायल किया। तब से छापामारों के साथ उसका संबंध खत्म हो गया और पुलिस के साथ दोस्ती बढ़ी। लक्ष्मण छापामारों की सूचना पुलिस को पहुंचाते हुए जनता का पीड़क बन गया। जनता को धमकी देकर पैसे वसूलने भी लग गया।

जनता का दुश्मन बने लक्ष्मण को जनता के निर्णय पर ५ मई को छापामारों ने खत्म कर दिया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली।

जन संघर्षों से मुखियाओं और जमींदारों का सिर नीचा!

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दुष्ट मुखियाओं और भूमिपतियों के जुल्म और अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है। परंपरागत रीति-रिवाजों के बहाने वे जनता को दबाकर रखते हैं। लेकिन संघटित जनता द्वारा इन जंजीरों को तोड़ने के लिए उनके एक-एक कर सिर नीचा करने का जो सिलसिला जारी है, पेश है उसी की निम्नांकित रिपोर्टें।

विक्रमपुर का सरपंच, भूमिपति चमरूराम लोधि की पिटाई

राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ तहसील स्थित विक्रमपुर गांव का सरपंच चमरूराम लोधि, जो एक भूमिपति भी है, के जुल्म हद से पार हो गए। धन और सत्ता के बलबूते इसने महिलाओं पर जो अत्याचार किए उनकी फेहरिस्त बड़ी लम्बी है। यहां तक कि उसकी सगी मौसी भी

उसकी कामवासना का शिकार बनने से बच नहीं सकी। सिर्फ जान पड़े ऐसे मामले ही १६ हो गए तो न जाने कितनों का रफा-दफा किया गया हो। भूलवश अगर कोई उस पर मामला दर्ज कराए तो वह जैसे फेंककर अदालतों से बचता रहता था।

वह ब्याज पर कर्ज देकर चक्रब्याज वसूलता था। अगर कोई कर्ज नहीं उतार सके तो उसकी जमीन अपने नाम पर कर लेता था। इस तरह ७-८ किसान अपनी जमीन गंवा बैठे, जो सभी एक-दो एकड़ वाले ही हैं। आसपास के गांवों की जनता को भी यह ब्याज में कर्जा देकर लूटता था।

खैरागढ़ के राजघराने का शत्रुलाल निस्संतान था। 'सीलिंग' में जमीन खोने के डर से उसने स्वैच्छिक रूप से किसानों को एक-एक, दो-दो एकड़ जमीन बांट दी। चमरूराम इतना हरामी है कि उसने राजा के पास २० एकड़ खरीदने की झूठी दस्तावेज बनाकर किसानों से जमीन छीनकर अपने नाम पर कर दिया। गांव के कुछ तगड़े किसानों को अपने पक्ष में लेकर २५० मकानों का गांव को उसने ऐसा कर दिया कि उसीक तूती बोलने लगी।

इस साल इस क्षेत्र में छाए सूखे से किसानों चौपट हो गई। यदा-कदा उगे अनाज को चमरूराम ने २-३ कुतल प्रति एकड़ वसूल कर अपनी कोठी भर दी।

पंचायत चुनाव में लोगों को डरा-धमकाकर सरपंच चुन लिया गया। बाद में ग्राम विकास के लिए स्वीकृत धन को इसने डकार लिया। वार्ड पंचों को अपनी मुट्ठी में रखकर चमरूराम ने जवाहर रोजगारयोजना का कोष भी निजी कार्यों में खर्च किया। अपने मकान के इर्द-गिर्द बसे लोगों को खाली कराने के लिए भी इसने क्या-क्या नहीं किया।

इनकी यातनाओं से तंग आई जनता ने छापामारों से कई बार आग्रह किया कि उसे दंडित किया जाए। ४ मई को पंचायत बुलाया गया। १०० महिलाओं सहित पूरे ४०० लोगों के समक्ष पहले ना-नुकराने से उसकी जमकर पिटाई की गई। तब जाकर उसका होश ठिकाने लग गया। बाद में उसने जनता के पांव छूकर माफी मांगी।

वहीं, जनता के समक्ष उसके द्वारा बनाई गई जमीन की जाली दस्तावेजों को जनता की मांग पर जला दिया गया। उस पंचायत ने निम्नांकित प्रस्ताव किए, जिनका अमल के लिए १५ दिनों की मोहलत दी गई।

१. जनता से अवैध ढंग से छीन जमीन की वापसी।
२. अकाल के बावजूद किसानों से वसूले अनाज की वापसी।
३. सरपंच पद से त्यागपत्र।
४. गांव के अंदर या बाहर सूदखोरी बंद।
५. कोई भी ग्रामवासी पर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर सख्त मनाही।

उक्त फैसले से न सिर्फ ग्राम की जनता, बल्कि आसपास के गांवों की जनता भी विशेष रूप से प्रभावित हुई और संघर्ष पथ की ओर आकर्षित हुई।

एकताबद्ध जनता ने सिर झुका दिया लावत्रा के भू-स्वामी अंजोर का

लावत्रा गांव का पटेल अंजोर भूमिपति भी है। उसकी करतूतों में जनता को दबा देना, लूट-खसोट, सामूहिक स्रोतों को हड़पकर स्वयं के लिए उपयोग करना, विरोध करने वालों को तड़ीपार कर देना आदि शामिल हैं।

लावत्रा १७ घरों का एक छत्तीसगढ़ी गांव है। घर-जमाई के रूप में इस गांव में आए अंजोर ने पूरे गांव में ही धाक बना ली। जब से उसे पटेलगिरी मिली, तब से उसके जुल्मों की हद नहीं रह गई। उसका यह हुक्म है कि उसकी खींची लकीर को कोई पार न करे। उसका विरोध किए चार परिवारों को उसने गांव से भगा दिया। उनमें से एक उसके बगल वाला परिवार था जिसे उसने भगाया और उनकी जमीन हड़प ली। अंजोर के घर के बाजू में एक सामूहिक कुआं है। उसने यह कहकर कि कुएं पर आने-जाने वालों से खेत नष्ट हो रहा है, वहां का रास्ता बंद कर दिया। आखिर उस कुएं को भी अपनी जमीन में शामिल कर उसका निजी उपयोग करने लगा।

वह पूर्व में सरपंच भी रहा था, जिसके बदौलत उसने अनाप-शनाप संपत्ति कमाई जो भी हलथे लगा उसे डकार लिया। गांव के लिए मंजूर धन का उसने दुरुपयोग किया। गांव की सामूहिक जरूरतों के लिए १० वर्ष पूर्व एक तालाब की स्वीकृति मिली थी। ग्रामवासियों के कड़े परिश्रम से निर्मित इस तालाब पर अंजोर ने ही कब्जा किया। उस तालाब से गांव को एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। गांव में अधिक मात्रा में पड़ती व बंजर जमीन है जो पूरी तरह अंजोर के अधीन है। कोई उसकी काशत करने की कोशिश करे तो वह यह धमकी देता है कि उसकी अनुमति के बिना कोई जमीन में कदम तक न रखे।

गांव में एक बिगड़े एनिकट भी है। गांव वालों के लाख आवेदनों के बाद बमुश्किल उसकी मरम्मत को मंजूरी मिली। लेकिन अंजोर के द्वारा रोड़े अटकाए जाने से 'आसमान से गिरा पर खजूर पर अटका' सा हो गया। उसके आगे किसी अन्य किसान की भलाई हो, यह उसे बर्दाश्त नहीं है। एनिकट की बुनियाद के निर्माण के लिए लाए ७०० पत्थरों को अपने वश में लेकर काम में अड़ंगा लगाया। ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित ३-४ हजार रुपए भी उसने डकार लिए। इस पर पूछने से बहानेबाजी करने लगा।

छापामारों के लिए लावत्रा नियमित रूप से जाने वाला गांव होने के बावजूद, पहले ग्रामवासी इसके जुल्मों का जिक्र नहीं करते थे। आसपास के गांवों में मजबूत बने संगठनों से प्रेरणा लेकर लावत्रा ने इस समस्या को सामने लाया। जन पंचायत में उसे खड़ा किया गया तो उसने पहले गलतियां नहीं मानीं और वाद-विवाद पर उतरा। बाद में उसे गंभीर चेतावनी देकर गांव से भगाए गए लोगों को वापस लाने का सख्त आदेश

देकर पंचायत को स्थगित किया गया। १८ दिनों बाद पुनरायोजित पंचायत में ग्रामवासियों के अलावा पड़ोसी गांवों के लोगों ने भी भाग लिया। पंचायत में उसके काले कारनामों पर हुई बहस के बाद उसने गलतियां तो मान लीं, पर पैसा देने से मना किया। पंचायत के निर्णय से खिलाफ जाने पर 'ग्राम बहिष्कार' की चेतावनी देने से अंततः फैसला स्वीकार किया। जन-पंचायत के फैसले के मुताबिक-

१. विगत १० वर्षों से अंजोर के कब्जे में स्थित गांव का सामूहिक तालाब अब से ग्रामवासियों का हो। और १० वर्षों के उपयोग के बदले वह ३० हजार रुपए की क्षतिपूर्ति एक महीने के अंदर भर दे। उस रकम का एनिकट की मरम्मत के लिए खर्च किया जाए।

२. एनिकट के लिए आए ७०० पत्थरों को वापस लिया जाए। जो वर्तमान में अंजोर के कब्जे में है।

३. गांव की लगभग २५ एकड़ बंजर जमीन पर अंजोर का बिज है। वह उसे छोड़ दे तथा गांव के भूमिहीन किसानों में संघ के जरिए उसका बंटवारा किया जाए।

४. अंजोर के द्वारा गबन किया गया गांव के सामूहिक धन वह ग्रामवासियों को लौटा दे।

उक्त निर्णयों के अलावा अंजोर को यह चेतावनी भी पंचायत ने दी कि वह ग्रामवासियों से घुल-मिलकर रहे। धन वापसी की एक महीने की मोहलत की उसकी मांग पंचायत ने मान ली।

इस जन-पंचायत से लावत्रा के अलावा आसपास के कई गांवों में उत्साह पैदा हुआ तथा सामूहिकता की भावना बढ़ गई।

जनता पर जुल्म करते वन संपत्ति का काला धंधा करने वाला सिपाही (वन रक्षक) साहू की धुनाई

बालाघाट डिवीजन में छापामारों के प्रवेश से पहले जनता जहां एक ओर सरकार द्वारा शोषित थी, वहीं दूसरी ओर वन विभाग वालों के जोर जुल्म से भी पीड़ित थी। १९९० के बाद हालांकि यह स्थिति बदल गई वन विभाग के अधिकारियों के जुल्म और दमन पर पूर्ण विराम लग गया, फिर भी यदा-कदा छोटे कर्मचारियों की ज्यादातियां रोशनी में आती ही रहती हैं। उपर्युक्त बदलाव के फलस्वरूप दल की पहुंच से बाहर वाले क्षेत्रों में आर्थिक शोषण का एक नया तरीका सामने आया। सालेवारा, गंडई रेंजों के रेंजर, डिप्यूटी रेंजर और वनरक्षक एकजुट होकर जुल्म और शोषण चला रहे हैं। मुख्य रूप से गंडई रेंज के ग्राम ठाकुरटोला में तथा सालेवारा रेंज के मोहगांव में उनकी ज्यादातियां बेहद हो गईं।

मवेशी चराने पर तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी लाने पर ग्रामवासियों का रेंजर से लेकर सिपाही तक सभी शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रकों भर इमारती लकड़ी का चोर व्यापार करके स्वयं पर दाग न लगे, इसलिए किसानों को फंसा देना तथा उनसे जुर्माना वसूलना वनकर्मियों का नित्य कर्म बन गया। दैहान वालों से और मेंढी चरवाहों

से रेंजर और डिप्यूटी रेंजर हजारों हजार रुपए वसूल रहे हैं। राजस्थान और गुजरात से आने वाले इन मेंढी चरवाहों से गंडई रेंजर तिवारी ने ८० हजार रुपए और सालेवारा रेंजर ने ५० हजार रुपए घूस खाया। इस घूसखोरी में सक्रिय भूमिका डिप्यूटी रेंजरों की रही।

डिप्यूटी रेंजर मारुतकर और सिपाही चुन्नीलाल साहू के अत्याचार अकथनीय हैं। ये वन विभाग के नाका भवनों में रहते हुए ट्रकों भर लकड़ी का चोर व्यापार भी करते हैं। एक स्थानीय पत्रकार द्वारा इनका भंडाफोड़ किए जाने से संभावित कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने मोहगांव के एक किसान के तीन वर्ष पुराने मकान की छत तोड़कर जब्त किया। विगत में चुन्नीलाल की इस तरह की ज्यादातियों से तंग आई मलादा ग्रामवासियों ने इसे चेतावनी दी तो वह मोहगांव में पड़ाव डाला। वहां पर भी उसका वही हाल रहा। संगठन वालों ने छापामारों के सहयोग से साहू की पिटाई करने का निश्चय किया। डिप्यूटी रेंजर मारुतकर भाग गया। लेकिन चुन्नीलाल मिल गया। सच-सच बताने को कहने पर वह ना-नुकूर करने लगा। पिटाई के बाद ही उसने गलतियां स्वीकार कीं। चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अस्पताल में अनपेक्षित रूप से उसकी मौत हो गई।

छापामारों और संगठनों ने वनकर्मियों पर कुछ नियमों का पालन करने की शर्त रखी। पोस्टरो के जरिए विस्तृत प्रचार किया गया है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन करने पर सजा के पात्र होंगे।

१. गरीब किसानों को प्रताड़ित करना बंद करो।
२. कृषि कार्य और घरेलू उपयोग के लिए वनों से लाई लकड़ी की पीओआर नहीं की जाए।
३. लकड़ी का चोर व्यापार बंद करो। चोर व्यापार में वन विभाग वाले शामिल मत हों।
४. चोरों से जब्त की गई लकड़ियों को नाके में मत रखो। ग्रामवासियों के उपयोग के लिए उन्हें सौंप दो।
५. चरी और जुमाने के नाम पर ग्रामवासियों से पैसा वसूलना बंद करो।

उड़ीसा

कलिमेला क्षेत्र में जन विरोधियों की धुनाई

राखाल गांव का मुखिया पोडियम सोमा ग्रामवासियों को कई तरहों से प्रताड़ित करता था। यह गांव चूंकि पोडेर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ग्रामवासियों ने नदी पार करने के लिए एक सामूहिक नाव तैयार की। लेकिन उस पर आने वाली आय को अकेले सोमा ही खाता रहा। जब गांववालों ने पैसे की हिसाब तलब की तो वह नाव को ग्रामवासियों के पार करने के लिए नहीं देने लगा। ऊपर से संगठन वालों की सूचना पुलिस को देने की धमकियां दे रहा था। इसकी ज्यादातियों से बर्दाश्त खोई जनता ने उसकी पिटाई करके मुंडन भी कर दिया।

बंगाली गांव एमवी-७४ का निवासी शोक्ति पोदो की भी इसी तरह धुनाई की गई क्योंकि वह गांव वालों को सताया करता था। पूजा की एक छोटी सी बात पर उठे विवाद को लेकर उसने पांच व्यक्तियों को केस में फंसाया। गांव में सामूहिक नलकूप को अपनी धाक का इस्तेमाल कर अपने घर के निकट खुदवाया। संगठन वालों को धमकाकर पुलिस को लाकर गांव में मतदान करवाया। घर निर्माण की आड़ में उसने प्रत्येक घर से ३०० रुपए वसूल किए, पर एक साल के बाद भी न तो घर बने न ही पैसे वापस किए। जनता के समक्ष इन सभी कुकृत्यों पर मुकदमा चलाया गया, उसने गलतियां नहीं मानीं और नतीजा था उपर्युक्त धुनाई। बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

गोदिबेडा गांव का पुजारी गंगाल ने आदिवासियों को डरा-धमकाकर घर-घर से दस रुपए वसूलकर खाया था। उनकी ज्यादतियों को रोकने की कोशिश की गई तो उसने संगठन वालों को धमकियां दीं कि उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी और वे जेल जाएंगे। उससे तंग आ चुकी संघ सदस्यों और गांव की जनता ने उसे पीट दिया। उसी गांव का पोदिया नामक व्यक्ति भी गंगाल का साथ देकर हाथ में छुरी लेकर संघ सदस्यों को डराता-धमकाता रहा था, उसकी भी पिटाई कर दी गई।

खोइरीपुट गांव का मुखिया, चौकीदार और पुजारी- तीनों ने मिलकर ७ संघ सदस्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया। उनको अदालती कार्रवाई के जरिए जेल से छूटने के लिए जमीन और मवेशियों को बेचना पड़ा। इस पर ग्राम की जनता के समक्ष पंचायत बुलाया गया। इन तीनों ने भी गलती नहीं मानी तो उनकी पिटाई की गई तथा अदालती कार्रवाई हुए खर्च की क्षतिपूर्ति के तौर पर चार हजार रुपए उनसे वसूलने का फैसला सुनाया गया। यह चेतावनी भी दी गई कि मुकदमा वापस लें तथा चौकीदार अपनी नौकरी छोड़ दें।

मेहर नामक ठेकेदार ने कई चेतावनियों के बावजूद सड़क काम जारी रखा तो उसकी पटपटी (मोटर साइकिल) जला दी गई। दोड्डुमेट्टला गांव का मुखिया भी जनता को डराकर दबाने की कोशिश कर रहा था। जब उस गांव में महिला प्रचार दल गया था, तब उसने मीटिंग आयोजित करने से मना करते हुए कई अपशब्द कहकर पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवाने की धमकी दी थी। इस पर सभी जनता के समक्ष पंचायत करके गलती मनवाकर जमीन पर नाक रगड़ देने पर उसको मजबूर किया गया।

सिंगवरम गांव का पुजारी धूलाल भी जनता को धोखा देने, डराने-धमकाने के लिए, पुलिस का डर बताने में मस्त था। गांव का सामूहिक तालाब का भी वह अकेले ही उपभोग कर रहा था। इसके लिए सजा के रूप में पंचायत ने पिटाई और चोटी की कटाई तय कीं, जिस पर अमल तत्काल ही किया गया। मारिंगट्टा गांव का 'वड्डे' (पुजारी) तो इससे आगे बढ़ गया था। विगत में एक बार हुई पिटाई भी वह नहीं सुधरा, बल्कि दमन का सहारा लेकर संगठन वालों को पुलिस द्वारा पकड़वाने की धमकियां देने लगा। इस बार पंचायत में न सिर्फ उसकी पिटाई की गई, बल्कि सभी लोगों के पैर पड़ने पर उसे विवश किया गया।

उत्तर-बस्तर

जन विरोधी बने धर्म प्रचारक जयराम की पिटाई अप्रत्याशित मौत

उत्तर बस्तर के ग्राम तोटा मडनार का निवासी जयराम बाबा बिहारी दास धर्म का प्रचारक और समाज विरोधी भी है। जनता के फैसले पर उसकी पिटाई की गई थी, लेकिन मर्म स्थान पर चोट लगने से अनपेक्षित ढंग से उसकी मौत हो गई।

जयराम पहले तो बाबा बिहारी दास धर्म में रहते हुए भी डीएकेएमएस का कार्यकर्ता रहा। बाद में वह रेंज कमेटी अध्यक्ष बनकर १९९५ तक बना रहा। उसकी धार्मिक गतिविधियों पर नजर रखे छापामारों ने उसे अनेक बार छोड़ने को कहा। अनसुना करने पर रेंज कमेटी से तथा संघ से भी उसे निकाल दिया गया।

फिर भी वह संघ की गतिविधियों संबंधी सूचनाएं एकत्रित करता रहा। उसके बाद में बने संघ नेता से दोस्ती करके जयराम संघ की पूरी जानकारी हासिल करता था। धार्मिक विश्वास को अपने तक ही सीमित न रखकर जनता पर माला पहनने पर दबाव डालता था। एक बार एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई तो आदिवासियों के भोले-भालेपन का लाभ उठाते हुए जयराम ने जनता को यह डर बताया कि राम की पूजा नहीं की गई जिसकी वजह वह मृत्यु हुई। उसने यह झूठा प्रचार किया कि दादालोगों ने सभी को माला पहनने और रविवार को कोई काम पर नहीं जाने को कह रखा है।

यह विषय मालूम पड़ने के बाद छापामारों ने जयराम को उसकी गलतियों से अवगत कराया। राजनैतिक रूप से बिहारीदास की असलियत भी समझाई गई। जनता में धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वासों को फैलाना गलत कहकर, छापामारों ने उसे जनता के साथ मिल-जुलकर रहने को कहा। छापामारों के सामने सिर हिलाकर बाद में संघ सदस्यों को डराने का सिलसिला जारी रखा जयराम ने। माला धारण नहीं करने वालों को अछूतों की श्रेणी में रखना, आदिवासी परंपरा के मुताबिक ग्राम देवता को बकरे की बलि देने पर धमकियां देना, गांव के गैता पद की मांग करते हुए आदिवासी संस्कृति की अवहेलना करना, हिन्दू धार्मिक राजनीति का प्रचार, जनता को मालधारियों और कतनानों (जो माला नहीं पहनते) में विभाजित कर विद्वेष को भड़काना आदि उसकी करतूतें रहीं।

संघ नेताओं में भी पार्टी विरोधी प्रचार कर सरकार के जेलों, अदालतों और पुलिस थानों पर बढ़-चढ़कर विश्वास भरने का प्रयास करता था। जो संघ नेता उसकी बातें नहीं सुनते उनके नाम पुलिस को देने की धमकियां देता था। इस बीच छापामारों ने और एक बार चेतावनी दी। फिर भी वह अपने गांव के अलावा अन्य पड़ोसी गांवों में भी धार्मिक प्रचार के साथ-साथ यह प्रचार भी करने लगा कि 'शांति दल' में शामिल

हो जाओ, जो क्रांति-विरोधी सरकारी दल है। इसके 'धर्मरोग' के बढ़ जाने से तथा कई चेतावनियां और आग्रहपूर्वक बातें विफल साबित हुईं तो आसपास गांवों की जनता को बुलाकर पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत के निर्णय पर जयराम की पिटाई की गई, लेकिन अनपेक्षित रूप से उसकी मौत हो गई।

पुलिस पटेल पेका हेडो का खात्मा कर छापामारों ने बदला लिया

गढ़चिरौली डिवीजन के पेरिमिलि दल क्षेत्र में स्थित गांव कुच्चर में मात्र २० झोपड़ियां रहती हैं। १९९३ तक जन संगठनों की गतिविधियों का केन्द्र था कुच्चर। बाद में आए पुलिस दमन से जनता ने अस्थायी तौर पर पीछे कदम डाला। जब क्रांति आंदोलन क्षेत्र में हावी हो गया था इस गांव का पटेल छापामारों को सहयोग देते हुए विश्वासपात्र माना जाता था। गंभीर दमन के दौरान भी उसने अपने प्रभाव के बल पर छापामारों को सहयोग दिया। पुलिस पटेलगिरी के अलावा पेपर मिल में भी उसकी प्रतिष्ठा इसलिए बढ़ी कि उसे छापामारों की मदद हासिल है तथा उसक नौकरी पक्की भी हो गई।

इन सभी कारणों से उसके वर्ग स्वभाव में भी बदलाव आया। अच्छे-खासे धनी किसान के स्तर पर पहुंच गया। कुच्चर के इर्द-गिर्द स्थित कंडी, नारुगोंडा आदि गांवों के मुखियाओं और पटेलों से उसके मधुर संबंध बन गए। लेकिन उक्त दो गांवों के मुखियाओं की गद्दारी के लिए उन्हें मौत की सजा मिलने की बात से भी पेका बेखबर नहीं है। फिर भी उसने अत्यन्त गोपनीय ढंग से पुलिस के साथ संबंध स्थापित किया और ऐसा व्यवहार करने लगा ताकि छापामारों को कोई भनक न लग सके। इस पटेल में आ रहे बदलाव का पता लगाने में छापामार विफल हो गए।

इसके साथ विश्वसनीय संबंध के चलते सहज ही छापामार २९ जुलाई १९९७ को उससे मिले। छापामारों द्वारा सौंपा गया काम पूरा करने की रिपोर्ट देकर उन्हें भोजन आदि पहुंचाकर उसने पुलिस को सूचना दी। तब तक लगातार दो दिनों से छापामार उसके संपर्क में रहे। गांव की सरहद में पुलिस के घात लगाकर बैठने और छापामारों के गांव से बाहर निकलते ही गोली चलाकर मार देने की योजना बनाई उसने। पुलिस को इस बात पर राजी किया गांव में छापामारों पर गोली न चलाया जाए।

पुलिस ने यह समझकर कि छापामारों का उसके जाल में फंसना निश्चित है, पेका हेडा की योजना को कुशलतापूर्वक अंजाम देने का निश्चय किया। इस पर भरोसा और ग्राम के साथ अच्छे संबंध के चलते छापामार रात को गांव में ही विश्राम लेकर मुंह अंधेरे में गांव से निकलने लगे कि पटेल जाकर पुलिस को एक बार सतर्क कर दिया।

इससे घात लगाकर बैठी पुलिस की गोलीबारी में तीन कॉमरेड फंस गए। उनमें से कॉमरेड पोर्तेटि गणपति (श्रीकांत) की मौके पर ही

मृत्यु हो गई। दो अन्य कॉमरेड गोलीबारी के मध्य ही बचकर निकल सके। बाद में छापामारों ने पुलिस पर घात लगाकर हमला करके २९ जुलाई १९९७ की घटना का नेतृत्व किए पांडु अलाम (हवलदार) सहित पांच जावनों को ५ अगस्त, १९९७ को मिट्टी में मिला दिया।

इधर, अपने सूचनातंत्र को अत्यन्त गोपनीयता के साथ जारी रखने के इरादे से पुलिस ने पेका हेडो को तीन महीनों तक जेल में रखा ताकि उस पर किसी को कोई शक न हो। लेकिन इस दौरान जनता ने उसके संबंध में समस्त जानकारी छापामारों को दी।

छापामारों ने भी निश्चय किया कि उसकी गद्दारी पर कोई बात कहीं भी न कही जाए। क्योंकि छापामारों के प्रचार से इसकी गद्दारी सबको मालूम हो जाए तो पुलिस उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करेगी। परिणामों से भी यही सही साबित हुआ। इसके बारे में छापामारों द्वारा कहीं कोई जिक्र न किए जाने से वह तीन महीनों तक नाममात्र की जेल की सजा भुगत कर कुच्चर आकर यथापूर्व रहने लगा। २८ अप्रैल, १९९८ को उसे गिरफ्तार कर जनता के मध्य छापामारों ने इसके लिए अपराधों पर मुकदमा चलाया तो उसने हर परिणाम को उगल दिया और गद्दारी स्वीकार ली। अपने साथी को खोने के क्रोध से जन छापामारों ने जनता के फैसले पर अमल करते हुए उसे मौत के घात उतार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जनद्रोहियों की पुलिस तंत्र सुरक्षा नहीं दे सकेगा तथा आखिरकार उन्हें जनता के हाथों निश्चित रूप से कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा।

कच्चनगुंडा का चुक्का का खात्मा

गढ़चिरौली डिवीजन के पेरिमिलि दल क्षेत्र का एक दूरस्थ गांव है कच्चनगुंडा। इस गांव का निवासी चुक्का (३०) आवारा स्वभाव वाला है। आदिवासी किसान स्वभाव को छोड़कर वह क्रमशः ट्रक चालकों, कंडक्टरों, बंगाली लुटकर व्यापारियों और वन विभाग वालों से संबंध स्थापित कर वह उनके फेंके जूठे दानों का खाने का आदी हो गया। पड़ोस के गांव मर्कानार से चुक्का ने एक महिला को शादी के बहाने लाया, लेकिन उसने किसी दिन उस महिला के साथ न्याय नहीं किया। उसकी धोखाधड़ी और पराश्रयता से तंग आ चुकी वह महिला दूसरे के घर बस गई। रोज-रोज उसकी गतिविधियों से ग्रामवासियों में घृणा पैदा हुई।

जब उसने बंगाली मुखबिरो के जरिए यह जाना कि क्रांतिकारियों की सूचना देने पर पुलिस ढेर सारे पैसे देगी, उनके साथ साठगांठ कर घूमने लग गया। अप्रैल ९८ के आखरी सप्ताह में दूरस्थ जंगल में डिवीजन नेतृत्व और पेरिमिलि दल के बैठक करने की भनक लगते चुक्का ने बंगाली मुखबिरो को सूचना पहुंचा दी। पुलिस ने तत्काल ही वेल्लोडा गांव (मध्यप्रदेश) के दो बंगाली मुखबिरो और चुक्का को सामने रखकर अत्यन्त गोपनीय तरीके से बैठक स्थल पर पहुंचकर उसे घेर डाला। लेकिन चंद घंटे पहले ही छापामारों ने उस जगह बदल दिया तो एक भारी मुठभेड़ टल गई।

उक्त पूरे घटनाक्रम को जानकर क्षेत्र के गांवों की जनता ने छापामारों को इतला देकर अपने मध्य पनपी इस किरकिरी को उखाड़ देने का आग्रह किया। उसकी हर गतिविधि की जानकारी देते हुए इस प्रांत की जनता ने छापामारों को भरपूर सहयोग दिया। वह अपने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों के लोगों के सामने बिना डर के बगने लगा कि वह दल का सफाया करवाएगा। १० जून १९९८ को जनता की दी गई सूचना के आधार पर छापामारों ने उसे जंगल में गिरफ्तार कर खत्म कर दिया, जिससे जनता भयमुक्त हो गई।

पुलिस के समर्थन से जेल में और बाहर जनद्रोही रहा सुकलू का खात्मा!

सुकलू पुंगाटि (३५) शेवेरी गांव का निवासी था। गढ़चिरौली डिवीजन के एटापल्लि दल क्षेत्र में स्थित ग्राम शेवेरी में १९८८ से संघ में काम करते हुए सुकलू क्रमशः आदिवासी किसान खेत-मजदूर संगठन का रेंज कमेटी नेता के रूप में विकसित हो गया। वर्ग से वह गरीब होने के बावजूद उसने आचार स्वभाव अपना लिया। निजी-सरकारी कर्मचारियों के साथ रहते हुए वह निम्न पूंजीपति लक्षणों को अपनाकर आदिवासी संस्कृति के लिए कलंक बन गया। महिलाओं से अवैध संबंध स्थापित करना, रेंज कमेटी के साथी सदस्यों के साथ बुरे बरताव, झूठ, पार्टी का नाम बताकर पैसों का गबन करना, स्थानीय रिवाज के अनुसार 'ओदे' (जादू-टोना) अंधविश्वास के बहाने हत्याएं करना जैसे उसके काले कारनों का पता चलने लगा तो पार्टी द्वारा अपनाई गई सुधार की सभी कार्यवाहियां भी विफल साबित हो गयीं। अंततः १९९१ में उस पर सामाजिक बहिष्कार लगा दिया गया।

बाद में उसका दिमाग इतना चढ़ गया कि पूरे क्षेत्र में ऐसा घूमने लग गया मानो उसकी कोई पृष्ठ नहीं है। १९९३ में एटापल्लि क्षेत्र में दमन का पहले दौर में पुलिस ने उसे 'टाडा' के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, इसके अत्याचारों से तंग आने से ही जनता ने उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया। लेकिन बाद में पार्टी ने ग्रामवासियों की बैठक में स्पष्ट किया कि जनद्रोहियों को जनता के मध्य ही सजा मिल जानी चाहिए, लेकिन अन्य जनद्रोही के हवाले नहीं करना चाहिए।

सुकलू पुंगाटि जेल में पुलिस के विश्वासपात्र सेवक बनकर गुंडों के साथ दोस्ती करते हुए अपना मतलब निकलता था। साथ-साथ वह जेल में स्थानीय आदिवासियों से कई विषयों की जानकारी प्राप्त करके अधिकारियों को पहुंचाया करता था। जेल में भी संघ सदस्यों और नेताओं के मध्य फूट डालकर अधिकारियों और गुंडों की साजिशों में अच्छी भागीदारी निभाते हुए जेल में सभी की घृणा का पात्र बन गया।

जेल में इसके बदचलन की सीमाएं टूटते देख पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। नागपुर और अमरावती के

जेलों में पार्टी कार्यकर्ताओं, हमदर्दों और संघ कार्यकर्ताओं पर क्रूर दमन चलाने में सुकलू ने अपनी गतिविधियों के जरिए पुलिस का साथ दिया। चंद्रपुर का गुंडा दुर्गेन इर्गिलवार, क्रांति आंदोलन से पतन हो चुके पानुगंठि सत्यम (श्रीकांत, एरान्ना) और सुभाष रेड्डी (रामलाल) जैसे लोग उसके गुरु थे। १९९७ में वह जेल से छूटकर आया। जेल में हट्टा-कट्टा बनकर निकले सुकलू मेहनत करने की आदत लुप्त होकर यूं ही घूमने लग गया। कसंसूर थाने के पुलिस वालों से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उसने एटापल्लि दल का खात्मा करने की साजिश रची। जब भी पुलिस आती है तो सुकलू का घर ही शरण स्थल है। हालांकि सुकलू की पत्नी को उसकी हर गतिविधि की सम्पूर्ण जानकारी थी, लेकिन उसने न सिर्फ यह बात दल से छिपाई, बल्कि सभी ग्रामवासियों के साथ आकर दल से मिलते हुए वह पार्टी के विषयों को अपने पति को बताया करती थी। सुकलू की वजह से गांव में झगड़े-फूटे उत्पन्न हो गए और वह गांव वालों के लिए आंख का कांटा बना हुआ था।

नागपुर, चंद्रपुर और अमरावती जेलों में पुलिस और गुंडों के सहारे क्रांतिकारियों और डीएकेएमएस के सदस्यों पर दादागिरी करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे अवश्य मिट्टी में मिला दिया जाएगा- इस कठोर सत्य को साबित करते हुए गढ़चिरौली की डिवीजनल कमेटी ने सुकलू को मौत के घाट उतार देना तय किया। इसके खात्मे से यह बात पुनः साबित हो गई कि जनता में आतंक मचाकर गद्दार बनने पर छापामार कभी माफ नहीं करेंगे। शेवेरी गांव में इसको उसके घर पर ही गिरफ्तार कर बीच गली में जनता के समक्ष इस पर मुकदमा चलाया गया तो जन पंचायत ने मुक्त कंठ से मृत्युदंड घोषित किया, जिसके मुताबिक छापामारों ने ३१ मार्च १९९८ को इस फैसले पर अमल किया।

दुष्ट मुखिया और मुखबिर बालैया की पिटाई

अहेरी क्षेत्र के ताडिगांव रेंज स्थित मरमपेल्लि गांव का मुखबिर बालैया न सिर्फ पुलिस को नक्सलवादियों के आने की सूचना दिया करता था, बल्कि उसका विरोध करने वाले ग्रामवासियों को पुलिस के हाथों यह कहकर पिटवाता था कि वे नक्सलवादियों को भोजन देते हैं। पुलिस का डर बताकर वह लोगों से पैसा वसूला करता था। मुरगे-बक्रे लेकर खाता था। इसके जुल्मों से तंग आ चुकी जनता ने जब छापामार दल गांव में रूका तो यह मसला सामने लाया।

इस पर पंचायत बुलाकर जनता के फैसले के अनुसार बालैया की पिटाई की गई। साथ-साथ उसने जो पैसे, मुरगे और बक्रे जनता से वसूले उन्हें जुर्माना सहित लौटाया गया। इसकी नाजायाज शिकायत पर पुलिस द्वारा गढ़चिरौली जेल में कैद किए गए एक किसान को छोड़ाकर लाने का जिम्मा भी जनता ने उसके सिर पर लगाया। यह घटना अप्रैल १९९८ में घटी।



गोंडी रिपोर्ट - गढ़चिरौली

बंगाली दुकानदार कु पिठाई

गढ़चिरौली जिला एटापल्ली तहसील गढ़त, रेंज गडदेवाडा नाटे ओखूर बंगली १९८८ ते दुकान लावे किसी परिवार संग रघन-सघन किसुरे मतोर आदू समय ते पोलिस तौरकु दोस्तना मतोर अदूतमे बरके-बरके संगठन आणि गुरिल्ला दल ता समाचार वेहीतोर इदना समाचार मलागडकु १९९३ ने विमाल मंडाल बंगाली केचिसी नाटेबोश मुन्ने चेतावनी हिंसी विडचितोर आस्के रैय्यतुक दुकान तुन वम्मीसी १९९३ ते तमा नाटे १०० नम्बर (युल्लीयाँ पालट) वितिस मतोर।

१९९२-९३ ते पोलिस दमन जादा आतागडकु संगठन ता ताकत कमजोर आना आणि गुरिल्ला दल वेन्ने गडदेवाडा नाटे होनामुड कम आता आदू मोकाते ओसो १९९४ ते वासि दुकान लावे किचकान इंजि नाटेनोरकु बोकडा गटो हिंसी मानेकिसोर मत्ति इस्तुर लोकूरकु विरोद्ध मतोर तरी पाटेलता रैच्यतुक बोरे वाडका पारोर आद्रमे चालेमायानास्के दमन ता आसर किसी विमाल बंगाली रोड काम ठेका येतीस रोड काम तुन पुरा कितोर अद्रमे लोकूरा २०,००० रुपया वेन्ने सितोर आणि आदू पैसा संगे उंदी टीवी असीस गडदेवाडा नाटे लावे कितोर।

इद्रम ना समाचार गुरिल्ला दल तुक दोरतास्के विमाल मंडाल बंगाली केटियस लोकुश मुन्ने नोड काम बंद किय्यना टीवी वेन्ने बंद किय्यना इंजि वेहात्सके पोलिस तोर कु समाचार हितोर अस्के नाटेनोर कु पोलिस वासी पक्काये ताकलीब कितोर मत्ति नाटेनोर उंदी उकत्ता मत्तागडकु बोरेके आरेस्ट देबा बात्ता हिबोर मत्ती आजू-बाजू नाटेने गुरिल्ला दल साठी पोलिस तोर वेल्लीतोर मत्ति गुरिल्ला बुचकुता!

इदू समाचार गुरिल्ला दल कु समाचार दोरनास्के इद्रमनोर मतेकी गुरिल्ला दल तुक धोका आंदू इंजि येरियय कमेटी पार्टी सेल्स विचार किसी

तुरंत निर्णाय थेताता बंगालीन देबा हि्य्यना आणि इगोटासि पुडांना इंजि निर्णाय येतुता।

आदे मुताबिक १६.५.१९९८ शुक्रवार दिवा ते गुरिल्ला दल होजि नाटेनोरा मुन्ने बंगाली पुच-तच कितरके बादे मानेमायोर अस्के पिठाई किसुरे तालकनास्के मानेमतोर पेरके इद्रमनोरीन बद्रम किकड इंजि तालकतास्के नोटनोर सब्बे लोकूर मावा नाटेल वीन पुडांना दादा इंजि विरोध कितोर वनि पुंडावा पहिने।

आसके पार्टीता वेन्ने निर्णाय वेहतास्के बेसस्ता इंजि जनता कुशि अत्तोर। आदे मुताबिक विमाल मंडाल बंगालीन पुंडासी हितोम।

पिठे मत्तु वाटतीन कु पिठाई

गढ़चिरौली जिला डटापल्ली तहसील गड्डा रेंज हेरे माटवर्सी नाटेना राजू पुगांटी इनवाल झरान कुनाग पीठे मत्तु वाटतागडकु उंदी कोंदा हत्ता आदूनासाठी हेरे-हेरे नाटेना लोकुर जामासी पंचयात कितास्के लोवुर कु रेच्याव लेवा लोकूर कुने डारे कितोर नाकु बादे केला कितेकी मीवा सब्बे नाटेना बरमार बंदूक बोरगा-बोरगा मत्ता इंजि पोलिसतोर वेहताकान इंजि लोकूरीनये डारे कितोर।

सब्बे जनता रेय्यीस वीनु मादू बादे किय्यनायो इंजि विचार कितोर आणि पेरके कुस्कूने विचार किसी मावा पार्टीतुक वेहताकाड आस्के विनकु समाजे मायार इंदना विचार कितोर आदे माखाते गुरिल्ला दल आदू नाटे होन्वा वेल्हाये दिव्या आता आदूठनासणि पंचायत अद्रमे मत्ता।

१६.५.९८ ते गुरिल्ला दल माटवर्सी नाटे होतास्के पंचायत मुन्ने वातास्के पीठे मत्तु वाटतोर गरिब किसान वर्ग तोर आंदू इंजि बारपास हि्य्या परोर इंजि पिठे मत्तु वाटना विना गलत आंदू इंजि पिठाई किसी चेतावनी हिंसी विडास्मोक इतास्के जनता वेन्ने यानेमातोर।



सर्वहारा-वर्ग का उदय कैसे हुआ?

(मार्क्सवाद के महान अध्यापक एंगेल्स द्वारा रचित "साम्यवाद के नियम" ग्रन्थ से...)

पिछली सदी के द्वितीयार्थ में इंग्लैंड में आविष्कृत औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप सर्वहारा-वर्ग का उदय हुआ। उसके बाद दुनिया के सभी सभ्य देशों में उसका उदय होता गया। भांप मशीन का आविष्कार, विभिन्न स्पिन्निंग मशीनों का आविष्कार, बिजली करघा का आविष्कार जैसे अनेकानेक यंत्र-उपकरणों का आविष्कार के साथ ही औद्योगिक क्रांति आई थी। चूंकि ये मशीन बहुत ही महंगी हैं, इसलिए सिर्फ बड़े पूंजीपति ही इन्हें खरीद सकते थे। इससे तब तक रहा उत्पादन का ढंग पूरी तरह बदल गया। तब तक काम करते रहे मजदूरों को ड्यूटी में ला

खड़ा कर दिया गया, क्योंकि अपने तंग चरखों और हाथकरघों से बनाए जा सकने वाली वस्तुओं से कहीं बेहतर और सस्ती वस्तुएं मशीनों के द्वारा बनाई जाएंगी। इस तरह इन मशीनों ने उद्योगों को पूरी तरह बड़े पूंजीपतियों को सौंप दिया। और मजदूरों के औजार, हथकरघा जैसी अल्प संपत्ति को बेकार बना दिया। इस तरह पूंजीपति की सम्पत्ति बेहद बढ़ गई और मजदूरों के पास कुछ नहीं रह गया। इस तरह कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में फैक्टरी प्रणाली की शुरुआत करने की प्रेरणा मिल गई कि इस फैक्टरी प्रणाली में गजब की तेजी से उद्योग के अन्य सभी शाखाओं में प्रवेश किया, जिनमें कपड़ा, पुस्तक छपाई, मिट्टी के बर्तन, लोहे के उद्योग

आदि प्रमुख हैं। मजदूरों में श्रम का अधिक अधिक विभाजन होने लगा। इससे मजदूर संघ जहां पहले एक पूरी वस्तु को बनाता था, अब वह मात्र वस्तु का एक अंश को बना पाता है। इस श्रम विभाजन ने उत्पादों की आपूर्ति को ज्यादा गति दी और साथ-साथ सस्ता बनाया। इसने प्रत्येक मजदूर के श्रम को सरल और लगातार पुनरावृत्त होने वाली प्रक्रिया, जिसे मशीनें भी न

सिर्फ समान रूप स करेंगी बल्कि और भी बेहतर ढंग से करेंगी, के तौर पर घटा दिया। इस तरह एक के बाद एक उद्योग की सभी शाखाएं, कतई और बुनाई उद्योगों की ही तरह, भाप-शक्ति, यंत्रों और फैक्टरी प्रणाली के नियंत्रण में चली गईं। वहां से ये सभी बड़े पूंजीपतियों के हवाले हो गईं। और यह भी मजदूर आजादी के आखरी टुकड़े तक खो बैठे। क्रमगत रूप से वास्तविक उत्पादन के अलावा हस्तशिल्प भी फैक्टरी प्रणाली के नियंत्रण में चले गए, क्योंकि यहां भी बड़े पूंजीपतियों ने छोटे मालिकों को हटाकर ऐसे कारखानों को खोल डाला जिनकी लागत भी अधिक हो और मजदूरों के मध्य श्रम-विभाजन सुविधापूर्वक किया जाता है। इस तरीके से तमाम सभ्य देशों में श्रम की लगभग सभी शाखाओं में फैक्टरी प्रणाली स्थापित हो गई और लगभग इन सभी शाखाओं में बड़े उद्योगों ने हस्तशिल्प और उत्पादनों को बेदखल कर दिया। परिणामस्वरूप, पूर्व के मध्यम वर्गों, विशेषकर छोटे निजी हस्तशिल्पकारों की तबाही हो गई तथा मजदूरों की पूर्व स्थिति पूरी तरह बदल गई। अन्य सभी वर्गों को क्रमगत रूप से सोखने वाले दो नए वर्ग अस्तित्व में आ गए-

१. बड़े पूंजीपति : सभी सभ्य देशों में इस वर्ग ने जीविका के लगभग सभी साधनों तथा कच्चा माल और उपकरणों (यंत्रों, फैक्टरियों आदि), जो इन जीविका के साधनों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, पर स्वामित्व कायम किया है।

२. जिस वर्ग के पास कुछ भी नहीं है और इसलिए अपने श्रम को पूंजीपतियों को बेचकर बदलने में जीविका के आवश्यक साधन प्राप्त करने को जो वर्ग मजबूर है, वही सर्वहारा वर्ग या सर्वहारा।

★ ★ ★ ★ ★

(पृष्ठ ५६ का शेष)

पंथी और क्षेत्रीय पार्टियों सहित- का इन परीक्षणों के प्रति समर्थन भी जुटाया। समूचे विपक्ष और प्रसार माध्यमों द्वारा वाजपेयी की छवि अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरोधी बहादुर अभिनेता के रूप में बढ़ाई-चढ़ाई गई।

इन परमाणु परीक्षणों के महत्वपूर्ण नतीजे में अंध-राष्ट्रवाद और हिन्दू कट्टरवाद इस मूर्खतापूर्ण हद तक बढ़े हैं कि भारत के परमाणु परीक्षणों को पाकिस्तान की पराजय के रूप में मनाया गया।

इन परीक्षणों को 'हिन्दू राष्ट्र' की जीत की संज्ञा देकर रास्वसं-विहिप-बजरंग दल-भाजपा समूह ने अभूतपूर्व ढंग से पाक-विरोधी उन्माद फैलाया। "मुसलिम पाकिस्तान कम से कम अब से दबकर रहे, वरना 'हिन्दू' प्रक्षेपास्त्रों से इस भूगोल से ही मिट जाएगा।" अंध-राष्ट्रवाद, हिन्दी सम्प्रदायिकता और पाकि-विरोधी उन्माद को अपने चरम पर पहुंचा गया और पाकिस्तान को राष्ट्रीय व धार्मिक आवेश की ओर भड़काया गया- उसे आक्रामक रूख अपनाने पर मजबूर बनाया गया।

कुल मिलाकर, इस कदम से जहां भारत दुनिया का छठवां और दक्षिण एशिया का पहला अण्वस्त्र सम्पन्न राष्ट्र बन गया, वहीं इस महाद्वीप के साथ-साथ अन्य एशिया-प्रशांत देशों के जन-मन में शंकाएं पैदा हुईं।

भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इस तरह अपने छिपाए रखे एजेंडा को भी बाहर लाना शुरू किया। इन परमाणु परीक्षणों के जरिए वह अंध-राष्ट्रवाद, हिन्दू कट्टरवाद, पाक विरोधी व मुसलिम विरोधी उन्माद को भड़काने में तथा साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में तथाकथित वामपंथियों सहित अपने सभी पुराने दुश्मनों का समर्थन हासिल करने में सफल रही।

भारत के शासक वर्ग, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ताकत की प्रतिष्ठा मिलने के बदले, हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में साम्राज्यवादियों द्वारा निर्देशित एजेंडा पर अमल करने की हामी भरते हुए अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ गुप्त बातचीत करते हुए ही दूसरी ओर, आसपास के देशों को अपने पिछलग्गू बनाने पर आमादा हैं।

हम समझते हैं कि जिस देश की आधी आबादी घोर दरिद्रता और भुखमरी से जूझ रही हो, परमाणु परीक्षणों के जरिए उस देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। वह बहुसंख्यक जनता की गाढ़ी कमाई को खाक में मिलाना ही होगा। इसके अलावा भारत की जनता को समस्याओं, जिनका वह सामना कर रही है, से गुमराह करने की कोशिश भी होगी।

भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) की केन्द्रीय कमेटी भारत के तमाम अमनपसंद लोगों से आग्रह करती है कि भाजपा-रास्वसं-विहिप समूह के नेतृत्व वाले भारत के शासकवर्गों की युद्धोत्तेजक कोशिशों का विरोध करें, भारत से परमाणु बम संबंधी सभी शोधकार्य, परीक्षणों और उत्पादन से तत्काल हट जाने की मांग करें तथा समूचे महाद्वीप की जनता की सच्ची एकता कायम करने का प्रयास करें।

आपका, **गणपति**

दि. १८-५-९८

सचिव, केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (मा-ले) पीपुल्सवार)

भारत के विस्तारवादी शासकों के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का खण्डन करें

(भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओइस्ट) द्वारा जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति)

भारत के भाजपा गठबंधन सरकार के नेतृत्व में भारत के विस्तारवादी शासकों द्वारा की गई परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला का हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (पीपुल्सवार) और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओइस्ट) दृढ़ता से खण्डन कर रहे हैं। भारत के शासकवर्गों द्वारा की गई परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला के पीछे छिपे वास्तविक कारणों से इस क्षेत्र की जनता को अवगत होना चाहिए।

परमाणु परीक्षणों की यह श्रृंखला दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय ताकत बनने की भारत के शासकवर्गों की लंबी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दोहराती है। दक्षिण एशिया में एक बड़े तथा अपेक्षापूर्ण शक्तिशाली देश होने के नाते, भारत के शासकवर्ग पड़ोसी देशों पर कई असम संधि थोप रहे हैं। जब दूसरे देश अपने चरणों पर नहीं झुकते, भारत के शासक धौंस-पट्टी और यहां तक कि सैन्य हस्तक्षेप का सहारा ले रहे हैं। वर्तमान भाजपा गठबंधन सरकार उस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के आदेशों पर चलती है, जो भारतीय विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का नंबर-१ प्रारूपकर्ता है और “अखण्ड भारत” सिद्धांत का दावेदार है। हाल के परमाणु परीक्षण भी पड़ोसी राष्ट्रों को अपने चरणों पर लाने का लक्ष्य से ही किए गए।

बमों का विस्फोट करके धिक्कारता का दिखावा करते हुए भारत के शासक वर्ग साम्राज्यवादियों के साथ सौदे कर रहे हैं - भारत को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ताकत के रूप में पहचानने और क्षेत्र के छोटे देशों का शोषण करने में कनिष्ठ भागीदार के रूप में स्वीकृति देने के बदले वह साम्राज्यवादियों की ओर से क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण का तमाम घिनाने कार्य करेगा। रोज-रोज आर्थिक संकट तीव्र होता जा रहा है, समाज में अनेक समस्याएं गंभीर रूप धारण कर रही हैं, और समाज के सभी तबकों के लोगों में असंतोष व्याप्त है। सरकार इन परमाणु परीक्षणों के जरिए समस्याओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। भारत के शासकवर्ग भारत, पाकिस्तान और चीन में युद्ध का वातावरण पैदा करके सभी संघर्षों को कुचलने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं।

तीव्र अस्थिरता के मध्य भाजपा गठबंधन सरकार सत्ता में जारी है। युद्ध वातावरण को पैदा करने और छुद्म-राष्ट्रीयवाद के जरिए वह अन्य संसदीय पार्टियों का ‘स्थिर’ समर्थन पाने की कोशिश कर रही है।

भारत के परीक्षण के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तानी शासक-वर्गों ने भी परमाणु परीक्षण किए। नवाज शरीफ सरकार भी युद्ध-वातावरण को निर्मित कर जन संघर्षों और राष्ट्रीयता संघर्षों को गुमराह करने का सक्रिय प्रयास कर रही है। अपने फासीवादी शासन के विरुद्ध चल रहे जन संघर्षों को कुचलने के लिए नवाज शरीफ सरकार ने लगभग देश में आपात स्थिति घोषित की। हम पाकिस्तान सरकार द्वारा किए गए परीक्षणों

का भी खण्डन करते हैं।

भारतीय विस्तारवादियों द्वारा शुरू की गई परमाणु हथियारों की होड़ में बंगलादेश, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों की जनता में तीव्र असुरक्षा का माहौल बढ़ा दिया।

शुरू से ही भारत के शासक वर्गों ने १९५० समझौता, १९६५ समझौता, महाकाली समझौता जैसे असम समझौतों को नेपाल पर थोप दिया। कालापानी में तेनात स्थायी सैन्य अड्डे और विभिन्न मौकों पर नेपाल में सैन्य हस्तक्षेपों के चलते वे नेपाल की प्रभुसत्ता के लिए मुख्य खतरा बने हुए हैं। इन सारी हकीकतों के बावजूद, भारतीय विस्तारवादियों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का खण्डन करने के बजाए, नेपाली शासक वर्ग और सरकार चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे एक और बार साबित होता है कि वे भारतीय विस्तारवाद के कठपुतली हैं।

भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) और सीपीएम (माओइस्ट) नेपाली व भारतीय जनता से आग्रह करती हैं कि भारतीय विस्तारवाद के विरुद्ध साझा लड़ाई लड़ें। दक्षिण एशियाई देशों की जनता को चाहिए कि वह शासकवर्गों के युद्धोत्तेजक नीतियों और अंध-देशभक्ति भड़काने के विरुद्ध साझा संघर्ष करें।

शीतयुद्ध के दौरान अमरीका और सोवियत संघ के मध्य परमाणु शस्त्रों की होड़ अपने चरम पर थी। उस होड़ ने उनकी अर्थव्यवस्थाओं को तहस-नहस किया तथा सोवियत संघ के विघटन व अमरीका के कमजोर बनने में सहायता की। इस परमाणु शस्त्रों की होड़ भी दोनों देशों की आर्थिक स्थितियों को निश्चित रूप से बिगाड़ देगी, क्षेत्र में युद्ध का तनाव व असुरक्षा को बढ़ावा देगी तथा आवश्यक रूप से इन देशों को भारी संकट में डुबो देगी।

साम्राज्यवादी देशों, मुख्य रूप से अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का हम खण्डन करते हैं। साम्राज्यवादियों को किसी देश के परमाणु सम्पन्न बनने पर आपत्ति उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जब तक कि वे पहले परमाणु हथियारों के अपने विशाल भण्डारों को नष्ट नहीं करते। भारत और पाकिस्तान पर ये साम्राज्यवादी प्रतिबंध इन देशों की प्रभुसत्ता के विरुद्ध हैं, जिनका विरोध विश्वभर के तमाम लोकतांत्रिक तबकों और विशाल जनता को करना चाहिए।

प्रदीप

भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार)

केन्द्रीय कमेटी

दि. १२-६-९८

प्रवेश

सीपीएम (माओइस्ट)

केन्द्रीय कमेटी

दि. १२-६-९८



“हमें अण्वस्त्र नहीं अन्न-वस्त्र चाहिए”

भारत पर साम्राज्यवादी प्रतिबंधों का विरोध करें!

केन्द्र की भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किए परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला ने दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं को पैदा किया- विश्व की जनता का अत्यन्त क्रूरता से शोषण करने वाले अमरीकी साम्राज्यवाद और अन्य साम्राज्यवादी दैत्यों से लेकर आसपास के अमन पसंद देशों और अन्य तीसरी दुनिया के देशों से ये प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं। एक के बाद एक साम्राज्यवादी ताकतों ने भारत पर प्रतिबंध लगाया। वे इस बात पर आमादा हैं कि भारत को ‘परमाणु अप्रसार संधि’ तथा ‘व्यापक परमाणु परीक्षण संधि’ पर दस्तखत करने पर मजबूर किया जाए। स्वयं अण्वस्त्रों के ढेर लगा बैठकर अपनी पांच सदस्यीय ‘परमाणु क्लब’ में दूसरे किसी देश को प्रवेश करने से मना कर रहे हैं ये साम्राज्यवादी। इस तरह भारत पर प्रतिबंध लगाने की साम्राज्यवादियों, विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवादियों की कोशिशों का हम भयादोहन, धमकियों, बांह मरोड़ने, आंतरिक मामलों में दखल देने, दादागिरी तथा घिनौने हरकतें कहकर खण्डन कर रहे हैं। साम्राज्यवादियों, खासतौर पर अमरीका साम्राज्यवादियों की इन धमकियों का सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और विश्व की समूची जनता विरोध करें। साम्राज्यवादियों को तब तक किसी देश को परमाणु सम्पन्न बनने पर आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं है, जब तक वे सबसे पहले खुद के परमाणु अस्त्र भंडारों का नाश न करें अथवा कम से कम दुनिया के सामने इसके लिए एक निश्चित समय-सीमा की घोषणा न करें।

भारत पर साम्राज्यवादियों का हस्तक्षेप, धौंस, अभित्रास और दादागिरी- जिस तरह इराक, इरान, लिबिया, क्यूबा, उत्तर कोरिया आदि कई देशों पर भी जारी है, का खण्डन करना और विरोध करना एक बात है, जबकि इस परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला, जो किसी भी देश द्वारा अब तक लगातार की गई लम्बी श्रृंखला है, के जरिए भारत के शासक वर्गों के व्यक्त हुए जनविरोधी, युद्धोत्तेजक और विस्तारवादी उद्देश्यों का समर्थन करना एक अलग बात है।

केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) का यह मत नहीं है कि परमाणु बम बनाना प्रत्येक परिस्थिति में भी वर्जित है। मिसाल के तौर पर १९६० के दशक के मध्य कम्युनिस्ट चीन को एक ओर से

अमरीका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवादियों और दूसरी ओर से सोवियत सामाजिक साम्राज्यवादियों- सभी ने उसका नाश करने की धमकियां दे रहे थे, ने घेर रखा था। एक राष्ट्र के तौर पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक अनेक कदमों के अंतर्गत, माओ के नेतृत्व में चीन ने १९६४ में परमाणु बम का परीक्षण किया था।

भारत के परमाणु परीक्षण- क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरने के लिए उसके विस्तारवादी षडयंत्रों का संकेत

लेकिन, आज की तारीख में दुनिया की प्रत्येक साम्राज्यवादी ताकत के साथ हाथ मिलाए भारत के शासक वर्गों को किसी भी कोने से कोई खतरा नहीं है। इन आकस्मिक परीक्षणों, जो हफ्ते भर से ज्यादा समय तक समाचारों की सुर्खियों में रहे, के पीछे असली कारण क्या थे?

पहला, भारत के शासक वर्गों की यह लम्बी आकांक्षा कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय ताकत बने तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक अपनी धाक जमा सके। दरअसल, १९७१ के भारत-सोवियत सैन्य समझौते के जरिए सोवियत संघ ने भारत की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं का खुला समर्थन किया। लेकिन महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ के ढह जाने के बाद भारत के शासकवर्ग अपनी विस्तारवादी योजनाओं के लिए कुछ साम्राज्यवादी ताकतों का समर्थन जुटाने की आशाहीन कोशिशों में व्यस्त हैं।

दूसरा, बम विस्फोट के जरिए अपने आपको अवज्ञाकारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए भारत के शासकवर्ग साम्राज्यवादियों से कुछ रियायती सौदे करने की आशा कर रहे हैं- मसलन, भारत को दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय ताकत के रूप में मान्यता देने, क्षेत्र के छोटे देशों का शोषण करने में कनिष्ठ भागीदार के रूप में स्वीकृति देने तथा इसके बदले वह क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण का घिनौने कार्य करेगा।

बहरहाल, इन आकस्मिक परमाणु परीक्षणों के पीछे तात्कालिक कारण तो भाजपा गठबंधन वाली केन्द्र सरकार की अस्थिरता व दुर्बलता को संभालना ही है। इन परीक्षणों से उसने न केवल अपनी सहयोगी घटक दलों का ध्यान अस्थायी तौर पर आंतरिक खींचातानी से दूर किया, बल्कि शायद पहली बार, सभी राजनैतिक पार्टियों- तथाकथित वामपंथी, दक्षिण

(शेष पृष्ठ ५४ पर)